रजिस्ट्री सं. डी—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6, 1982 (फाल्गुन 15, 1903)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6, 1982 (PHALGUNA 15, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
[PART III—SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 जनवरी 1982

सं. ए. 32011/1/80-प्रशा. III—आयोजना योजना के अधीन अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में के. स. से. में नामित होने के परिणामस्वरूप योजना आयोग के संवर्ग में स्थायी सहायक श्री बी. सी. काजला को 16 दिसम्बर, 1981 पूर्वाह्न से दीर्घकालीन आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री बी. सी. काजला अवगत कर लें कि जब भी चयन सूची अधिकारी उपलब्ध होंगे यदि उस समय रिक्तियां उपलब्ध नहीं होंगी तो उन्हें प्रत्यावर्तित होना होगा।

दिनांक 31 जनवरी 1982

सं. ए. 38013/3/81-प्रशा. III—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी तथा अवर सचिव के पद पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में स्थानापन्न रूप से कार्यरत श्री डी. के. भट्टाचार्य को राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1982 के अपराह्न से निवर्तन आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने की सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है।

सं. ए. 38013/4/81-प्रशा. III—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में के. स. से. के स्थायी सहायक तथा स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी श्री विशेश्वर प्रसाद को राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक विभाग के का. ज्ञा. सं. 33/12/73-स्था. (क) दिनांक 24 नवम्बर, 1973 की शर्तों के अनुसार 31 जनवरी, 1982 के अपराह्न से निवर्तन आयु होने के फलस्वरूप सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने की सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है।

सं. ए. 38013/5/81-प्रशा. III—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में के. स. से. के स्थायी सहायक तथा स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी श्री एम. पी. नायर को राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक विभाग के का. ज्ञा. सं. 33/12/73-स्था. (क) दिनांक 24 नवम्बर, 1973 की शर्तों के अनुसार 31 जनवरी, 1982 के अपराह्न से निवर्तन आयु होने पर, सरकारी सेवा से निवृत्त होने की सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है।

य. रा. गांधी
अवर सचिव (प्रशा.)
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

का. एवं प्र. सु. विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1982

सं. ए.-19020/1/79-प्रशा.-5—प्रत्यावर्तन हो जाने पर श्री आर. सी. झा, भारतीय पुलिस सेवा (मध्य प्रदेश-1961), पुलिस उप-महा-निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष

पुलिस स्थापना, की सेवाएं दिनांक 8-2-1982 के अपराह्न से मध्य प्रदेश सरकार को वापस सौंपी जाती हैं।

सं. ए.-19035/3/79-प्रशासन-5—निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री एस. सी. दासगुप्ता, कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 31-1-1982 के अपराह्न से कार्यालय अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया।

सं. ए-22012/1/82-प्रशा.-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना अपने प्रसाद से श्री टी. सुदर्शन राव, अपराध सहायक को प्रोन्नति पर दिनांक 1-2-1982 से 3 मास की अवधि अथवा नामिका बन जाने और नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक जो भी पहले घटित हो, के लिये केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में तदर्थ आधार पर कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 12 फरवरी 1982

सं. ए-31016/2/81-प्रशा.-1 (डी. पी. सी.)—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 1965 के नियम 9(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री जसपाल सिंह को दिनांक 31-12-81 से केन्द्रीय न्याय-वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में मूल रूप से वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 15 फरवरी 1982

सं. ए-19028/1/78-प्रशा.-5—प्रत्यावर्तन हो जाने पर दिनांक 25-5-81 से 21-1-82 तक छुट्टी एवं कार्यग्रहण काल समाप्त हो जाने पर श्री ए. डी. राजारमन कार्यपालक अभियंता/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं दिनांक 4-2-1982 (पूर्वाह्न) से महानिदेशक निर्माण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को वापस सौंपी जाती हैं।

सं. ए-19020/1/82-प्रशा.-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री ए. एस. बल, भारतीय पुलिस सेवा (मध्य प्रदेश-1963) को दिनांक 8-2-1982 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस स्थापना प्रभाग में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस उप-महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 16 फरवरी 1982

सं. ए-19013/1/81-प्रशा.-5—श्री बजरंग लाल, भारतीय पुलिस सेवा (राजस्थान-1953), संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस विशेष महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना की सेवाएं दिनांक 23-12-1981 के अपराह्न से दिल्ली प्रशासन को सौंप दी गई।

हीरो ए. शहानी
प्रशासनिक अधिकारी (स्था.)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

———

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1982

सं. ए-22020/71/80-प्रशासन-3—आशुलिपिक ग्रेड "सी" के पद पर रु. 650-30-740-35-800-द. अ.-40-920-40-1040 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रोन्नति हो जाने पर श्री जी. के. गुहा ने दिनांक 5-2-82 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (ग्रेड "सी" आशुलिपिक) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

द्वारका नाथ
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

———

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 फरवरी 1982

सं. ओ. दो.-1518/80-स्थापना—राष्ट्रपति ने कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी. डी. ओ. ग्रेड-II) डा. श्रीकान्त स्वामी, समूह केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आवड़ी, को केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा नियमावली), 1965 के नियम 5(1) के अनुसार एक माह के नोटिस की समाप्ति पर दिनांक 22-1-82 के अपराह्न से कार्यभार मुक्त कर दिया है।

सं. ओ. दो. - 1592/81-स्थापना—राष्ट्रपति ने कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी. डी. ओ. ग्रेड-II), डा. प्रकाश चावला समूह केन्द्र-I केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अजमेर को केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा नियमावली), 1965 के नियम 5(1) के अनुसार एक माह के नोटिस की समाप्ति पर दिनांक 1-2-82 के अपराह्न से कार्यभार मुक्त कर दिया है।

दिनांक 11 फरवरी 1982

सं० पी० सात-04/80/स्थापना:—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के निम्नलिखित सुबेदारों को उप-पुलिस अधीक्षक के पद पर अस्थायी रूप में अगले आदेश जारी होने तक पदोन्नत करते हैं।

उन्होंने अपने पद का कार्यभार बटालियनों में उनके समक्ष दी हुई तिथियों से सम्भाल लिया है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	यूनिट का नाम		कार्यभार सम्भालने की तिथि
1	2	3		4
1.	श्री हरी सिंह	26 बटालियन		26-2-81
2.	श्री विजेन्द्र सिंह	49	,,	11-3-81
3.	श्री कर्म सिंह	4	,,	9-3-81 (अपराह्न)
4.	श्री जी० प्रेमा संग्राम	21	,,	23-2-81
5.	श्री रती राम यादव	23	,,	14-2-81
6.	श्री भंवर सिंह	70	,,	19-3-81
7.	श्री वीरेन्द्र सिंह	47	,,	9-3-81
8.	श्री अमीन लाल	64	,,	20-3-81
9.	श्री डी० एस० राना	64	,,	10-3-81 (अपराह्न)
10.	श्री लेख राज सिंह	65	,,	14-2-81
11.	श्री दया नन्द	9	,,	18-2-81
12.	श्री गुरचरन सिंह	28	,,	14-2-81
13.	श्री गुलाब सिंह	42	,,	26-2-81

1	2	3	4
14.	श्री प्रेम सिंह	65 बटालियन	18-2-81
15.	श्री सत्तार सिंह	38 ,,	29-3-81
16.	श्री उमराव प्रसाद यादव	मु० के० भुवनेश्वर	7-3-81
17.	श्री हरदेव सिंह	63 बटालियन	14-2-81
18.	श्री जगदीश चन्द	43 ,,	28-2-81
19.	श्री पी० बी० गुरुंग	33 ,,	14-2-81
20.	श्री मोहम्मद वासिम	32 ,,	14-2-81
21.	श्री जोगिन्दर पाल सिंह	63 ,,	22-4-81
22.	श्री ओ० पी० खोला	21 ,,	14-2-81
23.	श्री असतोश मैथानी	स० के० पालि पु०	14-2-81
24.	श्री कोमल सिंह	6 बटालियन	14-2-81
25.	श्री जी० सुकुमारन नायर	डायरेक्टोरेट	16-2-81
26.	श्री पूरन चन्द	27 बटालियन	21-2-81
27.	श्री रोशन लाल	64 ,,	23-3-81
28.	श्री प्रेम सिंह	10 ,,	6-3-81 (अपराह्न)
29.	श्री मोना पाठक	37 ,,	18-2-81
30.	श्री जय बीर सिंह	65 ,,	14-2-81
31.	श्री धनी राम	स०के० (नागपुर)	2-3-81 (अपराह्न)
32.	श्री सोभा चन्द	10 बटालियन	14-2-81
33.	श्री वेद प्रकाश	53 ,,	21-2-81
34.	श्री एम० एस० मलिक	30 ,,	14-2-81
35.	श्री कासिम खान	62 ,,	14-2-81
36.	श्री छाजू राम	46 ,,	16-2-81
37.	श्री आर० एस० मिश्रा	44 ,,	18-2-81
38.	श्री यसपाल शर्मा	स० के० (नागपुर)	14-2-81
39.	श्री गुरमुख सिंह	जी० सी० (अवाड़ी)	14-2-81
40.	श्री केवल कृष्ण	5 बटालियन	14-2-81

ए० के० सूरी
सहायक निदेशक (स्थापना)

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 फरवरी 1982

सं. 10/8/80-प्रशा.-I—इस कार्यालय की तारीख 6 नाई, 1981 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय के सहायक महापंजीकार (सामाजिक अध्ययन) श्री एन. जी. नाग को उसी कार्यालय में उप महापंजीकार (सामाजिक अध्ययन) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि तारीख 30 जून, 1982 तक या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी अवधि पहले हो, सहर्ष और बढ़ाते हैं।

2. श्री नाग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

सं. 10/31/81-प्रशा.-I—राष्ट्रपति, राजस्थान, जयपुर में जनगणना कार्य निदेशालय के वरिष्ठ भूगोलवेत्ता श्री एम. एल. कुमावत को नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में तारीख 1 फरवरी, 1982 के पूर्वाह्न से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी अवधि पहले हो, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा तदर्थ आधार पर अनुसंधान अधिकारी (ड्राइंग) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री कुमावत का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. श्री कुमावत की इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्ति भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तारीख 7-11-1975 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 1(11) ई. III (बी)/75 में अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन विनियमित होगी।

सं. 10/4/81-प्रशा.-I—राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में सहायक निदेशक (आंकड़े संसाधन) के पद पर कार्यरत श्री एच. आर. घल्यानी को उसी कार्यालय में तारीख 19 जनवरी, 1982 के पूर्वाह्न से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी अवधि पहले हो, पदोन्नति द्वारा पूर्णतः अस्थाई रूप से तदर्थ आधार पर उप निदेशक (आंकड़े संसाधन) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री घल्यानी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री घल्यानी को उप निदेशक (आंकड़े संसाधन) के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए कोई हक प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ आधार पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएंगी। उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

सं. 10/5/82-प्रशा.-I—राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में उप निदेशक (प्रोग्राम) के पद पर कार्यरत श्री के. आर. उन्नी को उसी कार्यालय में तारीख 19 जनवरी, 1982 के पूर्वाह्न से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी अवधि पहले हो, पदोन्नति द्वारा पूर्णतः अस्थाई रूप से तदर्थ आधार पर वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री उन्नी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री उन्नी को वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट के पद पर नियमित नियुक्ति के लिये कोई हक प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ आधार पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएंगी। उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

सं. 10/6/82-प्रशा.-I—राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में सहायक निदेशक (प्रोग्राम)

के पद पर कार्यरत सर्वश्री आर. पी. गुप्ता और प्रदीप मेहरा को उसी कार्यालय में तारीख 19 जनवरी, 1982 के पूर्वाह्न से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी अवधि पहले हो, पदोन्नति द्वारा पूर्णतः अस्थाई रूप से तदर्थ आधार पर उप निदेशक (प्रोग्राम) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. सर्वश्री गुप्ता और मेहरा का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. उपरोक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां संबंधित अधिकारियों को उप निदेशक (प्रोग्राम) के पदों पर नियमित नियुक्तियों के लिए कोई हक प्रदान नहीं करेंगी। तदर्थ आधार पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएंगी। उपरोक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

पी. पद्मनाभ
भारत के महापंजीकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

पुनर्वास वित्त प्रशासन एकक

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1982

सं. आर. एफ. ए. बी./2/8/स्था./81/357—पुनर्वास वित्त प्रशासन एकक, कलकत्ता के शाखा कार्यालय अधीक्षक श्री बी. ब्रह्म अधिवर्षिता पर, 31-12-81 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गये।

श्री बी. ब्रह्म को उसी कार्यालय में अधीक्षक के रूप में दिनांक 1-1-82 (पूर्वाह्न) से 31-3-82 (अपराह्न) तक अथवा जब तक आर. एफ. ए. एकक बन्द हो, दोनों में से जो भी पहले हो, तब तक के लिए पुनर्नियुक्त किया जाता है।

एन. बालसुब्रह्मण्यन
प्रशासक

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

महालेखाकार का कार्यालय, उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 6 जनवरी 1982

सं० 125—महालेखाकार जी ने इस कार्यालय के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को रु० 840-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान पर लेखा अधिकारी के पद पर कार्यवाही अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति आगामी आदेश न होने तक उनके नाम के साथ दर्शाए गए तिथियों से दिया है।

1.	श्री एन० बी० चलपति	18-12-81	(अपराह्न)
2.	श्री राखलचन्द्र दास महापात्र	23-12-81	—वही—
3.	श्री एस० वी० कृष्णाराव	18-12-81	—वही—
4.	श्री कैलाश चन्द्र दास	18-12-81	—वही—

2. उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन मामलों का निर्णय न होने तक तथा उनसे वरिष्ठ के दावों के बिना पक्ष लेते हुए उनकी पदोन्नति अस्थायी है।

3. उनकी उपरोक्त परस्पर वरीयता सामयिक है।

टी० एन० ठाकुर
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा

दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डनरीच

कलकत्ता-700043, दिनांक 10 फरवरी 1982

सं. प्रशा./33-2क/75/5274—निदेशक लेखा परीक्षा, दक्षिण पूर्व रेलवे, कलकत्ता में अधीनस्थ रेलवे लेखा परीक्षा सेवा के सदस्य, श्री दलीप कुमार गौड़ को दिनांक 19-11-81 के पूर्वाह्न से एक स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में अगले आदेश तक पदोन्नत किया गया।

अ. ना. बक्कू
निदेशक लेखा परीक्षा

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 1982

सं० प्रशा०-II/2606/82-I—वार्धक्य निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के अपराह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया:—

क्रम सं०	नाम, रोस्टर सं० सहित	ग्रेड	तारीख जिससे पेंशन स्थापना को अन्तरित किया गया	संगठन
1	2	3	4	5
1.	श्री एस० डी० काशीकर, पी०/221	स्थायी लेखा अधिकारी	31-10-81	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना।

1	2	3	4	5
	सर्व श्री			
2.	रामदेव चोपड़ा, पी०/301	स्थायी लेखा अधिकारी	31-10-81	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना), देहरादून।
3.	एम० पी० शर्मा, पी०/428	—यथोपरि—	31-10-81	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निध०), मेरठ।
4.	बाबा बीर सिंह पी०/200	—यथोपरि—	31-10-81	—यथोपरि—
5.	कृष्ण लाल अग्रवाल, पी०/135	—यथोपरि—	31-10-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक), उत्तर, मेरठ—छावनी
6.	रामचन्द मल्होत्रा, ओ०/16	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-10-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक), केन्द्रीय नागपुर।
7.	के० सी० जैन, पी०/28	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-81	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ।
8.	मांधे राम नागपाल, पी०/491	—यथोपरि—	31-7-81	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान मेरठ।
9.	रणजीत सिंह, पी०/145	—यथोपरि—	31-10-81	—यथोपरि—
10.	सुदेश चन्द्र गान्धी, पी०/433	—यथोपरि—	31-10-81	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज), कलकत्ता।
11.	हरिधन बनर्जी, पी०/85	—यथोपरि—	31-10-81	—यथोपरि—
12.	राजेन्द्र नाथ मल्होत्रा, पी०/171	स्थायी लेखा अधिकारी	31-10-81	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज), कलकत्ता।
13.	के० तिरुवेंङत्तान, पी०/170	स्थायी लेखा अधिकारी	31-10-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ सेना), बम्बई।
14.	के० रत्नास्वामी, पी०/281	—यथोपरि—	31-10-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक), दक्षिण, मद्रास।
15.	बी० रामचन्द्रन-III, ओ०/35	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-10-81	—यथोपरि—
16.	एन० सुन्द्रा राजन, पी०/79	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-81	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना।
17.	जे० वी० चम्पानीरिया, पी०/435	—यथोपरि—	30-11-81	—यथोपरि—
18.	एम० जी० जगदाले, पी०/387	—यथोपरि—	30-11-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर), पूना।
19.	एन० बी० चौधरी, पी०/198	—यथोपरि—	30-11-81	—यथोपरि—
20.	आनन्द कुमार ओ०/244	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-11-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायुसेना), देहरादून।
21.	एस० एस० मल्होत्रा, (ओ०/अभी नियत नहीं)	—यथोपरि—	30-11-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद।
22.	वी० एस० बेहरे पी०/246	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-81	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज), कलकत्ता।
23.	शोकत अलि खां, ओ०/363	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-11-81	—यथोपरि—
24.	एस० के० भट्टाचार्जी, पी०/101	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-81	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना।
25.	एस० राम मूर्थी, पी०/87	—यथोपरि—	30-11-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ सेना), बम्बई।
26.	जी० एस० रामचन्द्रन, पी०/444	—यथोपरि—	31-12-81	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निधि), मेरठ।
27.	श्याम लाल नारंग, ओ०/52	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-12-81	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।
28.	ए० श्रीनिवासन, ओ०/116	—यथोपरि—	31-12-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर), पूना।
29.	पी० आर० नागराज, ओ०/216	—यथोपरि—	31-12-81	—यथोपरि—
30.	देवराज खट्टर, पी०/130	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-81	रक्षा लेखा नियंत्रक अन्य रैंक, उत्तर, मेरठ।

1	2	3	4	5
	सर्व श्री			
31.	बीरेन्द्र नारायण सक्सेना, पी०/125	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक), उत्तर, मेरठ ।
32.	राधा कृष्ण ठकुरान, पी०/236	—यथोपरि—	31-12-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक), उत्तर, मेरठ—छावनी ।
33.	सदानन्द सरकार, पी०/231	—यथोपरि—	31-12-81	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना ।
34.	जी० एल० सरकार, पी०/411	—यथोपरि—	31-12-81	—यथोपरि—
35.	सन्तोष कुमार मुखर्जी, पी०/511	—यथोपरि—	31-12-81	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज), कलकत्ता ।
36.	पी० के० मुखर्जी, पी०/126	—यथोपरि—	31-12-81	—यथोपरि—
37.	बी० के० चटर्जी, ओ०/42	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-12-81	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता ।
38.	ओम प्रकाश जयरथ, पी०/401	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-81	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक), केन्द्रीय नागपुर ।
39	सूरज प्रकाश आनन्द, ओ०/63	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-7-81	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ ।
40.	मनोहर लाल दुआ, पी०/168	स्थायी लेखा अधिकारी	31-8-81	—यथोपरि—
41.	प्रेम सागर गुप्ता, पी०/323	—यथोपरि—	31-8-81	—यथोपरि—
42.	राम देव वर्मा, पी०/321	—यथोपरि—	31-10-81	—यथोपरि—
43.	पी० आर० मुखर्जी, पी०/84	—यथोपरि—	31-10-81	—यथोपरि—
44	ओम प्रकाश सैनी, ओ०/357	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-12-81	—यथोपरि—
45.	जगदीश नाथ जैन, पी०/385	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-81	—यथोपरि—
46.	जीत सिंह, पी०/258	स्थायी लेखा अधिकारी	31-8-81	रक्षा लेखा नियंत्रक, उत्तरी कमान, जम्मू ।
47.	सुखदेव शर्मा, ओ०/254	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-8-81	—यथोपरि—
48.	सोहन लाल भसीन, पी०/374	स्थायी लेखा अधिकारी	30-9-81	—यथोपरि—
49.	ओम प्रकाश अग्रवाल, पी०/215	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-81	रक्षा लेखा नियंत्रक, उत्तरी कमान, जम्मू ।
50	इन्द्र कुमार कपिल, पी० 553	—यथोपरि—	31-10-81	—यथोपरि—

रक्षा लेखा महानियंत्रक, निम्नलिखित लेखा अधिकारी की मृत्यु खेद के साथ अधिसूचित करते हैं :—

क्रम सं०	नाम, रोस्टर संख्या	ग्रेड	मृत्यु की तारीख	विभाग के संख्याबल से हटने की तारीख	संगठन
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ए० श्रीरामन, (ओ०/347)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-10-81	1-11-81 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पूना

ए० के० घोष,
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक,
(परियोजना)

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डिनेन्स फैक्टरियां सेवा

आर्डिनेन्स फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता-16, दिनांक 6 फरवरी 1982

सं. 5/82/जी—श्री पी. आर. राव, (मौलिक एवं स्थायी डी. डी. जी. ओ. एफ./महाप्रबन्धक (सेलेक्शन ग्रेड) दिनांक 1-1-81 (पूर्वाह्न) से नेशनल इन्सट्रूमेंटस लिमिटेड, कलकत्ता में स्थायी रूप से समावेशन के फलस्वरूप उसी तारीख से सेवा निवृत हुए।

दिनांक 8 फरवरी, 1982

सं. 6/जी/82—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अफसरों को अस्थायी सहायक प्रबन्धक के पद पर उनके सामने दर्शायी गई तारीखों से आगामी आदेश न होने तक नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	प्रवेश तिथि
1.	श्री सी बी वदगांवकर	8-6-1981
2.	एस चेंगालवरायण	29-11-1981

दिनांक 9 फरवरी 1982

सं. 7/जी/82—वार्धक्य निवृत्ति आयु (58 वर्ष) प्राप्तकर, श्री एच. पी. साहा, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक/मौलिक एवं स्थायी फोरमैन दिनांक 31-10-81 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

वी. के. मेहता
सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 फरवरी 1982

सं. ए-19018/569/81-प्रशासन (राजपत्रित)—भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-3 अधिकारी एवं महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता के कार्यालय के उप महानिदेशक श्री एस. आर. सेनगुप्त की पदोन्नति होने पर उन्होंने दिनांक 28 अक्तूबर 1981 (पूर्वाह्न) से विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली के कार्यालय में निदेशक, ग्रेड-2 (आर्थिक अन्वेषण) के पद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 11 फरवरी 1982

सं. ए-19018/287/77-प्रशासन (राजपत्रित)—बिहार राज्य भेषज वैज्ञानिक (फार्मास्यूटिकल) एवं रासायनिक विकास निगम लिमिटेड, पटना में सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्त होने पर श्रीमती सुनीता कुमार ने दिनांक 13 जनवरी, 1982 (अपराह्न) से विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली के कार्यालय में सहायक निदेशक ग्रेड-I (रसायन) पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सी. सी. राय
उप निदेशक (प्रशा.)

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 6 फरवरी 1982

सं. 1125बी/ए-32013(ए. ओ)/78-80/19ए—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित अधीक्षकों को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसी विभाग में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द. रो.-35-880-40-1000-द. रो.-40-1200 रु. के वेतनमान में, अस्थाई क्षमता में, आगामी आदेश होने तक प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है:—

क्र. सं., नाम और नियुक्ति तिथि

1. श्री एन. के. पासिन—17-12-1981 (पूर्वाह्न)
2. श्री अमलेन्दु चटर्जी—31-12-1981 (पूर्वाह्न)

दिनांक 8 फरवरी 1982

सं. 1150बी/ए-19012 (1-एस जी)/80/19ए—श्रीमती सिखा घोष (विवाह पूर्व-मंडल) को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु. प्रतिमाह के प्रारंभिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द. रो.-35-880-40-1000-द. रो.-40-1200 रु. के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 16 दिसम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

जे. स्वामी नाथ
महा निदेशक

राष्ट्रीय अभिलेखागार

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 जनवरी 1982

सं. एफ. 11/9/80 (ए1/स्थापना)—अभिलेख निदेशक, भारत सरकार एतद् द्वारा श्री वी. एन. कोहली, सहायक अभिलेखाधिकारी ग्रेड-I (सामान्य व स्थानापन्न अभिलेखाधिकारी (सामान्य) को तदर्थ आधार पर अभिलेखाधिकारी (सामान्य) के रूप में नियमित अस्थायी आधार पर 1 जनवरी 1982 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

बी. आर. शर्मा
प्रशासन अधिकारी
कृते अभिलेख निदेशक

आकाशवाणी: महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1982

सं. 4(33)/81-एस-1—महानिदेशालय आकाशवाणी श्रीमती एस. एस. विजया, कनिष्ठ उद्घोषक, आकाशवाणी मैसूर को 28 जनवरी, 1982 से अगले आदेश तक आकाशवाणी गुलबर्गा में अस्थायी रूप में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं. 4(36)/81-एस-1—महानिदेशालय, आकाशवाणी, श्री आर. सुब्रह्मण्यन कार्यक्रम उद्घोषक, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, मद्रास को 27 जनवरी, 1982 से अगले आदेश तक, आकाशवाणी, तिरुनेलवेली में, अस्थाई रूप में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं. 4(25)/81-एस-1—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री कृष्ण चन्द दूबे, सहायक सम्पादक, रेडियो कश्मीर, जम्मू को 18 जनवरी, 1982 से अगले आदेश तक, आकाशवाणी, रोहतक में, अस्थाई रूप में, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं. 4(45)/81-एस-1—महानिदेशक आकाशवाणी एतद्-द्वारा श्रीमती मीरा पहूजा प्रसारण निष्पादक, आकाशवाणी, नई दिल्ली को 15 दिसम्बर, 1981 की अपराह्न से अगले आदेश तक आकाशवाणी नई दिल्ली में कार्यक्रम निष्पादक के रूप में अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 12 फरवरी 1982

सं. 5(30)/68-एस-1—महानिदेशक आकाशवाणी श्री वी. के. घोष प्रसारण निष्पादक, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी कलकत्ता को 16 जनवरी, 1982 से अगले आदेश तक आकाशवाणी सिलीगुड़ी में अस्थायी रूप में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 16 फरवरी 1982

सं. 10/6/78-एस-3—श्री अरुण कुमार सहायक इंजीनियर, आकाशवाणी दरभंगा के, सिविल विमानन विभाग में वैमानिक संचार संगठन में तकनीकी अधिकारी के पद पर चयन होने पर, 27-1-82 (अपराह्न) से आकाशवाणी में उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

हरीशचन्द्र जयाल
प्रशासन उपनिदेशक (कार्यक्रम)
कृते महानिदेशालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 1982

सं. 13-18174 प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 31-1-1981 के अपराह्न से सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के दन्त चिकित्सक डा. नरेश कुमार की सेवायें समाप्त कर दी हैं।

टी. सी. जैन
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 1982

सं. ए-19018/17/80-सी. जी. एच. एस.-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा. आई. एम. सर्वेन्द्र को 24 दिसम्बर, 1981 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पूणे में होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

सं. ए-19018/25/80-सी. जी. एच. एस.-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा. एस. लिंगे को 1 दिसम्बर, 1981 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

सं. ए-19019/30/80-सी. जी. एच. एस.-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा. (श्रीमती) संध्या राय को 2-3-1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

सं. ए-19018/22/81-के. स. स्वा. यो.-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा. गुरु प्रसाद भार को 7 दिसम्बर, 1981 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बम्बई में होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

टी. एस. राव
उप निदेशक प्रशासन
(सी. जी. एच. एस.)

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 18 जनवरी, 1982

सं० ए० 19025/56/81-प्र० तृ०:—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से इस निदेशालय में स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग I) के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

1. श्री के० पी० उपाध्याय	26-11-81	(पूर्वाह्न)
2. श्री प्रदीप व्यास	26-11-81	(पूर्वाह्न)
3. श्री एम० पी० रेड्डी	30-11-81	
4. श्री सी० अनजनेयलु	1-12-81	(पूर्वाह्न)
5. श्री के० सुकुमारन अचारी	1-12-81	(पूर्वाह्न)

सं० ए० 19025/70/81-प्र० तृ०:—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति इस निदेशालय के अधीन नागपुर में, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से स्थानापन्न, सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग I) के पद पर नियुक्त किए गए हैं:—

1. श्री मृणाल कुमार द्विवेदी	19-12-81	(पूर्वाह्न)
2. श्री नलपति श्रीरामुलु	21-12-81	(पूर्वाह्न)
3. श्री गुडिपति विद्यासागर	21-12-81	(पूर्वाह्न)
4. श्री दिल प्रकाश	21-12-81	(पूर्वाह्न)
5. श्री गड्डिराजू राम मोहन राजू	21-12-81	(पूर्वाह्न)
6. श्री नन्दलाल राम	28-12-81	(पूर्वाह्न)

बी० एल० मनिहार,
निदेशक प्रशासन,
कृते कृषि विपणन सलाहकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कार्मिक प्रभाग

बम्बई-400085, दिनांक 10 फरवरी 1982

सं. पीए/73(11) 80-आर-4—निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र डा. छवाली प्रकाश को भा. प. अ. केन्द्र के चिकित्सा प्रभाग में आवास चिकित्सा अधिकारी के पद पर फरवरी 5, 1982 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

ए. शांताकुमारा मेनन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र

कलपाक्कम, दिनांक 29 जनवरी 1982

सं. आर. आर. सी/पी एफ/3688/82/1290—रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र के निदेशक ने श्री चिन्नापन नन्दगोपाल को 18 जनवरी, 1982 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक के लिए रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र में रु. 650-30-740-35-810-द. रो.-880-40-1000-द. रो.-40-1200 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एस बी' के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है।

सं. आर. आर. सी./ए/32023/1/77/आर-1291—रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र के निदेशक ने रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र के स्थायी आशुलिपिक तथा स्थानापन्न आशुलिपिक ग्रेड-III श्री मुथय्या कृष्णमूर्ति को 8-1-82 से 23-2-82 तक की अवधि के लिए उसी केन्द्र में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री आर. रघुनाथन के स्थान पर की गई है, जो नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट आफ सेक्रेटेरियट ट्रेनिंग एंड मेनेजमेंट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

एस. पद्मनाभन
प्रशासनिक अधिकारी

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 16 फरवरी, 1982

सं० ए० 38019/1/77-ई० (I):—भारत मौसम विज्ञान विभाग के निम्नलिखित अधिकारी, अपने नामों के सामने दी गई तारीख को वार्धक्य आयु पर पहुंचने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

क्र० सं०	नाम	पदनाम	दिनांक जिसको अधिकारी ने निवृतन आयु प्राप्त की
1	2	3	4
1.	श्री के० डी० टनपे	सहायक मौसम विज्ञानी	31-8-81 (अपराह्न)
2.	श्री एस० एम० रुद्रा	सहायक मौसम विज्ञानी	31-8-81 (अपराह्न)
3.	श्री टी० जी० चंग्रानी	सहायक मौसम विज्ञानी	30-9-81 (अपराह्न)
4.	श्री एन० एम० सुन्दरम	सहायक मौसम विज्ञानी	30-9-81 (अपराह्न)
5.	श्री जे० जे० मसिलमानी	सहायक मौसम विज्ञानी	30-9-81 (अपराह्न)
6.	श्री एस० वेन्कटरमणी	सहायक मौसम विज्ञानी	30-9-81 (अपराह्न)
7.	श्री हरबंस सिंह	सहायक मौसम विज्ञानी	30-9-81 (अपराह्न)
8.	श्री आर० एम० जोशी	सहायक मौसम विज्ञानी	31-10-81 (अपराह्न)
9.	श्री टी० एम० सम्बामुर्ती	सहायक मौसम विज्ञानी	30-11-81 (अपराह्न)
10.	श्री पी० मानीक्कम	सहायक मौसम विज्ञानी	30-11-81 (अपराह्न)
11.	श्री एन० आर० वेङनप	सहायक मौसम विज्ञानी	30-11-81 (अपराह्न)
12.	श्री बी० ए० कल्याणकर	सहायक मौसम विज्ञानी	31-12-81 (अपराह्न)
13.	श्री ए० के० नन्दी	सहायक मौसम विज्ञानी	31-12-81 (अपराह्न)
14.	श्री वी० नागर	सहायक मौसम विज्ञानी	31-12-81 (अपराह्न)
15.	श्री के० एस० कृष्णास्वामी	सहायक मौसम विज्ञानी	31-12-81 (अपराह्न)
16.	श्री एम० एल० वडेहरा	सहायक मौसम विज्ञानी	31-1-82 (अपराह्न)
17.	श्री वाई० के० जोगलेकर	सहायक मौसम विज्ञानी	31-1-82 (अपराह्न)
18.	श्री एस० एन० सक्सेना	सहायक मौसम विज्ञानी	31-1-82 (अपराह्न)
19.	श्री एस० गोविन्दराजन	सहायक मौसम विज्ञानी	31-1-82 (अपराह्न)
20.	श्री बी० टी० चक्रवर्ती	सहायक मौसम विज्ञानी	31-1-82 (अपराह्न)

सं. ए-38019/1/77-ई-(1)—भारत मौसम विज्ञान-विभाग के श्री ए. आर. रामकृष्णन, निदेशक, दिनांक 31-8-81 को वार्धक्य आयु पर पहुंचने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

के. मुखर्जी
मौसम विज्ञानी
कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 1982

सं. ए-3[illegible]013/16/81-ई-I—राष्ट्रपति ने श्री आर. नरसिंहमन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को (दिनांक 30-1-82 से 29-7-82 तक) छः मास की अवधि के लिए अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप-

निदेशक (अनुसंधान और विकास) के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

सुधाकर गुप्ता
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी, 1982

सं० ए० 32013/2/80-ई०सी०—इस विभाग की दिनांक 8/9 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना सं० ए०-32013/2/80-ई०सी० के क्रम में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सहायक तकनीकी अधिकारियों की तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में की गई तदर्थ नियुक्ति दिनांक 31-5-81 के बाद छ: मास की अवधि के लिए अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हों, जारी रखने की मंजूरी दी है :—

क्रम सं०	नाम	तैनाती स्टेशन
1	2	3
	सर्वश्री :	
1.	एच० एस० गाहले	वैमानिक संचार स्टेशन, लखनऊ।
2.	डी० एस० गिल	रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, नई दिल्ली।
3.	एस० के० दास	वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता।
4.	पी० वी० सुब्रह्मण्यम	वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई
5.	एस० राजारमन	वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई
6.	एम० वी० दर्भे	वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई,
7.	एन० एस० सिद्ध	केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो नई दिल्ली।
8.	एम० आर० पदमनाथन	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद।
9.	एस० रामास्वामी	वैमानिक संचार स्टेशन, पोर्टब्लेयर।
10.	पी० ए० शास्त्री	वैमानिक संचार स्टेशन कलकत्ता।
11.	के० बी० नन्दा	वैमानिक संचार स्टेशन, श्रीनगर।
12.	एल० आर० गोयल	रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, नई दिल्ली।
13.	एच० एस० बाजवा	वैमानिक संचार स्टेशन, जयपुर।
14.	आर० जी० राव	वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास।
15.	एच० एस० ग्रेवाल	रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, नई दिल्ली।

दिनांक 9 फरवरी 1982

सं. ए. 32013/5/80-ई. सी.—राष्ट्रपति ने महानिदेशक नागर विमानन मुख्यालय के श्री आर. एस. गहलोत, सहायक निदेशक संचार को दिनांक 27-1-1982 (पूर्वाह्न) से छ: मास की अवधि के लिए उप निदेशक/नियंत्रक संचार के ग्रेड में नियुक्त किया है और उसी कार्यालय में तैनात किया है।

सं० ए०-32013/2/81-ई० सी०:—राष्ट्रपति ने नागर विमानन विभाग के निम्नलिखित सहायक तकनीकी अधिकारियों को, प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से छ: मास की अवधि के लिए और दिए गए स्टेशन पर तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	वर्तमान तैनाती स्टेशन	नया तैनाती स्टेशन	कार्य ग्रहण करने की तारीख
	सर्वश्री			
1.	वाई० पी० भाटिया	लखनऊ	वै० सं० स्टेशन, पालम	22-1-1982 (पूर्वाह्न)
2.	आई० एम० कृष्णन्	मदुरै	वै० सं० स्टेशन, त्रिवेन्द्रम	18-1-1982 (पूर्वाह्न)
3.	एन० एस० आप्टे	जबलपुर	वै० सं० स्टेशन, बम्बई	22-1-1982 (पूर्वाह्न)
4.	पी० के० सेन गुप्ता	सिलचर	वै० सं० स्टेशन, कलकत्ता	7-1-1982 (पूर्वाह्न)

प्रेम चन्द,
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक नवम्बर 1981

सं. 1/32/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा स्विचन समूह, बम्बई के तकनीकी सहायक, श्री एम. नम्पूथीरी को नियमित आधार पर 1 दिसम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक बम्बई शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

दिनांक 28 नवम्बर 1982

सं. 1/496/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा मुख्य कार्यालय के परियात लेखाकार, श्री टी. एस. एन. मूर्ति को अल्पकालीन खाली जगह पर 19-10-81 से 5-12-81 तक की अवधि के लिए उसी कार्यालय में एकदम तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से परियात लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 23 दिसम्बर 1981

सं. 1/194/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा स्विचन समूह के तकनीकी सहायक, श्री ए. बी. सिल को नियमित आधार पर 1 दिसम्बर 1981 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्विचन समूह, बंबई में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

दिनांक 24 दिसंबर 1981

सं. 1/45/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा स्विचन समूह, बम्बई के तकनीकी सहायक, श्री एन. एम. मकवाना को नियमित आधार पर 1 दिसम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

दिनांक 23 जनवरी 1982

सं. 1/27/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा बम्बई शाखा के तकनीकी सहायक, श्री एस. के. गुप्ता को नियमित आधार पर 1 दिसम्बर, 1981 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्विचन समूह, बम्बई में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

सं. 1/73/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा बम्बई शाखा के तकनीकी सहायक, श्री एस. एस. मलिक को नियमित आधार पर 1 दिसम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्विचन समूह, बम्बई में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

दिनांक 3 फरवरी 1982

सं. 1/11/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा स्विचन समूह, बम्बई के तकनीकी सहायक, श्री आर. के. मास्ते को नियमित आधार पर 1 दिसम्बर 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

पा. कि. गोविन्द नायर
निदेशक (प्रशा.)
कृते महानिदेशक

———

बम्बई, दिनांक जनवरी 1982

सं. 1/357/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा स्विचन समूह, बम्बई के तकनीकी सहायक, श्री वी. वी. वरदन को 4 मई, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक मुख्य कार्यालय में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

सं. 1/335/81-स्था.—बम्बई शाखा के उप परियात प्रबन्धक, श्री एफ. पी. डी सोफा निवर्तन की आयु के हो जाने पर 31 जनवरी, 1982 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए।

दिनांक 23 जनवरी 1982

सं. 1/109/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा अ. एस. ई. एस., लच्छीवाला, देहरादून शाखा के तकनीकी सहायक, श्री जी. आर. गांगीया को नियमित आधार पर 15 दिसम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नई दिल्ली शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

सं. 1/497/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा नई दिल्ली शाखा के तकनीकी सहायक, श्री फ्रांसीस थामस को नियमित आधार पर 1 दिसम्बर 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

दिनांक 6 फरवरी 1982

सं. 1/5/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा स्विचन समूह, बम्बई के तकनीकी सहायक, श्री एस. के. आर्य को नियमित आधार पर 1 दिसम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

दिनांक 12 फरवरी 1982

सं. 1/257/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महा निदेशक एतद्द्वारा बम्बई शाखा के पर्यवेक्षक, श्री जी. सी. डीलिमा को बिल्कुल तदर्थ आधार पर अल्पकालिक रिक्ति पर 2-5-81 से 18-8-81 तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से उप परियात प्रबन्धक नियुक्त करते हैं।

सं. 1/84/82-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा कलकत्ता के पर्यवेक्षक, श्री एस. तिर्के को बिल्कुल तदर्थ आधार पर अल्पकालीन रिक्ति पर 26-10-81 से 10-11-81 की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से उप परियात प्रबन्धक नियुक्त करते हैं।

सं. 1/459/82-स्था.—स्विचन समूह, बम्बई के स्थानापन्न सहायक अभियंता, श्री एस. जयराज को 23 जनवरी, 1982 अपराह्न से अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र देने की अनुमति दी गयी है।।

सं. 1/498/-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा आर्वी शाखा के तकनीकी सहायक, श्री डी. अष्टीकर को नियमित आधार पर 1 दिसम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

सं. 1/499/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महा निदेशक एतद्द्वारा बम्बई के पर्यवेक्षक, श्री जे. डी. केतकर को बिल्कुल तदर्थ आधार पर अल्पकालीन रिक्ति पर नीचे दी गई अवधियों के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से उप परियात प्रबन्धक नियुक्त करते हैं :—

1. 12-10-81 से 14-11-81
2. 16-11-81 से 31-12-81

सं. 1/501/82-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा कलकत्ता के तकनीकी सहायक, श्री मातल मधुसूदन को नियमित आधार पर, 29-12-81 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अ. उ. भू. के., लच्छीवाला, देहरादून शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

सं. 1/502/82-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा नई दिल्ली शाखा के तकनीकी सहायक, श्री राम प्रकाश को नियमित आधार पर 19 दिसंबर, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अ. एस. ई. एस., लच्छीवाला, देहरादून शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

सं. 1/503/82-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा आर्वी के तकनीकी सहायक, श्री के. पी. वर्मा को नियमित आधार पर 1-12-81 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

सं. 1/508/81-स्था.—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा नई दिल्ली के तकनीकी सहायक, श्री जी. एस. छटवाल को नियमित आधार पर 24-12-81 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अ. उ. भू. के. लच्छीवाला, देहरादून शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

दिनांक 15 फरवरी 1982

सं. 1/125/82--स्था.--विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा नई दिल्ली के पर्यवेक्षक, श्री एच. जी. कनकाचलम को बिलकुल तदर्थ आधार पर अल्पकालीन रिक्ति पर 1-9-81 से 24-9-81 तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप में उप परियात प्रबन्धक नियुक्त करते हैं।

एच. एल. मलहोत्रा
उप निदेशक (प्रशा.)
कृते महानिदेशक

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय,

बम्बई–1, दिनांक 16 फरवरी 1982

सं०-एम० टी० 2/80–81:—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 232–ए० के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा–9 के अधीन न्यायालय द्वारा दोषी पाये गये व्यक्तियों, और अधिनियम की धारा-33 में संदर्भित अधिकारी द्वारा रु० 10,000/– या इससे अधिक की राशि के लिए दण्डित व्यक्तियों, के नाम व पते उपनियम-2 में उल्लिखित अन्य विवरणों सहित निम्न प्रकार से प्रकाशित किये जाते हैं --

I. न्यायालय के मामले

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम	पता	अधिनियम के किन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया	दण्ड राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री काकुभाई कल्यानजी सरैया, प्रोप्राइटर, मसर्स सरैया इंजीनियरिंग कम्पनी	159/3, कावले क्राम लेन, नम्बर–6, बम्बई–2.	(क) धारा-9(1)(क) (ख) धारा-9(1)(ख) (ग) धारा-9(1)(ख)(ख) (घ) धारा-9(1)(ख ख ख) के साथ पठित धारा-9(i)(ii) के अन्तर्गत	(क) रु० 100/– दंड न भरने पर 7 दिन का साधारण कारावास। (ख) रु० 100/– दंड न भरने पर 1 मास का साधारण कारावास। (ग) रु० 100/– दंड न भरने पर 1 मास का साधारण कारावास। (घ) रु० 100/– दंड न भरने पर 1 मास का साधारण कारावास

II. विभागीय न्याय-निर्णयन

क्र० सं०	व्यक्ति का नाम	पता	अधिनियम के प्रावधान या उसके अन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन किया किया गया।	दण्ड-राशि	धारा-33 के अंतर्गत न्यायनिर्णित शुल्केय माल का मूल्य, जो जब्त किया जाना है।	अधिनियम की धारा–34 के अधीन जब्ती के स्थान पर अर्थ-दंड की राशि।
1	2	3	4	5	6	7

—————शून्य—————

कु० श्री दिलीपसिंहजी,
समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
बम्बई–1

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय,

सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 फरवरी 1982

सं. 2/82—श्री मोहतोष चटर्जी ने, जो पहले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नई दिल्ली में मूल्य निर्धारक के पद कार्य कर रहे थे, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, नयी दिल्ली में "सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण" के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की दिल्ली स्थित न्यायापीठ में दिनांक 13-1-82 को (अपराह्न) कनिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि ग्रुप "ख" के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं. 3/82—श्री रमिन्दर सिंह ने, जो पहले मेरठ में ग्रुप "बी" अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के पद पर कार्यरत थे, निदेशालय के दिनांक 10-12-81 के पत्र फा. सं. 1041/2/81 के अनुसार निदेशालय के नयी दिल्ली स्थित मुख्यालय में दिनांक 1-2-82 (पूर्वाह्न) से निरीक्षण अधिकारी ग्रुप "बी" का कार्यभार संभाल लिया।

एस. बी. सरकार
निरीक्षण निदेशक

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 1982

सं. 22/1/81/22/4/81-प्रशासन-1 (बी)—अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण एतद्द्वारा, श्री मांगे राम, तकनीकी सहायक को केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी (ग्रुप बी) सेवा के अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के ग्रेड में 13 जनवरी, 1982 पूर्वाह्न से स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक, नियुक्त करते हैं।

सन्तोष विश्वास
अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और इमाम प्रोप्रटीज एण्ड फेब्रीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पटना, दिनांक 10 फरवरी 1982

सं. (1226) 560/78-79/4641—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर इमाम प्रोप्रटीज एण्ड फेब्रीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ए. वहाब अन्सारी
कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार

आयकर आयुक्त का कार्यालय

कोचीन-682016, दिनांक 27 जनवरी 1982

आदेश

विषय :—संस्थापना—आयकर अधिकारी—श्रेणी 'बी'—पदोन्नतियां और नियुक्तियों का आदेश जारी करना।

सी० सं० 2/एस्ट/कोण/81-82—निम्नलिखित पदोन्नतियां और नियुक्तियों का आदेश एतद्द्वारा दिया जाता है :—

1. श्री के० एस० विजयन, आयकर निरीक्षक, आयकर कार्यालय, एरणाकुलम, को तारीख 1-2-1982 के पूर्वाह्न से या उनके कार्यभार लेने की तारीख से, जो बाद में आता है और आगामी आदेशों तक रु० 650-30-740-35-810-ई० बी०-35-880-40-1000-ई० बी०-40-1200 के वेतनमान में आयकर अधिकारी, श्रेणी-बी० के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर होंगे। उपर्युक्त पदों की नियुक्ति बिलकुल अस्थायी और सामयिक है, जो किसी सूचना के बिना समाप्त करने लायक है।

2. स्थानान्तरण और नियुक्तियां

क्रम सं०	नाम	से	पर	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	श्री एच० सुब्ब राव	आयकर अधिकारी, ए०—वार्ड, सर्वे सर्किल एरणाकुलम।	आयकर अधिकारी, बी०—वार्ड, एरणाकुलम.	(31-1-1982 को सेवानिवृत्त होने वाले श्री टी० टी० जोसफ के स्थान पर)।

1	2	3	4	5
2.	श्री एम० गोपालकुरुप	आयकर अधिकारी, बी०—वार्ड, सर्वे सर्किल, एरणाकुलम।	आयकर अधिकारी, ए०—वार्ड, सर्वे सर्किल, एरणाकुलम।	स्थानान्तरण किए गए श्री एच० सुब्बा राव के स्थान पर।
3.	श्री के० एस० विजयन	आयकर निरीक्षक, (आयकर अधिकारी, श्रेणी—बी० के रूप में पदोन्नति पर)	आयकर अधिकारी, बी०—वार्ड, सर्वे सर्किल, एरणाकुलम	स्थानान्तरण किए गए श्री एम० गोपालकुरुप के स्थान पर।

श्री के० एस० विजयन के कार्यभार से मुक्त करने तक श्री गोपालकुरुप, बी०—वार्ड, सर्वे सर्किल, एरणाकुलम का कार्यभार अतिरिक्त रूप से संभालेंगे।

एम० एस० उण्णिनायर
आयकर आयुक्त

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 15 जनवरी 1982

निर्देश सं. III 539/अर्जन/81-82—अतः मुझे, हृदय नारायण,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है
और जिसकी सं. होल्डींग सं. 31 खाता सं. 31 खसरा सं. 26, पार्ट पुराना खाता सं. 13, खेसरा सं. 731क 731ख तथा 732 पार्ट वार्ड नं. 28 है तथा जो मुहल्ला मुसाईचक उर्फ चमरुपुर, मुजफरपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफरपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-6-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अनुरागवती देवी जौजे श्री जगरनाथ प्रसाद गुप्ता, मुहल्ला मुसाईचक उर्फ चमरुपुर, थाना काजी मोहम्मदपुर, जिला मुजफरपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री राधा कृष्ण सिंह पुत्र स्वर्गीय हृदय नारायण सिंह ग्राम छपरा गोविन्द उर्फ गोविन्दपुर छपरा, वर्तमान पता :— मुहल्ला गनीपुर अन्तर्गत मुजफरपुर, थाना काजी मोहम्मदपुर, जिला मुजफरपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा 3 कट्ठा 9 धूर के करीब मकान के साथ है जो मुहल्ला मुसाईचक उर्फ चमरुपुर, शहर मुजफरपुर, थाना काजी मोहम्मदपुर, जिला मुजफरपुर में स्थित है तथा जो पूर्ण-रूप से वासिका संख्या 8962 दिनांक 10-6-81 में वर्णित है एवं जिसका निबंधन जिला अवर निबन्धक पदाधिकारी मुजफरपुर द्वारा सम्पन्न हुआ है।

हृदय नारायण
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

तारीख : 15-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कोचीन-16

कोचीन-16, दिनांक 8 दिसम्बर 1981

निर्देश सं. एल. सी. 543/81-82—अतः मुझे, टी. जेड. माणी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. अनुसूची के अनुसार है तथा जो कैपाट्टूर करा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मूलनुरुती, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-9-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गोपी।

(अन्तरक)

(2) श्री पी. एन. वेलायुधन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

2 Acres of Land in Sy. No. 416/1 of Azhakather Desem, Kaippattar kara, Kanayannoor taluk.

टी. जेड. माणी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 8-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कोचीन-16

कोचीन-16, दिनांक 8 दिसम्बर 1981

निर्देश सं. एल. सी. 542/81-82—अतः मुझे, टी. जेड. माणी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं. अनुसूची के अनुसार है, तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोचीन में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-6-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सुपर सी फूड के लिए ए. जेड. मात्यू।
(अन्तरक)

(2) श्री कोयाम गर्फजेमन।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

72 cents of land and building in Sy. No. 1033/1, 1034/2, 1033/3 and 1034/1 as per document No. 2355 dt. 4-6-81 registered at sub Registry office Cochin. The properties are situate at Palluruthy Vadakum Muni, Rameswaram Village, Cochin Taluk.

टी. जेड. माणी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 8-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 1981

निर्देश सं. राज./सहा. आ. अर्जन/1099—अतः मुझे, एम. एल. चौहान, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है और जिसकी सं. प्लाट नं. 309 है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-7-1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रूपा राम पुत्र अमोलक सुथार एवं दाना राम पुत्र प्रहलाद राम जागिड, शास्त्री नगर, जोधपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती हेजी बाई पत्नी श्री थावरदास एवं महेश कुमार पुत्र थावरदास धनकानी सिंधी, निवासी प्लाट नं. 309, शास्त्री नगर, जोधपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 309, सेक्सन-4, सेक्टर ए, शास्त्री नगर, जोधपुर की मकान सम्पत्ति का भाग, जो उप पंजियक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1743 दिनांक 27-7-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 9-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 1981

निर्देश सं. राज/सहा आ. अर्जन/1102—यतः मुझे, एम. एल. चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. प्लाट नं. 309 है तथा जो जौधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जौधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-7-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री रूपराम पुत्र अमलोक सुथार एवं श्री दाना राम पुत्र प्रहलाद जागिड, निवासी शास्त्री नगर, जौधपुर।

(अन्तरक)

(2) डा. सुन्दर एवं श्री हरीश पुत्रान थावरदास सिंधी, निवासी प्लाट नं. 309 ए मसूरिया, शास्त्री नगर, जौधपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 309, सैक्सन-4, सैक्टर ए, जौधपुर में स्थित सम्पत्ति का भाग, जो उप पंजीयक, जौधपुर द्वारा क्रम संख्या 1744, दिनांक 24-7-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 9-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 1981

निर्देश सं. राज/सहा आ. अर्जन/1103—यतः मुझे, एम. एल. चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं. प्लाट नं. 309 है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-7-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

(1) श्री रूपा राम पुत्र अमोलक सुथार एवं श्री दानाराम पुत्र प्रहलाद राम जांगिड, निवासी शास्त्री नगर, जोधपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री किशन एवं हरीश पुत्रान थावरदास जी धनकानी निवासी प्लाट नं. 309, मशूरिया, शास्त्री नगर, जोधपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 309, सैक्सन-4, सैक्टर ए, शास्त्री नगर, जोधपुर पर स्थित मकान सम्पत्ति का भाग, जो उप पंजियक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1745, दिनांक 24-7-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 9-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 1981

निर्देश सं. राज/सहा आ. अर्जन/1100—यतः मुझे, एम. एल. चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. प्लाट नं. 53 है तथा जो जौधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जौधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती) (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती बानो बेगम पत्नी श्री अब्दुल रशीद, नागोरी, सिलावटा का बास, जौधपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गणेशी देवी पत्नी रामस्वरूप, श्री राम रतन पुत्र राम स्वरूप श्री रामाकिशोर पुत्र रामस्वरूप, डाडीवारों का मोहल्ला, जौधपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट न. 53, सेक्टर बी, शास्त्री नगर, जौधपुर जो उप पंजियक, जौधपुर द्वारा क्रम संख्या 1435, दिनांक 22-6-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 9-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 1981

निर्देश सं. राज/सहा. आ. अर्जन/1101—यतः मुझे, एम. एल. चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 660 ए है तथा जो जौधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जौधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-6-1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सर्वश्री मोतीराम एवं जेठा नन्द पुत्रान नानूमल, निवासी रेजीडेन्सी रोड, सरदारपुरा, जौधपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती वीणा पत्नी श्री जगदीश कलवानी, सोजता गेट के अन्दर, जौधपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 660 ए रेजीडेन्सी रोड, सरदारपुरा, जौधपुर जो उप पंजीयक, जौधपुर द्वारा क्रम संख्या 1411, दिनांक 17-6-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 9-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 1981

निर्देश सं. राज./सहा. आ. अर्जन/1104--यतः मुझे, एम. एल. चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. प्लाट नं. 15 है, तथा जो जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-7-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री कृष्ण कान्त व्यास पुत्र श्री रामकिशोर व्यास, श्री कमल कान्त व्यास व श्रीकान्त व्यास पुत्र श्री कृष्ण कान्त व्यास, निवासी सी-60 तिलकनगर, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती राजकुमारी, श्री शिखर चन्द पालावत, श्री ज्ञानचन्द पालावत व श्री तिलक सिंह पालावत, निवासी हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 15, शिवाजी मार्ग, डिग्गी हाउस, जयपुर जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2009 दिनांक 28-7-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 9-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28 जनवरी 1982

निदेश सं. राज/सहा आ. अर्जन—यतः मुझे, एम. एल. चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. सी-31ए है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-6-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विनोद ठक्कर पुत्र श्री विलफ्रेड ठक्कर, निवासी सी-31-ए चौमू हाउस, सी-स्कीम, जयपुर।
(अन्तरक)

(2) श्री मेजर फतेह सिंह पुत्र ठाकुर अम्बादान सिंह, निवासी डी-42, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. सी-31 ए सरदार पटेल मार्ग, जगन पथ, चौमू हाउस, जयपुर जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1539 दिनांक 23-6-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 28-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28 जनवरी 1982

निदेश सं. राज/सहा आ. अर्जन/1126—यतः मुझे, एम. एल. चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है
और जिसकी सं. प्लाट नं. 2/ए/4 है तथा जो जोधपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-10-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रीतम कंवर पत्नी ठाकुर नरपत सिंह जी, राई का बाग, जोधपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मनोहर देवी पत्नी कन्हैयालाल जी, निवासी केसरबाड़ी, जोधपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 2/ए/4, पावटा बी रोड, जोधपुर जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 2265 दिनांक 3-10-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 28-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28 जनवरी 1982

निर्देश सं. राज./सहा आ. अर्जन/1137—यत: मुझे, एम. एल. चौहान, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. प्लाट नं. 2/ए/1 है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-10-1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमती प्रीतम कंवर पत्नी नरपत सिंह राजपूत, निवासी पावटा, जोधपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री जमनालाल पुत्र कन्हैयालाल टाटीया, निवासी जोधपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट वाके मेडती गेट के बाहर, जोधपुर जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 2262 दिनांक 3-10-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 28-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28 जनवरी 1982

निर्देश स. राज./सहा आ. अर्जन/1025—यतः मुझे, एम. एल. चौहान, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. प्लाट नं. 2/ए/1 है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-10-1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रीतम कंवर पत्नी नरपत सिंह जी राजपूत निवासी राई का बाग, जोधपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री केसरीमल बैद पुत्र सुखलाल बैद, निवासी मोहनपुरा, जोधपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 2/ए/1, पावटा बी रोड, जोधपुर जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 2264/ए दिनांक 3-10-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 28-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28 जनवरी 1982

निर्देश स राज /सहा आ अर्जन/1124—यत मुझे, एम एल चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी स प्लाट न 2/ए/2 है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-10-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रीतम कंवर पत्नी नरपत सिंह जी राजपूत निवासी तहसील फुलेरा, वर्तमान निवासी राई का बाग, जोधपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री आनन्द कुमार पुत्र केसरीमल जी बैद, निवासी मोहनपुरा, जोधपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट न 2/ए/2 जो पावटा बी रोड, जोधपुर जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम सख्या 2263 दिनाक 3-10-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम एल चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 28-1-1982
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 फरवरी 1982

निर्देश नं. 235/81-82—अतः मुझे, विवेक बनर्जी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं. 123/738 है तथा जो फजलगंज कालपी रोड कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नन्दकिशोर कौडिया आत्मज स्व. लालाद्वारिका दास कौडिया साकिन सिसवन बाजार जिला गोरखपुर जरिये मुख्तारआम जुगलकिशोर अगरवाल वल्द हीरालाल अगरवाल साकिन 3 बी सर्वोदय नगर कानपुर।

(अन्तरक)

2. श्री ज्ञानीराम आत्मज नरसिंहदास श्रीमती सीताराम अगरवाल पत्नी श्री आर. के. अगरवाल मास्टर सुरेन्द्र कुमार अगरवाल 14 मानतनाबालिग बविलायत श्री आर. के. अगरवाल संरक्षक व पिता साकिन 111/324 अशोक नगर कानपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं. 123/738 रकबा 2333.3 वर्गगज फजलगंज कानपुर में स्थित है।

विवेक बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 4-2-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 फरवरी 1982

निदेश नं. 230/81-82---अतः मुझे, विवेक बनर्जी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 85/30 है तथा जो कोपरगंज कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-6-81
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्वदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री प्रदीपकुमार बजाज आत्मज श्री द्वारिका प्रसाद बजाज निवासी मकान नम्बर 73/28 कलक्टरगंज कानपुर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती प्रेमलता पत्नी रामगोपाल, सुधीर कुमार, संजयकुमार दोनों ही पुत्र रामगोपाल सं. 52/17 शक्कर पट्टी कानपुर व श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी ओम प्रकाश व संदीपकुमार पुत्र ओमप्रकाश नि. 74/218 धनकुट्टी कानपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल संपत्ति नं. 85/30 रकबा 800 वर्गगज कोपरगंज कानपुर में स्थित है।

विवेक बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 4-2-82
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 21 जनवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1600—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं. फ्लैट नं. इ-2, वीट्ठल एपार्टमेंट, है। तथा जो रेस कोर्स रोड राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-6-81

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मे. वीट्ठल कंस्ट्रक्शन की ओर से श्री प्रानलाल वीट्ठलदास राजदेव और अन्य के/ओ वीट्ठल एपार्टमेंट, रेसकोर्स रोड, राजकोट।

(अन्तरक)

2. श्री चन्द्रकान्त चुनीलाल और अन्य फ्लैट नं. इ-2, वीट्ठल एपार्टमेन्ट रेसकोर्स रोड, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय-20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं. इ-2, वीट्ठल एपार्टमेन्ट, रेसकोर्स रोड, राजकोट में स्थित है, जिसका पूरण वरणन राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 4036/6-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख: 21-1-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 21 जनवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1601—अत: मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. फ्लैट नं. जे, 2, वीट्ठल एपार्टमेंट, है। तथा जो रेसकोर्स रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-6-81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मे. वीट्ठल कंस्ट्रक्शन की ओर से श्री प्रानलाल वीट्ठलदास राजदेव और अन्य के/आ वीट्ठल एपार्टमेंट, रेसकोर्स रोड, राजकोट। (अन्तरक)

2. श्री भरतकुमार लक्ष्मीदास समानी फ्लैट नं. जे-2, वीट्ठल एपार्टमेंट रेसकोर्स रोड, राजकोट। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं. जे-2, वीट्ठल एपार्टमेन्ट रेस कोर्स रोड, राजकोट में स्थित है, जिसका पूरण वरणन राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्री-खत नं. 4035/5-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।, अहमदाबाद

तारीख: 21-1-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 जनवरी 1982

निदेश नं. पी. आर नं. 1405/एक्वी/23--11/81-82--अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 259-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. बी. इन्ड 129-ए, सेन्ट्रल रोड, है। तथा जो उधना उद्योग नगर, उधना, में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-6-81
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

1. दी उधना उद्योग सहकारी संघ लिमिटेड, सेन्ट्रल रोड नं. 10, उधना।

(अन्तरक)

2. श्री शिवदास कानजी पटेल, 17-ए, राम निवास, माटुंगा रोड माटुंगा बाम्बे-400019।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो उधाना बी-इन्डस्ट्रियल 129-ए, सेन्ट्रल रोड यथाविधि जून, 1981 में रजिस्ट्री की गयी है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 12-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 जनवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1406/एक्वी/23-I/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं. आर. एस. नं. 26 पैकी है। तथा जो भोलाव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ब्रोच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरषद भाई एम. पटेल, सोणल एन्टरप्राइसेज ढेव मार्केट, ब्रोच।

(अन्तरक)

2. श्री प्रमुह राजुभाई पी. पटेल श्री राधाकृष्णनगर को-ओ-हा.-सोसाइटी लिमिटेड, ब्रोच।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो आर. एस. नं. 26 (पैकी) भोलाव, यथाविधि जून, 1981 में रजिस्ट्री की गई है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख: 20-1-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 जनवरी 1982

निर्देश सं. पि. आर. नं. 1407/एक्वी/23-II/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. नं. 18, माजामपुर है तथा जो बेरोडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ब्रोच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स नारहरी प्रसाद आनंद कां., मानेजीण भागीदार श्री दीलीप कुमार एन भाठ, प्रीतम सोसायिटी, ब्रोच।

(अन्तरक)

(2) अध्यक्ष, नुतन फलाट को-ओ-हु-सोसायिटी, श्री एम. ए. बानगवाला, के द्वारा षालीमार षोपीण सनेडर, ब्रोच।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो एस नं. 18 माजामपुर, सब-प्लाट नं. 5-6, यथाविधि जून, 1981 में रजिस्ट्री की गयी है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 20-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 जनवरी 1982

निदेश सं. पि. आर. नं. 1408/एक्वी/23-II/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. जैसा कि 37-जी फार्म में वर्णित किया गया है। तथा जिसका नं. 1208/81 है तथा जो ब्रोच जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ब्रोच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; **और/या**

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्--

(1) श्री चन्दू भाई मधुर भाई पटेल, श्री भगवान भाई मधुर भाई पटेल, सावेशवर, ता. ब्रोच।
(अन्तरक)

(2) संजय ओरगेनाइजर के भागीदारों :—
1. श्री फारसुराम रतीलाल भापवाला, प्रीतम सोसायिटी, ब्रोच।
2. श्री नागजी भाई मणेकलाल चुनावाला; वाडापाडा रोड, ब्रोच।
3. श्री राजन बलदेवदास शाह, गांधी ग्राम सोसायिटी, ब्रोच।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिल्कत जो 37-जी फार्म में वर्णित किया गया था जिसका नं. 1208/81 पर जून, 1981 में रजिस्ट्री की गयी है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 20-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 21 जनवरी 1982

निदेश न पि आर न 1409/एक्वी /23-II/81-82—अत मुझे, जी सी गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी स एस न 417/ए पैकी है, तथा जो बील्लीमोरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गानदेवी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा लिए।

अत अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री सापुरजी दादाभाई दानसीकामी, फाडवेल, त चिकली, जिला वालसाड।

(अन्तरक)

(2) ट्रस्टीस, हमीर फामीली ट्रस्ट —डा हमीर सोराव बिल्लीमोरा, दसेरा रोड, बिल्लीमोरा।
बिल्लीमोरा, दसेरा रोड, बिल्लीमोरा, डा सुरेश जयन्तीलाल सागवी, आनद बाग, बिल्लीमोरा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो दसेरा-एस न 417—ए पैकी जमीन यथाविधि जून, 1981 में रजिस्ट्री की गयी है।

जी सी गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख 21-1-1982
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 जनवरी 1982

निदेश नं. पि. आर. नं. 1410/एक्वी. 23-II/81-82——अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं. नं. 833 है, तथा जो वावोल गांव, गांधीनगर तालुका में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) श्री मानगल भाई भुला भाई, वावोल गांव, गांधीनगर तालुका।

(अन्तरक)

(2) 1. काशीबेन गीरधरलाल दलाल, 2. शान्तीलाल मानगलदास पटेल, 3. महेन्द्रभाई मगनलाल, 4. जय वीभीयाबन गीरधरभाई दलाल, 5 सुशीलाबेन सुरेन्द्रभाई दलाल, 6. प्रबोधभाई जसवन्तलाल शाह सब अहमदाबाद में रहते हों।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो वावोल गांव, में सर्वे नं. 833 पर स्थित है और गांधीनगर सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 22-6-81 में बिक्रीखत पर संपूर्ण वर्णित में रजिस्ट्रीकी गयी है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 22-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 जनवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1411/एक्वी./23-II/81-82—अत: मुझे, जी. सी. गर्ग,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. नं. 779 है, तथा वावोल गांव, गांधीनगर जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-6-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती सानदबेन गीरधरभाई भाट, वावोल गांव, गांधीनगर तालुका।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रशान्तकुमार प्रभुलभाई भट, जावेराज गांव, धोलका तालुका, अहमदाबाद जिला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो वावोल गांव, गांधीनगर जिला में सर्वे नं. 779 में स्थित है और जो गांधीनगर सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 4-6-1981 में बिक्रीखत पर सम्पूर्ण वर्णित पर रजिस्ट्री की गयी है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 22-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 जनवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1412/एक्वी./23-II/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं. नं. 87/1, 87/2 और 87/3 है, तथा जो वावोल गांव, गांधीनगर जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-6-1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री नापी वल्लभभाई नाराणभाई, 2. नापी वीनलभाई नाराणभाई, 3. नापी वीनलभाई नाराणभाई, 4. नापी कान्तीभाई मंगलदास, सब लोग वावोल गांव, गांधीनगर तालुका में रहते हैं।
(अन्तरक)

(2) वासुतारा को.-ओ.-हा.-सोसायटी, के द्वारा :—
(1) पुन्जीराम कछराभाई, वावोल गांव, (2) प्रभुदास माधाभाई, पामोल गांव, गांधीनगर तालुका।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुला जमीन जो वावोल गांव, गांधीनगर तालुका में सर्वे नं. 87/1, 87/2 और 87/3 पर स्थित है और जो गांधीनगर सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 2-6-1981 में बिक्रीखत नं. 979, 980 और 981 पर सम्पूर्ण वर्णित में रजिस्ट्री की गयी है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 22-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 25 जनवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1605 23-I/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. सर्वे नं. 823, पैकी न्यु सर्वे नं. 367 पैकी है, तथा जो भुज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भुज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1901 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-6-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पटेल शीवदास गोविंद छावैया।

(अन्तरक)

(2) श्री पटेल लालजी रामजी, गांव नागलपुर, तालुका मांडवी, कच्छ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो भुज में स्थित है, सर्वे नं. 823 पैकी न्यु सर्वे नं. 367 पैकी क्षेत्रफल 2 एकड़ 4 गुंठा तथा जिसका पूर्ण वर्णन भुज रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 1301/4-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 25-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 25 जनवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1604/एक्वी/23-II/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. — है, तथा जो लालपुर, तालुका लालपुर, जिला जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामजोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-6-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दारीया अरजन सोनी की ओर से भगवान अरजन सोनी, छगनलाल अरजन सोनी की ओर से प्रानलाल अरजन, लालपुर, जिला जामनगर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कुंवरबेन तरसीभाई भेसादडीया, लालपुर, जिला जामनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो लालपुर, जिला जामनगर में स्थित है, कुल क्षेत्रफल 7200 वर्ग फीट तथा जिसका पूर्ण वर्णन जामजोधपुर, जिला जामनगर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 153/20-6-1981 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 25-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 25 जनवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1603 23-I/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है
और जिसकी सं. प्लाट नं. 1656-ए है, तथा जो सरदारनगर, भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-6-1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रमनीकलाल वृजलाल व्यास, 1186-बी, घोघा सर्कल, भावनगर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती रामलक्ष्मी कालीदास दवे, हरेश कालीदास दवे, सरदारनगर, गुरुकुल के पीछे, भावनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान मिलकत जो सरदारनगर, भावनगर में स्थित है, जिसका प्लाट नं. 1656-ओ, क्षेत्रफल 800 वर्ग यार्ड है तथा जिसका पूर्ण वर्णन भावनगर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 1469/20-6-1981 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 25-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 25 जनवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1602/23-I/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं. 212 है, तथा जो चित्रा सीम, भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-6-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार, मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विनोदराय केशवलाल त्रिवेदी, गांव पछेगाम, तालुका गारीयाधार।

(अन्तरक)

(2) श्री जाडेजा दोलतसींग लघुभा, भैरवपरा, 9, पारस सोसायटी, पालीताना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जिसका सर्वे नं. 212, चित्रा सीम, भावनगर में स्थित है, क्षेत्रफल 428 वर्ग यार्ड, 357.82 वर्ग मीटर तथा जिसका पूर्ण वर्णन भावनगर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 1436/18-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 25-1-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, जी-13, ग्राउन्ड फ्लोर, सी. आर. बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1606/23-I/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. सर्वे नं. 780 'डी' पैकी है, तथा जो राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती जयेन्द्रबाला ए. मांकोडी, अमरनाथ प्लोट, कलावाड रोड, राजकोट।

(अन्तरक)

(2) श्री ललीतभाई माधवजीभाई नाथवानी, धर्मेन्द्र रोड, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जिसका सर्वे नं. 780 'डी' पैकी जमीन का क्षेत्रफल 473-4-0 वर्ग यार्ड, राजकोट में स्थित है, पूर्ण वर्णन राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 4701/जून, 1981 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश सं. पी. आर. नं. 1607 23-1/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं. 11, शीट नं. 121, सर्वे नं. 6132 है, तथा जो पोरबंदर, जिला जूनागढ़ में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-6-1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स हाजी मामद हाजी इस्माइल झवेरी की ओर से, पी. ओ. अंच., श्री रजबअली भाइजीभाई, बोरावड पोरबंदर।

(अन्तरक)

(2) श्री भानुशंकर लीलाधर जोषी और अन्य, छाया प्लोट, पोरबंदर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 5275 वर्ग यार्ड, जो पोरबंदर में स्थित है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन पोरबंदर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 2068/4-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1608/23-I/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), कि धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. खुली जमीन है, तथा जो मूलचंद की गली, दूधरेज, जिला सुरेन्द्रनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वढ़वान में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-6-1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:---

(1) वडवाला मंदीर गौशाला ट्रस्ट, ट्रस्टी :—श्री कल्यानदासजी गोमतीदासजी, दूधरेज, तालुका वढ़वान।

(अन्तरक)

(2) वडवालानगर को. ओ. हा. सोसायटी लिमिटेड, प्रमुख—श्री करनभाई भायाभाई भरवाड, दूधरेज, जिला वढ़वान।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 13 एकड़ 0 गुंठा जो दूधरेज, जिला वढ़वान में स्थित है, जिसका पूर्ण वर्णन वढ़वान रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 2639/15-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1609/23-1/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. प्लोट नं. 295 और 283 है, तथा जो अमरेली (सौराष्ट्र) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-6-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री कान्तीलाल मनीलाल भायानी, कलापीनगर लाठी, (जिला अमरेली)।

(अन्तरक)

(2) आदर्श कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 1761/1, गांधी रोड, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 459.65 और 356.38 वर्ग मीटर, प्लोट नं. 295 और 283 जो अमरेली, जिला राजकोट में स्थित है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्री-खत नं. 1579 और 1580/11-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1610 23-I/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-** रु. से अधिक है

और जिसकी सं. बीन खेती लायक जमीन है, तथा जो वांकानेर, जिला राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वांकानेर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जयाबेन प्रागजी, वांकानेर, जिला राजकोट।

(अन्तरक)

(2) फीशन सेरामीक इन्डस्ट्रीज की ओर से—श्री जेराज पीतांबर, वांकानेर, जिला राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बीन खेती लायक जमीन जिसका क्षेत्रफल 7623 वर्ग मीटर, जो वांकानेर, जिला राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन वाकानेर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 315/जून, 81 (37 जी. जून, 1981 में प्राप्त हुए है) में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1611 23-1/81-82—अत: मुझे, जी. सी. गर्ग,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. मिल बील्डींग है, तथा जो वांकानोर, जिला राजकोट और जोरावरनगर, जिला सुरेन्द्रनगर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वधावान में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-6-1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री अमरसिंहजी मील्स लिमिटेड, वांकानेर 363622, जिला राजकोट।
(अन्तरक)

(2) मे. कोरस (इन्डीया) लिमिटेड, प्लोट नं. 10, डी. इ. मोसेस रोड, वोरली, बम्बई-400018।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सब मिल बिल्डींग की बनावट मौसमी, जिसका कुल क्षेत्रफल 22,408 वर्ग मीटर, जमीन का क्षेत्रफल 131,020 और 8361 वर्ग मीटर जो स्टेशन रोड, वांकानेर, जिला राजकोट में स्थित है, जोरावरनगर, जिला सुरेन्द्रनगर मे बिल्डींग की बनावट मौसमी, जमीन का क्षेत्रफल 864.34 वर्ग मीटर तथा जिसका पूर्ण वर्णन वधावन रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 850/30-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख: 1-2-1982
मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश सं. पी. आर. नं. 1612 23-I/81-82——अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं. 1819 है, तथा जो वढ़वान, जिला वढ़वान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वढ़वान में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्री पटेल कुंज तेजा, धोबी पोल, वढ़वान सीटी।

(अन्तरक)

(2) श्री महीपतलाल कस्तूरचंद, मेहता मार्केट, सुरेन्द्र-नगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 3 एकड़, 0 गुंठा, सर्वे नं. 1819 वढ़वान में स्थित है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन वढ़वान रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 2771/23-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1613-23-1/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है।

और जिसकी सं. सर्वे नं. 2034 और 2033 है तथा जो वढ़वान, जिला वढ़वान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वढ़वान में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राठोड चीकुभाई शीवाभाई, वढ़वान सीटी, वढ़वान।

(अन्तरक)

2. श्री बालचंद कशलचंद शाह और अन्य, धागंधा, जिला वढ़वान।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सर्वे नं. 2033 और 2034, क्षेत्रफल 5 एकड़, 12 गुंठा और 1 एकड़ 34 गुंठा, जो वढ़वान में स्थित है, जिसका पूर्ण वर्णन वढ़वान रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 2434 और 2433/3-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1614-23-I/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं. 2028 और 2029 है, तथा जो वढ़वान, जिला वढ़वान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वढ़वान में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री पटेल विष्णुभाई अंबाराम, वढ़वान सीटी, वढ़वान।

(अन्तरक)

(2) श्री बोलचंद कसलचंद और अन्य, ध्रागंध्रा, जिला वढ़वान।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सर्वे नं. 2028 और 2029, क्षेत्रफल 2 एकड़, 38 गुंठा और 6 एकड़, 34 गुंठा, जो वढ़वान में स्थित है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन वढ़वान रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 2431/81 और 2432/81/3-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1615 23-।/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु. से अधिक

और जिसकी सं. फ्लेट नं. डी-3 है, तथा जो वीठल एपार्टमेन्ट, रेस कोर्स रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-6-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मे. वीठ्ठल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की ओर से भागीदार श्री प्रानलाल वीठ्ठलदास राजदेव और अन्य, रेस कोर्स रोड, राजकोट।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गुलाबदेवी कनैयालाल सुराना और अन्य, मुरलीधर शर्मा रोड, फेन्सी बाजार गौहाट (आसाम)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं. डी-3, वीठ्ठल एपार्टमेन्ट, रेस कोर्स रोड, राजकोट में स्थित है, जिसका पूर्ण वर्णन राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 3375/16-5-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रंज-।, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1616 23-।/81-82--अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं. 610, प्लोट नं. 3 से 7 है, तथा जो धागंधा, जिला सुरेन्द्रनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धागंधा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-6-1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में **कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री डाह्याभाई नाथभाई दलवाडी और अन्य, नरसीपरा, धागंधा।

(अन्तरक)

(2) श्री जलाराम को. आ. ग. सोसायटी लिमिटेड, प्रमुख रनछोड रतीलाल परीख, धांचीवाड, देसारका देहला, धागंधा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि **बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित **है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

जमीन, कुल क्षेत्रफल 2196.51 वर्ग मीटर, सर्व नं. 610, प्लोट नं. 3 से 7 जो धागंधा, जिला सुरेन्द्रनगर में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन धागंधा रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 1452/26-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रंज-।, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1617-23-I/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं. 610 प्लोट न 8 से 18 है, तथा जो धांगंधा, जिला सुरेन्द्रनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धांगंधा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-6-1981

को, पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री डाह्याभाई नाथुभाई दलवाडी और अन्य, नरसीपरा, धांगंधा।

(अन्तरक)

(2) मयूर को.-ओ.रा. सोसायटी लिमिटेड, प्रमुख--महेश मगनलाल व्यास, कसी कुवा के नजदीक, धांगंधा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 4601.15 वर्ग मीटर है, सर्वे नं. 610, प्लोट नं. 8 से 18, जो धांगंधा, जिला सुरेन्द्रनगर में स्थित है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन धांगंधा रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत न. 145/3/26-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1618-23-1/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं. 610, प्लोट नं. 19 से 26 है तथा जो धागंधा, जिला सुरेन्द्रनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धागंधा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-6-81

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री डाह्याभाई नाथभाई दलवाडी और अन्य, नरसीपरा, धागंधा।

(अन्तरक)

(2) श्री फलेश्वरचन्द को.-ओ.-हा.-सो. लिमिटेड, के./ओ. प्रमुख:—प्रदीपकुमार रमीकलाल पुजारा, फलगली धागंधा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 3002-52 वर्ग मीटर, सर्वे नं. 610, प्लोट नं. 19 से 26, जो धागंधा, जिला सुरेन्द्रनगर में स्थित है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन धागंधा रजिस्ट्रीकर्ता बिक्री-खत नं. 1454/26-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1619-23-1/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं. 438/2 पैकी विभाग-6 है, तथा जो गांव नाना मावा, जिला राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:---

(1) श्री देवजीभाई रनछोड़भाई सवालीया, मनहर प्लोट, शेरी नं. 7-8, विद्यानगर, राजकोट।

(अन्तरक)

(2) वृन्दावन को. ओ. हा. सोसायटी लिमिटेड की ओर से प्रोमोटर—श्री बचुभाई भगवानजी, पटेल नगर, शेरी नं. 1, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सर्वे नं. 438/2, क्षेत्रफल 2 एकड़, 20 गुंठा, जो गांव नानामावा, जिला राजकोट में स्थित है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 4842/11-6-1981 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. पी. आर. नं. 1620-23-I/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं. 438/2 है, तथा जो गाव नानामावा, जिला राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-6-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री केशवलाल रनछोडभाई, 7-8, विद्यानगर, राजकोट।

(अन्तरक)

(2) वृन्दावन को.-ओ.-हा. सोसायटी लिमिटेड की ओर से प्रोमोटर—श्री बचुभाई भगवानजी, पटेल नगर, शेरी नं. 1, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सर्वे नं. 438/2, क्षेत्रफल 2 एकड़, 0 गूंठा, जो गांव नानामावा, जिला राजकोट में स्थित है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 4851/11-6-81 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 31 अक्तूबर 1981

निदेश सं. ए-253/81-82/जे. आर. टी./62630—अतः मुझे, ई. जे. मावलौंग, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. दाग स. 3665/420 पी. पी. सी. 354 है, तथा जो जोरहाट टाउन मौजा, ब्लाक सं. 1, वार्ड सं. 4 जोरहाट म्युनिसीपालीटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोरहाट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अजिमुद्दीन अहमद, स्व. अमानतद्दीन अहमद, ओल्ड बालीबत, जोरहाट के सुपुत्र, (2) श्रीमती हमीदा जमान अहमद, मिस्टर अजिमुद्दीन अहमद, ओल्ड बालीबत, जोरहाट की पत्नि।

(अन्तरक)

2. श्री तोलाराम गटानी, बाबुपट्टी, जोरहाट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का क्षेत्रफल 1 (एक) कट्टा 10 (दस) लमा जो ओल्ड बालीबत, जोरहाट के व्यापारी क्षेत्र में दाग सं. 3665/4201 पेरीओडिक पट्टा सं. 354 जोरहाट टाउन का, ब्लाक सं. 1, वार्ड सं. 4 जोरहाट म्युनिसीपालिटी क्षेत्र में स्थित है।

ई. जे. मावलौंग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 31-10-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 27 जनवरी 1982

निर्देश सं. ए-256/81-82/जार/910-18—अतः मुझे, ई. जे. मावलौंग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. दाग सं. 4739/5036 पि. पि. पट्टा सं. 171/23 है, तथा जो के. बि. रोड, जोरहाट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोरहाट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 25-6-1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मानिक कुमार चन्द।

(अन्तरक)

2. श्री हंसराज काछार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का माप एक कट्टा आठ लसा दो तल्ला आर. सी. सी. बिल्डिंग के साथ और जिसका दाग सं. 4739/5036 पी. पी. सं. 171/323, ब्लाक सं. 2, जोरहाट टाउन के म्युनिसीपल होल्डिंग सं. 337 के. के. बी. रोड, वार्ड सं. आठ में स्थित है।

ई. जे. मावलौंग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 27-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भुबनेश्वर

भुबनेश्वर, दिनांक 26 नवम्बर 1981

निर्देश सं. 7/आई. ए. सी. एक्वीजिशन रेंज/81-82/भुबनेश्वर—अतः मुझे, पि के मिश्र,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं. 4028 है, तथा जो जाजपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डोलिपुर, कटक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-6-1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास अन्तरिती(यों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्रीमती कमल कुमारी साहू। (अन्तरक)

2. श्रीमती सुलोचना साहू। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जिला कटक, मौजा पदमपुर, थाना 435, नाजि 1616, खाता 74/14, पट नं. 9, अवाड नं. 6, जाजपुर रोड, एन. ए, सि. पट नं. 171/7, जमीन का परिमाप—ए. 0-0.0275 एकड़।

पि. के मिश्र
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भुबनेश्वर

तारीख : 26-11-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भुवनेश्वर

भुवनेश्वर, दिनांक 14 जनवरी 1982

निर्देश सं. 22/81-82/आई. ए. सी./ए. आर./ भुवनेश्वर—अतः मुझे, पि. के. मिश्र,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 2550 है, तथा जो गोपालपुर, गंजाम जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भुवनेश्वर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-6-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री कुन्डल नारायण राउ पिता (मृत) कान्चन नारिणी राउ, अर्बान बैंक रोड, बरहामपुर।

(अन्तरक)

2 श्री जगतबन्धु पटनायक, पिता चि. पटनायक, मोबाइल इन्जीनियर, हिल पाटना, बरहामपुर गन्जाम जिला, उड़िसा प्रदेश।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खाता नं. 26, पद नं. 87 और 60, एरिया ए2-828, जमीन और मकान, नामित "गाड गिफ्ट", गोपालपुर में अवस्थित, जिला गंजाम, उड़िसा प्रदेश।

पि. के. मिश्र
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भुवनेश्वर

तारीख : 24-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 5 फरवरी 1982

निदेश सं. 31/जून/81—यतः मुझे, आर. रविचंद्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 2/17, 2/18, 2/19, 2/13, 2/14, 2-जे (ग्राउन्ड फ्लोअर) और 1/ए (1/2 शेर), 2/बी, 2/सी, 2/डी, 2/ई, 2/एफ, 2/जी, 2/एच और 2/1 (फस्ट फ्लोअर) है, तथा जो बेंरकस मैदान रोड, वेल्लूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे. एस. आर. I, वेल्लूर (डाकूमेंट सं. 2437/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री वी. आर. बक्शराज।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती नरमता अम्माल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(भूमि और निर्माण—2/17, 2/18, 2/19, 2/13, 2/14, 2-जे (ग्राउन्ड फ्लोअर) और 1/ए (1/2 शेर), 2/बी, 2/सी, 2/डी, 2/ई, 2/एफ, 2/जी, 2/एच और 2/1 (फस्ट फ्लोअर), बेंरकस मैदान रोड, वेल्लूर—डाकूमेंट सं. 2437/81)।

आर. रविचन्द्रन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 5-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 फरवरी 1982

निदेश सं. 193/जून/81--यतः मुझे, आर. रविचंद्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. एस. सं. 646/1-बी, 648, 649, 650/1 और 650/2 है, तथा जो ओल्ड काडपाडी, जुडियात्तम तालुका (एन. ए. डिस्ट्रीक्ट) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काडपाडी (डाकूमेंट सं. 2544/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री के. आर. वेंकटाचलम् और अदर्स।

(अन्तरक)

(2) श्री वी. एस. नातन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(भूमि--एस. सं. 646/1-बी, 648, 649, 650/1 और 650/2, ओल्ड काडपाडी, जुडीयात्तम तालुका (एन. ए. डिस्ट्रीक्ट)--डाकूमेंट सं. 2544/81)।

आर. रविचन्द्रन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 6-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 फरवरी 1982

निदेश सं. 11464—यतः मुझे, आर. रविचंद्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 1/277 है, तथा जो कोटगिरि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोटगिरि (डाकूमेंट सं. 624/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री आर. के. चिदम्बरम चेट्टियार और कम्पनी।

(अन्तरक)

(2) पांठियराज ट्रस्ट, पांठियराज।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण—1/277, कोटगिरि, (डाकूमेंट सं. 624/81)।

आर. रविचन्द्रन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 6-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 फरवरी 1982

निदेश सं. 11448—यतः मुझे, आर. रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है और जिसकी सं. सर्वे 479/1, 480/1 है, तथा जो टेलुनगुपालयम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयमबट्टूर (डाकूमेंट सं. 3195/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री सुब्बिर कोनार।

(अन्तरक)

(2) श्री शेन फलो।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि—सर्वे 479/1 और 480/1, टेलुनगुपालयम (डाकूमेंट सं. 3195/81)।

आर. रविचन्द्रन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 8-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 फरवरी 1982

निदेश सं. 11502—यतः मुझे, आर. रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं 72-बी 3, अप्पुस्वामी ले-आउट, कोयमबट्टूर है, तथा जो कोयमबट्टूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयमबट्टूर (डाकूमेंट सं. 3266/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रामस्वामी।

(अन्तरक)

(2) श्री बापूजी, उदयश्री।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण—72-बी 3, अप्पुस्वामि ले-आउट, कोयमबट्टूर (डाकूमेंट सं. 3266/81)।

आर. रविचन्द्रन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 4-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 फरवरी 1982

निदेश सं. 11554--यतः मुझे, आर. रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 15/150 है, तथा जो पटेल रोड, कोयमबट्टूर-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयमबट्टूर (डाकूमेंट सं. 3653/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जुलाई, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के. एस. एन. बट।

(अन्तरक)

(2) श्री एस. कसतुरिस्वामी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण--15/150, पटेल रोड, कोयमबट्टूर-9, (डाकूमेंट सं. 3653/81)।

आर. रविचन्द्रन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 4-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 फरवरी 1982

निदेश सं. 11494—यतः मुझे, आर. रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं. 13ए, ईस्ट पोन्नुरंगम रोड है, तथा जो कोयमबट्टूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयमबट्टूर (डाकूमेंट सं. 3315/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों; अर्थात् :—

(1) श्रीमती लक्ष्मी वेंकटाचलम और अदर्स।

(अन्तरक)

(2) श्री के. नागरत्तिनम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण—13ए, ईस्ट पोन्नुरंगम रोड, कोयमबट्टूर (डाकूमेंट सं. 3315/81)।

आर. रविचन्द्रन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 4-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 फरवरी 1982

निदेश सं. 11497——यतः मुझे, आर. रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं. 11/142 है, तथा जो क्रास कट रोड, कोयमबट्टूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयमबट्टूर (डाकूमेंट सं. 3162/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 16 जून, 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री आर. पेरुमाल और अदर्स।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती विमला और अदर्स।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण——11/142, क्रास कट रोड, कोयमबट्टूर (डाकूमेंट सं. 3162/81)।

आर. रविचन्द्रन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 4-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 फरवरी 1982

निदेश सं. 16470--यतः मुझे, आर. रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 32, कसटूरी रनग, अय्यनगार रोड है, तथा जो मद्रास-18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर (डाकूमेंट सं. 1155/81) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती नलिनि कृष्णा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मेनका पारतसारती।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण--32, कसटूरी रनग, आय्यनगार रोड, मद्रास-18 (डाकूमेंट सं. 1155/81)।

आर. रविचन्द्रन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 4-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 25 नवम्बर 1981

निदेश सं. जी. आई. आर. संख्या के-107/अर्जन—अत: मुझे, अमर सिंह बिसेन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 102/516 है, तथा जो शिवाजी मार्ग, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 2-7-1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

10—486GI/81

(1) 1. श्री कैलाश नारायन गुप्ता (स्वयं तथा एच. यू. एफ. का कर्ता), 2. श्रीमती शान्ती गुप्ता।
(अन्तरक)

(2) 1. श्रीमती कान्ता रानी, 2. नन्द लाल बजाज, 3. श्रीमती भगवती बजाज, 4. श्री सुभाष चन्द्र बजाज, 5. मास्टर आकाश बजाज (नाबालिग) द्वारा पिता व विधिक संरक्षक श्री सुभाष चन्द्र बजाज।
(अन्तरिती)

(3) 1. मैसर्स अवध टुबैको कम्पनी, 2. एम. पी. पाण्डेय किरायेदार।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं. 102/516, मय भूमि, पैमाइशी 2138 वर्ग फिट स्थित शिवाजी मार्ग, शहर लखनऊ तथा वह सम्पूर्ण सम्पत्ति जो सेल डीड और फार्म 37-जी संख्या 4498/81 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब-रजिस्ट्रार, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 2-7-1981 को किया जा चुका है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 25-11-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर 1981

निदेश सं. जी. आई. आर. संख्या एस-224/अर्जन—अत: मुझे, अमर सिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. 137/12 ख है तथा जो तकिया गनेशगन्ज खुर्शेद बाग फाटक (शहर लखनऊ) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 18-7-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कुंवर रनवीर सिंह

(अन्तरक)

2. श्री मनीष कुमार गुप्ता

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दक्षिणी भाग मकान दो मंजिला पुराना नं. 137/130 नया 137/13 ख मय आराजीतादादी 3451 वर्गफिट स्थित मोहल्ला तकिया गनेश गंज (खुर्शेद बाग फाटक) शहर लखनऊ तथा वह सम्पूर्ण सम्पत्ति जो सेलडीड और फार्म 37-जी संख्या 4827 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 18-7-1981 को किया जा चुका है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 30-11-1981
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 जनवरी 1982

निदेश नं. जी. आई. आर. सं. जी-52/अर्जन—अतः मुझे, विनोद कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं. 220ए (वि. नं. 23/12 है तथा जो गोखले मार्ग लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 27-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. जसी बी मलकानी
कुमारी माला मलकानी

(अन्तरक)

2. मेसर्स गोपाल आबे क्रिस्टो क्वार्टर्स प्रा. लि. 23/12 गोखलेमार्ग लखनऊ द्वारा इसके मनेजिंग डाईरेक्टर श्री विजय गोपाल

(अन्तरिती)

3. उपरोक्त अन्तरिती

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बंगला नं. 220-ए (मिनिसपल नं. 23/13) स्थित गोखले मार्ग शहर लखनऊ मय इमारत एवं भूमि पैमाइशी 16676 वर्ग-फिट आदि तथा वह सम्पूर्ण संपत्ति जो सेलडीड व फार्म 37-जी सं. 43/74/81 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 27-6-1981 को किया जा चुका है।

विनोद कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 13-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश नं. जी. आई. आर. संख्या एन-43/अर्जन—अतः मुझे, विनोद कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 35-ए है तथा जो गोखले मार्ग-लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 3-6-1982

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सर्वश्री इन्द्रा आनन्द
   श्रीमती रीतू मेहरा
   श्रीमती कामिनी भण्डारी
   पूनम भसीन

(अन्तरक)

2. श्रीमती निर्मल कुमार जैन

(अन्तरिती)

3. श्री नरेश गोयल (किरायेदार)
   (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं. 35-ए मय भूमि व भवन के स्थित गोखले मार्ग शहर लखनऊ तथा वह सम्पूर्ण संपत्ति जो सेलडीड और फार्म 37-जी संख्या 3876 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 5-6-1981 को किया जा चुका है।

विनोद कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 30-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 30 दिसम्बर 1981

निदेश सं. जी. आई. आर. सं. एन-42/अर्जन—अतः मुझे, विनोद कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. (बन्दोबस्ती) 275/3 है तथा जो ग्राम तुलसीपुर परगना देहात अमानत जिला वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 20-6-1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जोगेन्द्र नाथ मेहरा द्वारा सचिव श्री भुवनेश्वर प्रसाद

(अन्तरक)

2. मैसर्स नवोदित सहकारी आवास समिति लि. रजि. आफिस स्थित सी. के. 65/190 बड़ीपियरी वाराणसी।

(अन्तरिती)

3. उपरोक्त अन्तरक (37-जी फार्म के अनुसार)
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी बन्दोबस्त नम्बरी 275/3 रकबा 9 डिसमल यानि कि 3924 वर्गफिट स्थित मौजा तुलसीपुर परगना-देहात-अमानत जिला वाराणसी तथा वह सम्पूर्ण संपत्ति जो सेलडीड और फार्म 37-जी फार्म संख्या 4594 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार वाराणसी के कार्यालय में दिनांक 20-6-1981 को किया जा चुका है।

विनोद कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 30-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना 411004, दिनांक 12 जनवरी 1982

निर्देश सं. सीए 5/एस. आर. हवेली-।।/जून 81/559/81-82——यतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. रजनीगंधा अपार्टमेंट नं. बी 9, प्लाट नं 5 और 6, एफ पी नं. 447 टी. पी. एस. नं. 1 है तथा जो गोखले पथ, शिवाजीनगर, पूणे 16 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक हवेली ।। में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मेसर्स सिवसरा देसाई और असोसिएटस् 447/5, गोखले पथ, पूणे 16

(अन्तरक)

2. श्रीमती मिरा ए वाघ बी-9, रजनीगंधा अपार्टमेंटस् 447, गोखले पथ, पूणे 16

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इमारत जो रजनीगंधा अपार्टमेंटस नं. बी-9 प्लाट नं. 5 और 6, एफ. पी. नं. 447, टी. पी. एस्. नं. 1, गोखले पथ, शिवाजी नगर, पूणे 16 में स्थित है। (जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र. 1982 जो जून 1981 में दुय्यम निबंधक, हवेली-।। के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 12-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना-411004

पूना-411004, दिनांक 12 जनवरी 1982

निर्देश सं. सी. ए. 5/एस. आर. हवेली-।।/558/जून 81/81-82—यतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)** (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य **25,000/-रु० से अधिक है**

और जिसकी सं. रजनीगंधा अपार्टमेंटस, बी-4, प्लाट नं. 5 और 6, एफ. पी. नं. 447, टी. पी. एस. नं. 1 है तथा जो गोखले पथ, शिवाजीनगर, पूणे 16 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हवेली निबंधक हवेली-।। में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मेसर्स खिवसरा देसाई और असोसिएटस, 447/5, गोखले पथ, पुणे 16।

(अन्तरक)

2. श्री केशव दिनकर काले, बी, रजनीगंधा अपार्टमेंटस 447/5, गोखले पथ, पुणे 16।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इमारत जो रजनीगंधा अपार्टमेंटस बी-4, प्लाट नं. 5 और 6, एफ. पी. नं. 447, टी. पी. एस. नं. 1, गोखले पथ, शिवाजी नगर, पुणे 16 में स्थित है।

रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र. 1950 जो जून 1981 में दुय्यम निबंधक, हवेली-।। के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना-411004

तारीख : 12-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना-411004

पूना-411004, दिनांक 12 जनवरी 1982

निदेश सं. सी. ए. 5/एस. आर. सोलापुर/जून 81/563/81-82—यतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. एफ. पी. नं. 102 बी/7+8+9/26 है तथा जो सोलापुर शहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)., रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक सोलापुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री माणीकलाल मोतीलाल सारडा, मकान नं. 102-बी/7+8+9, भवानी पेठ, सोलापुर।

(अन्तरक)

2. (1) श्री शंकरलाल मोतीलाल सारडा, (2) श्री श्याम सुंदर मोतीलाल सारडा, मकान नं. 102बी/7+8+9, भवानी पेठ, बी, सोलापुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इमारत जो एफ. पी. नं. 102बी/7+8+9/26 शहर सोलापुर में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र. 1568 जो जून, 1981 में दुय्यम निबंधक सोलापुर के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना-411004

तारीख : 12-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना-411004

पूना-411004, दिनांक 12 जनवरी 1982

निर्देश सं. सी ए. 5/एस. आर हवेली-।।/जन 81/557/81-82—यत मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं रजनीगंधा अपार्टमेंट्स न. बी-।।।, प्लाट नं 5 और 6 एफ पी न 447 टी. पी एस नं 1 है तथा जो गोखले पथ, शिवाजी नगर, पूणे 16 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक हवेली-।। में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की उपधारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मेसर्स खिवसरा दमाई और असोसिएट्स, 447/5, गोखले पथ, पूणे 16।

(अन्तरक)

2. श्रीमती गौरी सी. मुले, 3, रजनीगंधा अपार्टमेंट्स, 447, गोखले पथ, पूणे 16।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इमारत जो रजनीगंधा अपार्टमेंट्स बी-।।।, प्लाट नं. 5 और 6, एफ. पी. नं. 447, टी. पी एस नं. 1, गोखले पथ, शिवाजी नगर, पूणे 16 में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र. 1983 जो जून, 1981 में दुय्यम निबंधक हवेली ।। के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना-411004

तारीख : 12-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना-411004

पूना-411004, दिनांक 12 जनवरी 1982

निर्देश सं. सी. ए. 5/एस. आर. हवेली-।।/जून 81/561/81-82—यतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. रजनीगंधा अपार्टमेंट नं. बी-।।, प्लाट नं. 5 और 6, एफ. पी. नं. 447, टी. पी. एस. नं. 1 है तथा जो गोखले पथ, शिवाजीनगर, पुणे 16 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)., रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक हवेली-।। में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मेसर्स शिवसरा वसाई और असोसिएटस्, 447/5., गोखले पथ, पुणे 16।

(अन्तरक)

2. श्रीमती नलिनी डी. रनछोड, बी-।।, रजनीगंधा अपार्टमेंटस्, 447, गोखले पथ, पुणे 16।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इमारत जो रजनीगंधा अपार्टमेंटस्, बी-।।, प्लाट नं. 5 और 6, एफ. पी. नं. 447, टी. पी. एस. नं. 1, गोखले पथ, शिवाजी नगर, पुणे 16 में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र. 1947, जो जून, 1981 को दुय्यम निबंधक, हवेली।।, के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना-411004

तारीख : 12-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰— ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना-411004

पूना-411004, दिनांक 12 जनवरी 1982

निर्देश सं. सी. ए. 5/एस. आर. हवेली-।।/जून 81/556/81-82—यतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. रजनीगंधा अपार्टमेंटस् नं. बी-5, प्लाट नं. 5 और 6, एफ. पी. नं. 447, टी. पी. एस. नं. 1 है तथा जो गोखले पथ, शिवाजीनगर, पूर्णे 16 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक हवेली-।। में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. मेसर्स शिवसरा देसाई और असोसिएटस्, 447/5, गोखले पथ, पूणे 16।

(अन्तरक)

2. श्री विजय जे. शाह, बी-5, रजनीगंधा अपार्टमेंटस् 447, गोखले पथ, पूणे 16।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इमारत जो रजनीगंधा अपार्टमेंटस् बी 5, प्लाट नं. 5 और 6, एफ. पी. नं. 447, टी. पी. एस. नं. 1, गोखले पथ, शिवाजीनगर, पूणे 16 में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र. 556 जो जून, 1981 में सब रजिस्ट्रार, हवेली-।। के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना-411004

तारीख : 12-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना-411004

पूना-411004, दिनांक 12 जनवरी 1982

निर्देश सं. सी. ए. 5/एस. आर. हवेली-।।/जून 81/560/81-82—यतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. रजनीगंधा अपार्टमेंटस् नं. बी-।।, प्लाट नं. 5 और 6, एफ. पी. नं. 447, टी. पी. एस. नं. 1 है तथा जो गोखले पथ,, शिवाजीनगर, पुणे 16 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक हवेली-।। में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मेसर्स खिवसरा देसाई और असोसिएटस्, 447/5, गोखले पथ, पुणे 16।

(अन्तरक)

2. श्री पी. एम. नाबर, बी-4, रजनीगंधा अपार्टमेंटस्, 447, गोखले पथ, पुणे 16।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इमारत जो रजनीगंधा अपार्टमेंटस् बी-4, प्लाट नं. 5 और 6, एफ. पी. नं. 447, टी. पी. एस. नं. 1, गोखले पथ, शिवाजीनगर, पुणे 16 में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र. 1948 जो जून, 1981 को दुय्यम निबंधक, हवेली-।। के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना-411004

तारीख : 12-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

कलकत्ता-16, दिनांक 21 दिसम्बर 1981

निर्देश सं. 996/अर्जन आर.-III/81-82—यत: मुझे, आई. वी. एस. जुनेजा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 25 है तथा जो वटारलो स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-6-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती कनिका दास और दूसरो।

(अन्तरक)

2. अमबर प्रोपारटिस (प्रा.) लि.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

25, वटारलो स्ट्रीट, कलकत्ता, जमीन साथ मकान, 1/18 शेयर, दलिल सं. 4965।

आई वी. एस. जुनेजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता-16

तारीख : 21-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 जनवरी 1982

निर्देश सं. ए. सी. 82/रेंज-4/कल/1981-82—यतः मुझे, के. सिन्हा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 137 है तथा जो कसुन्दिया रोड, हावड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हावड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-6-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. रेखा रानी घोष (अन्तरक)

2. जगबन्धु चटर्जी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 2क. 8छ. 25 वर्गफुट मकान समेत पता—137 कसुन्दिया रोड थाना—शिवपुर, जिला—हावड़ा, दलील संख्या नं. 3045 का 1981।

के. सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, कलकत्ता
54, रफीअहमद किदवाई रोड, कलकत्ता-16

तारीख : 11-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०, एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 जनवरी 1982

निर्देश सं. ए. सी. 83/रेंज-4/कल/1981-82—यत: मुझे, के. सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं. है तथा जो महम्मद हुसैन, स्ट्रीट बाई लेन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आसनसोल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: —

1. ओम प्रकाश बेनवाला (अन्तरक)

2. उमा देवी बेनवाला (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 2 क—13छ मकान समेत, पता—महम्मद हुसैन स्ट्रीट बाई लेन, थाना—आसनसोल, जिला बर्दवान दस्तावेज नं. 4270 का 1981।

के. सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, कलकत्ता
54, रफीअहमद किदवाई रोड, कलकत्ता-16

तारीख : 11-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 जनवरी 1982

निदेश सं. ए. सी. 84/रेंज-4/कल/1981-82—यतः मुझे, के. सिन्हा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 109 है तथा जो टायगोर रोड, आसनसोल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आसनसोल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. गोपाल पाडे

(अन्तरक)

2. आशिस कुमार मुखर्जी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 2क. 14छ. मकान सहित पता—109, टायगोर रोड, विषाग्राम, थाना—आसनसोल, जिला—बर्दवान दलील संख्या नं. 4220 का 1981।

के. सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, कलकत्ता
54, रफीअहमद किदवाई रोड, कलकत्ता-16

तारीख : 11-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलोर

बेंगलोर, दिनांक 4 दिसम्बर 1981

निदेश सं. 383/81-82—यतः मुझे, श्रीमती मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. सि. टि. एस. नम्बर 3023 है, जो कडे-बजार, बेलगम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगम अंडर डाक्युमेंट नंबर 1581 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-10-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1). (1) श्री गफार अल्लाउद्दीन पाछापुरे (2) श्री मुनाफ अल्लाउद्दीन पाचापुरे (3) श्री अब्दुल मजीद अल्लाउद्दीन पाचापुरे (4) श्री अब्दुलरजाक अल्लाउद्दीन पाचापुरे (5) श्री उल्लाउद्दीन पाचापुरे की पत्नी श्रीमती जैबुन्नीसा, 3023 कडेबजार, बेलगम।

(अन्तरक)

(2) श्री तुकाराम नंदप्पा मुरकरनाल, 3837, कोतवालगल्ली, बेलगम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बेलगम कडेबजार में स्थित बिल्डिंग (जमीन सहित) जिसका सि. टि. एस. नंबर है 3023।

श्रीमती मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 4-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलोर

बेंगलोर, दिनांक 15 दिसम्बर 1981

निदेश सं. 391/81-82—यतः मुझे, श्रीमती मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं 8 है तथा जो हुल्लहल्लि ग्राम, तालूक होलेनरसीपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, होलेनरसीपुर अंडर डाक्युमेंट नंबर 165 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-6-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एच. चिन्नस्वामी की पत्नी एच. सि. इंदिरम्मा इडिगर बीदि होलेनरसीपुर

(अन्तरक)

(2) श्री सुब्बाराव का पुत्र श्री एच. एस. मजन्ना हुनहल्लि ग्राम, के होस्कोटे होबली तालूक होलेनरसीपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

होलेनरसीपुर तालूक, हुल्लहल्ली ग्राम में स्थित 4 एक्रे 32 गुंटा कोकोनट गार्डेन जिसका सर्वे नंबर है 8।

श्रीमती मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 15-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलोर

बेंगलोर, दिनांक 15 दिसम्बर 1981

निदेश सं. 392/81-82—यतः मुझे, श्रीमती मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नम्बर 12, 9/1 और 9/2 है, जो हुल्लहल्लि ग्राम, तालूक होलेनरसीपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, होलेनरसिपुर अंडर डाक्यूमेंट नम्बर 166 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-6-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) श्री एच. सि. रमेशबाबू (2) महालक्ष्म्मा हासन

(अन्तरक)

(2) श्री सुब्बाराव का पुत्र श्री एच. एस. मंजन्ना हुल्लाहल्ली, ग्राम, के होसकोटे होबली तालूक होलेनरसीपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

होलेनरसिपुर तालूक, हुल्लहल्लि ग्राम में स्थित निम्नलिखित कोकोनट गार्डन

सर्वे नम्बर	एकरे-गूंटा
12	1-21
9/1	0-13
9/2	0-13

श्रीमती मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 15-12-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 17 दिसम्बर 1981

निदेश स. सि. आर. नं. 62/30887/81-82/एक्वी-बी—यतः मुझे, श्रीमती मंजू माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं. 150 है, तथा जो 5 मेन, चामराजपेट, डिविशन 26, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टी. के. वासुदेवमूर्ती, टी. जी. शेषगिरी राव 1286/2, कृष्णमूर्ती पुरम, मैसोर, काम्प बंगलूर।

(अन्तरक)

(2) श्री पी. एन. सदाशिवय्या, टी. नंजुंडप्पा के पुत्र, नं. 1, 4 क्रास, शंकरपुरम, बंगलूर-4।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 765/81-82 ता. 5-6-81)

सम्पत्ति का एक भाग, पुराना नं. 16, उसके बाद 17 और 17/1 अब 150, 5 मेन, चामराजपेट डिविशन 26, बंगलूर।

पूर्व—सोंढेकप्पा रामास्वामी शास्त्री का घर,
पश्चिम—आर. नारायण राव का घर,
उत्तर—सम्पत्ति सं. 149,
दक्षिण—5 मेन, चामराजपेट,
पूर्व-पश्चिम 30',
उत्तर-दक्षिण $\frac{70+72}{2}$

श्रीमती मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 17-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 18 दिसम्बर 1981

निर्देश सं. सी. आर. न. 30889/81-82/एक्वी./बी—यतः मुझे, श्रीमती मंजू माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. घर के पश्चिम भाग की संख्या 2 है, तथा जो आर्टिलरी रोड, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शीवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सादिक हुसेन, न. 4, दरवाजा नं. 7, मीनाक्षी कोयील स्ट्रीट, बंगलूर-560001।

(अन्तरक)

2. गिरनार बिल्डर्स, प्रतिनिधि—मेनेजिंग डिरेक्टर श्री किरिता शा उत्तम चंद के पुत्र, नं. 33/15 मेन रोड, गांधीनगर, बंगलूर-560009।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 882/81-82 ता. 15-6-81)

घर के पश्चिम भाग का नं. 2, आर्टिलरी रोड, सिविल स्टेशन, बंगलूर-8, जिसके पूर्व में घर का बचा हुआ भाग नं. 2, आर्टिलरी रोड है। उत्तर में सामान्य एक गली जिसका विस्तरण 10', दक्षिण में एक सामान्य गली नं. 2 आर्टिलरी रोड तक है जहां एक बड़ी गेट और दो नारियल के पौध हैं, दो आम के पेड़ और कई छोटे-छोटे पौध हैं। एक फौवारा भी है। दक्षिण और उत्तर की गली एक ही है। लेकिन दक्षिण की गली को घर मालिक अपनी गाड़ियों को वहां खड़ा नहीं कर सकता, वह सिर्फ आ जा सकता है।

श्रीमती मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 18-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 16 जनवरी 1982

निदेश सं. —यतः मुझे, श्रीमती मंजु माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नम्बर 261 है, तथा जो अनूर ग्राम, वस्तारे होबेली, तालूक चिकमंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चिकमंगलूर, अडर डाकूमेंट नम्बर 652/81 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) श्री ए. टी. नंजेगौडा, (2) श्री ए. एन. अशोक, (3) श्री ए. एन. ओंकारमूर्ती, (4) श्री ए. एन. बसवराज, (5) श्री ए. एन. देवराज, आनूर ग्राम, वस्तारे होबेली, तालूक चिकमंगलूर।
(अन्तरक)

2. (1) श्री गुलाम मोहीदीन के पुत्र श्री एच. एम. निसार अहमद, काफि प्ल्यांटर, आनूर ग्राम, केसरिके तालूक, चिकमंगलूर, (2) श्री महमद कजल रहमान के पुत्र श्री फियाउर रहमान, काफि प्ल्यांटर, वस्तारे होबेली, मैलिमने ग्राम, तालूक चिकमंगलूर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चिकमंगलूर तालूक, वस्तारे होबली आनूर ग्राम में स्थित 8 एकड़ काफि प्ल्यांटेशन जिसका सर्वे नम्बर 261 है।

श्रीमती मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 16-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 16 जनवरी 1982

निदेश सं. 398/81-82—यतः मुझे, श्रीमती मंजू माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं सर्वे नंबर 42/पी. है, जो थोग्रिहंकल ग्राम, तालूक चिकमंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चिकमंगलूर अंडर डाक्यूमेंट नंबर 646/81 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक से है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री टी. बी. नागेश के पुत्र श्री टी. एन. मल्लनगौडा काफि प्लयांटर, के. एम. रोड, चिकमंगलूर। (अन्तरिती)

2. श्री टी. बी. नागेश के पुत्र श्री टी. एन. चन्नबसवेगौडा, काफि प्लयांटर, के. एम. रोड, चिकमंगलूर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चिकमंगलूर तालूक, जगरा होबली, थोग्रीहंकल ग्राम में स्थित 4 एकड़ 30 गुंटा काफि प्लयांटेशन जिसका सर्वे नंबर 42/पी है।

श्रीमती मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 16-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 2 जनवरी 1982

निदेश न. सी. आर. 62/31716/81-82/अर्जन बी.—यत: मुझे, मंजू माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 565 है तथा जो II स्टेज, कोरमंगला लेआउट, बंगलूर-35 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बंगलूर दक्षिण तालुका में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, ता. 17-6-81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री वी. पी. वेंकटेशन दीवंगत आर. वेंकटराम के पुत्र मेसर्स के. एस. टी. डी. मद्रास

(अन्तरक)

2. कुमारी स्वप्ना चन्द्रशेखर श्री आर. चन्द्रशेखर की पुत्री सं. 565, कोरमंगला ले आउट III ब्लाक, II स्टेज, बेंगलूर-35

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 1245/81-82 ता. 17-6-81) घर संपत्ति है जिसकी सं. 565, II स्टेज, कोरमंगला लेआउट बेंगलूर-35।

श्रीमती मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 2-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बंगलोर

बेंगलूर, दिनांक 8 जनवरी 1982

निदेश सं. सी. आर. 62/31385/81-82/अर्जन बी.—यतः मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 23/5 है तथा जो लावेल रोड म्याकिवर टाउन कारपोरेशन, डिवीजन सं. 60, बेंगलूर-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर, बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1908 1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-7-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:--

1. श्रीमती अमज्मा बाई श्री एस नटराजन, की पत्नी 23/4, लावेले रोड, म्याकिवर टाउन सिविल स्टेशन, बेंगलूर-1

(अन्तरक)

2. मेसर्स लोहाम्, स्टील इनडस्ट्रीस लिमिटेड प्रतिनिधि है इसका मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री बी. डी. अगरवाल सं. 20 शनिप्पा लेन बेंगलूर-2

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मो दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 1297/81-82 ता. 18-7-81)

खुला जगह है जिसका नया सं. 23/5, लावले रोड मेकिवर टाउन, कारपोरेशन, डिविजन सं 60 सिविल स्टेशन, बेंगलूर-1

जिसका परिमाण है
उत्तर—50 फीट
पूर्व—96 फीट
दक्षिण—51 फीट
पश्चिम—101 फीट
} पूर्ण परिमाण है 4975 स्कैर फीट

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 8-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982

निर्देश सं. सि. आर. 62/31074/81-82/एक्वी./बी—यतः मुझे, मंजु माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), **की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है** और जिसकी सं. 22 है, तथा जो पाम ग्रोव रोड, बंगलूर-60 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-6-1981 **को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य** कम से कम **के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती बालम्मा और आठ आदमी, कोडिहल्ली एच. ए. एल. पोस्ट, बंगलूर-560017।
(अन्तरक)

(2) एम/एस. होम्बला बिल्डींग डेवेलपमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, 378/8, 6ठा ए. क्रास, 13 मेन रोड, राजमहल विलास एक्सटेन्शन, बंगलूर-6।
(अन्तरिती)

(3) बेचनेवाला तथा खरीददार।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाहियां करता हूं।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 966/81-82 ता. 22-6-1981)

घर और उसमें मिलि हुई भूमि का नं. 22, पाम ग्रोव रोड बंगलूर है, इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में एकान्त सम्पत्ति है, पूर्व में खुली नाली और पाम ग्रोव रोड है, पश्चिम में एकान्त सम्पत्ति है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 10-12-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 5 जनवरी 1982

निर्देश सं. मि. आर. नं. 62/31814/81-82/ए. सी क्यू./बी—यत: मुझे, मंजू माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. 20 है, तथा जो इंफन्ट्री रोड, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-8-1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती आर. रुक्मिणि, श्री रामकृष्ण रेड्डी की पत्नि, 20, इंफन्ट्री रोड, बंगलूर-1।

(अन्तरक)

(2) श्री एम. राघवेन्द्रा, श्री एम. मुनिवेन्कटप्पा के पुत्र, 52/16, *Ist* क्रास, लालबाग रोड, बंगलूर-27।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 1677/81-82 ता. 24-8-1981)

घर का एक भाग, उसका नं. 20 (पुराना नं. 12), इंफन्ट्री रोड, बंगलूर-1, पूर्व से पश्चिम तक—100', उत्तर से दक्षिण तक—90', इसके पूर्व में यूनियन स्ट्रीट, पश्चिम में क्रास रोड है, उत्तर दिशा में श्री आर परसमल के सम्पत्ति है, और दक्षिण में श्री कृष्ण मूर्ति तथा बेचनेवाले कि सम्पत्ति है।

मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 5-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 2 जनवरी 1982

निर्देश स. सि. आर न. 31082/81-82/ए. सी क्यू./बी—यत. मुझे, मंजु माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है और जिसकी सं. 30/2 अब 30/9 है, तथा जो नजप्पा मेन रोड, शांति नगर, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जेयनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-6-1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) (1) श्री बी. ए. रामकृष्ण सेट्टी, (2) श्री बी. आर. लक्ष्मिकान्त गुप्ता, न. 11/2/62, अप्पु राव रोड, 6, मेन चामराजपेठ, बंगलूर-18।
(अन्तरक)

(2) श्री तुलसी बी. बाद्या, 358, 13वां मेन रोड, राज महल, विलास एक्सटेन्शन, बंगलूर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 1542/81-82 ता. 29-6-1981)

भूमि नं. 30/2, अब 30/9, नंजप्पा मेन रोड, शांति नगर बंगलूर-27 में स्थित है, इसका विस्तार

$\frac{89'+63'}{2} \times \frac{79'\times 43'}{2}$ है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख 2-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 2 जनवरी 1982

निर्देश सं. सि. आर नं. 62/32338/81-82/ए. सी. क्यू./बी--यतः मुझे, मंजू माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. 7 है, तथा जो नालडि गांव, मडिकेरे तालूक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मरकेरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री पि. मम्मी कुट्टी हज्जी, श्री अब्दुल्ला हज्जी के पुत्र, इरिकूर, केननूर, केरला, (श्री के. अब्दुल्ला उनके पि. ए. पकड़ने वाले हैं)।

(अन्तरक)

(2) (1) पाल डी'सिल्वा, (2) जान डी'सिल्वा, (3) राबर्ट डी'सिल्वा, (4) बेन्नी लोपे, (5) क्लेग लोपे, (6) मार्गरेट आलबिन्, 7, हासकोटे गांव, सूंतिउप्पा नाड़, उत्तर कूर्ग।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 385/81-82 ता. 12-6-81)
सर्वे नं. 7, 144.26 एकड़, नालडी गांव, मडिकेरे तालूक में स्थित है।

मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 2-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 2 जनवरी 1982

निर्देश स सि आर न 62/31337/81-82/एक्वी बी—यत मुझे, मंजु माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है और जिसकी स 26 है तथा जो । ए क्रास, ज सि रोड, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-6-1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) नारायणम्मा, (2) एम जी रवि कुमार, (3) एम जी नटराज और गोपाल स्वामी कि पत्नि तथा पुत्र, न 26, । क्रास, जे सि रोड, बंगलूर।

(अन्तरक)

(2) (1) परमजीत सिंग, सरदार जीवन सिंग के पुत्र, (2) गुरजित सिंग, परमजीत सिंग के पुत्र।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज स 845/81-82 ता 17-6-81)
घर का न 26, ।-ए क्रास, जे सि रोड, बंगलूर।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख 2-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 जनवरी 1982

निर्देश सं. सि. आर. नं. 62/31312/81-82/ए. सी. क्यू./बी—यतः मुझे, मंजू माधवन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं. 7-बी (नया सं. 33) है, तथा जो टानरी रोड, (अब नेताजी रोड) सिविल स्टेशन, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-7-1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या,

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) डाहेनवूर फेलोशिप, डाहेनवूर, तिरुनेलवेली (डी) तमिलनाडु (स्टेट)।

(अन्तरक)

(2) दिव्या शांति क्रिश्चीयन एसोसियेशन, सेन्ट जान चर्च, सेन्ट जान चर्च रोड, बंगलूर-5

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 1104/81-82 ता. 3-7-81)

घर सम्पत्ति है जिसकी सं. है 7-बी, टानरी रोड, (नई सं. 33 और नेताजी रोड), सिविल स्टेशन, बंगलूर।
चकबन्दी है—
उ. में—टानरी रोड, क्रास लेन,
द. में—प्रिमैसिस सं. 7-ए।
पू. में—प्रिमैसिस सं. 8 से 10 तक
प. में—प्रिमैसिस सं. 31, नेताजी रोड।

मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 8-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 2 जनवरी 1982

निर्देश सं. सि. आर. नं. 62/30890/81-82/ए. सी. क्यू./बी—यत: मुझे, मंजू माधवन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 6 है, तथा जो कलासीपाल्यम, एक्सटेन्शन, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडी, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-6-1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री एन. वेंकटरमण, स. 1, I फ्लोर, 4 क्रास II स्टेज, सुधामनगर, बंगलूर-27।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती निसार बेगम, 3/2, 4 क्रास, दोड्ड-मावल्ली, बंगलूर-2।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 703/81-82 ता. 4-6-81)

सम्पत्ति है जिसका एरिया, पूर्व-पश्चिम—935 फीट और उत्तर-दक्षिण—112½ फीट तथा जो पुरानी सं. 127, और नई सं. 6, कलासीपाल्यम एक्सटेन्शन, बंगलूर में स्थित है।

मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 2-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलोर

बेंगलोर, दिनांक 15 जनवरी 1982

निर्देश सं. 400/81-82—यतः मुझे, श्रीमती मंजू माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नम्बर 132, 133, 134/पी, 137/पी और 150 है, जो थोग्रिकुंकल ग्राम, जाग्राहोबली, तालूक चिकमगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चिकमगलूर अंडर डाक्युमेंट नम्बर 653 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री टि. वि. मल्लेगौडा के पुत्र श्री टि. वि. नागेश काफि प्लांटर, कडूर-मंगलोर रोड, चिकमगलूर (अन्तरक)

2. श्री टि. वि. नागेश के पुत्र श्री टि. एन. चन्नबसवेगौडा, काफि प्लांटर, कडूर-मंगलूर रोड, चिकमंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चिकमंगलूर तालूक, जाग्रा होबली, थोग्रिहुंकल ग्राम में स्थित निम्नलिखित काफि ल्यांड।

सर्वे नम्बर	एकड़ गुंटा
132	4-21 काफि ल्यांड
133	2-09
	0-10 बागीयन
134/पी	2-34 काफि ल्यांड
137/पी	0-03 काफि ल्यांड
150	3-25 वेट ल्यांड

श्रीमती मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 15-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलोर

बेंगलोर, दिनांक 2 जनवरी 1982

निर्देश सं. 386/81-82—यतः मुझे, श्रीमती मंजु माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नम्बर 37/1 (भागशः) है, जो कोलेम ग्राम, तालुक संगेम, गोवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, संगम, गोवा, अंडर डाक्यूमेंट नम्बर 50/81 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-6-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती हीराबाई वि. सालगांवकर, सालगांवकर हौस वास्को-डा-गामा, गोवा।

(अन्तरक)

(2) टूरिस्ट इंडिया प्रैवेट लिमिटेड 19/21, अंबालाल दोशि मार्ग, मचुल चेंबरस, बम्बई-400023

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गोवा डिस्ट्रिक्ट, संगेम तालूक, कोलेम ग्राम में स्थित 1,37,405 स्क्वेर मीटर खुला जगह जिसका नाम है "कुलना" उर्फ "कुंटि कोंडिचेम मोला" और सर्वे नंबर है 37/1 (भागशः) यह जगह ल्यांड रजिस्ट्रेशन आफिस क्यूपेम में 9351 नम्बर पर बुक "बि" में नंबर 27 में रजिस्टर किया है।

श्रीमती मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 2-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलोर

बंगलोर, दिनांक 2 जनवरी 1982

निर्देश सं. 387/81-82--यतः मुझे, श्रीमती मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं. घर नम्बर 35 है तथा जो एम. एच. बि. कालनी, विश्वेश्वरनगर, हुबली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हुबली अंडर डाक्युमेंट नम्बर 737 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-6-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री वेंकटगौडा सिद्धनगौडा हिरेगौडर (2) श्री चंद्रशेकर वेंकटगौडा हिरेगौडर (3) श्री वासु वेंकटगौडा हिरेगौडर हुलकोटी, तालूक गदग

(अन्तरक)

(2) (1) श्री गुरूपादप्पा बसप्पा महालिंगशेट्टी (2) श्री गुरूपादप्पा महालिंगशेट्टी की पत्नी श्रीमती पार्वतम्मा नं. 64, विवेश्वनगर, हुबली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एम. एच. बि. कालनी, विश्वेश्वरनगर हुबली में स्थित बिल्डिंग (जगह सहित) जिसका घर नंम्बर है 35।

श्रीमती मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 2-1-1982
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलोर

बेंगलोर, दिनांक 2 जनवरी 1982

निर्देश सं. 388/81-82—यतः मुझे, श्रीमती मंजू माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नम्बर 272/20 है, जो कार्मोना ग्राम, तालूक मार्गोवा, गोवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, साल्सेट, गोवा अंडर डाक्यूमेंट नम्बर 311/81 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-6-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) अग्नेलो कोसिनो जार्ज (2) मारिया गोरेटि डिरिज कोस्टा ई जार्ज आकेस अल्टो, मार्गोवा

(अन्तरक)

(2) (1) अंटोनियो संवेरिनो कार्डोजो (2) रेमिया इस्टाकिला कर्टाडो कार्डोजो रेप्रवोड्डा, वर्का, सालसेट, गोवा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गोवा डिस्ट्रिक्ट, सालसेट तालूक कार्मोना मार्केट में स्थित बिल्डिंग (जगह सहित) जिसका नाम है ''कोल्बीरन ओ टपेलीम'' और जिसका सर्वे नम्बर है 272/20।

श्रीमती मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 2-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलोर

बेंगलोर, दिनांक 2 जनवरी 1982

निर्देश सं. 389/81-82—यतः मुझे, श्रीमती मंजू माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. एस नम्बर 11/1 प्लोट नम्बर 68 है, जो काकोरा, तालूक क्यूपेम, गोवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, क्यूपेम, गोवा अंडर डाक्यूमेंट नम्बर 204 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 27-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) रोसी डीसिलवा (2) बेलोमिनो डीसिलवा, डीयाओ, क्यूपेम, गोवा

(अन्तरक)

(2) (1) श्री शेक अब्दुल अलीम (2) श्री शेक महमद करूक (3) श्री शेक महमद सादिक (4) श्री शेक अफ़मतुल्ला, बाटा शू शोप, रेलवे स्टेशन रोड, कुरकोरम, गोवा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गोवा, क्यूपेम तालूक काकोरा ग्राम में स्थित बिल्डिंग (जगह सहित) जिसका नाम है ''करियाची मोडो'' और जिसका प्लोट नम्बर है 68 और एस नम्बर 11/1।

श्रीमती मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 2-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलोर

बेंगलोर, दिनांक 2 जनवरी 1982

निर्देश सं. 393/81-82—यतः मुझे, श्रीमती मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. फ्लैट नम्बर 6 प्लोट नम्बर 12 है, जो अल्टो बेटिम ग्राम, गोवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलहास, गोवा अंडर डाक्युमेंट नम्बर 251 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती आने फिगराडो (2) श्री फिलिप जोसेफ लारेन्स फिगराडो प्रतिनिधि श्रीमती मेरी फिगराडो पोर्वोरिम, सकारो, गोवा।

(अन्तरक)

(2) श्री जोकिम जोस लारेन्को फर्नाडिस फ्लैट नम्बर 6 अल्टो प्लाजा बिल्डिंग अल्टो बेटिम, गोवा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अल्टो बेटिम गोवा में स्थित ''अल्टो प्लाजा'' बिल्डिंग में प्लाट नम्बर 6 जो दूसरी मंजिल में है, यह बिल्डिंग प्लोट नम्बर 12 में स्थित है।

श्रीमती मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 2-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलोर

बंगलोर, दिनांक 16 जनवरी 1982

निर्देश स 394/81-82--यत मुझे, श्रीमती मंजु माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है और जिसकी स एस नम्बर 54, 116 और 115 (भागशः) है, तथा जो बिंत्रवल्लि और नगी ग्राम, तालूक कोप्पा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोप्पा अंडर डाक्यूमेंट नं 230 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-6-1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है --

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :--

1 मैसर्स दी मैसूर प्लयाटेशनस लिमिटेड, क्वार्स हिट्लो कोप्पा, डिस्ट्रिक्ट चिकमंगलोर।

(अन्तरक)

2 (1) श्री ए आर माहनराव के पुत्र श्री ए प्रभाकर राव, (2) श्री ए आर मोहन राव के पुत्र ए प्रकाश राव, (3) श्री ए आर मोहनराव के पुत्र श्री ए सुरेश राव, अजंता कन्नीर, मंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट, कोप्पा तालूक बिंत्रवल्ली और नगि ग्राम में स्थित निम्नलिखित काफि एस्टेट --

ग्राम सर्वे नबर एकड़-गुंटा
बिंत्रवल्ली 54--18-00 काफि एस्टेट
नगी 115 (भागशः)--7-20 काफि एस्टेट
नगी 116--15-00 काफि एस्टेट
40-20

श्रीमती मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलोर

तारीख 16-1-1982
मोहर

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बेंगलोर, दिनांक 16 जनवरी 1982

निर्देश सं. 395/81-82—यतः मुझे, श्रीमती मंजू माधवन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. सर्वे नम्बर 113 (भागशः), 114 और 115 (भागशः) है, तथा जो नुगी ग्राम, कोप्पा तालूक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोप्पा अंडर डाक्यूमेंट नम्बर 229 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-6-1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

1. मैसर्स मैसूर प्लान्टेशन लिमिटेड, क्वार्ट हिटलो कोप्पा, डिस्ट्रिक्ट चिकमंगलूर।

(अन्तरक)

2. (1) श्री ए. श्रीपतिराव का पुत्र श्री ए. अशोकराव,
(2) श्री ए. श्रीपतिराव का पुत्र श्री ए. किशोरराव,
(3) मास्टर ए. संजय राव प्रतिनिधि उसके पिता श्री ए. श्रीपतिराव, "अलंकार" कलनीर, मंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चिकमंगलूर डिफक्ट, कोप्पा तालूक, नुगी ग्राम में स्थित निम्नलिखित काफि एस्टेट :—

सर्वे नंबर	एक्रे-गुंटा
113 (भागश)	19-25
114 (भागश)	6-09
115 (भागश)	14-26
	40-20

श्रीमती मंजू माधवन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज बेंगलोर

तारीख : 16-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

बेंगलोर, दिनांक 16 जनवरी 1982

निर्देश सं. 396/81-82—यतः मुझे, श्रीमती मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं. एस. नम्बर 108, 109, 111, और 113 (भागशः) है, तथा जो नुगी ग्राम, तालूक कोप्पा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोप्पा अंडर डाक्युमेंट न. 231 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मैसर्स मैसूर प्लान्टेशन लिमिटेड, क्वार्ड हिटलो, कोप्पा, डिस्ट्रिक्ट चिकमंगलूर।

(अन्तरक)

2. श्री ए. रमेशराव का पुत्र श्री ए. अरविंदराव, "कल्पना" कोप्पा, डिस्ट्रिक्ट चिकमंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, कोप्पा तालूक, नुगी ग्राम में स्थित निम्नलिखित काफि एस्टेट:—

सर्वे नंबर एक्रे-गुंटा
108—9-27
109—6-07
111—8-00
113 (भागशः)—16-21
40-15

श्रीमती मंजु माधवन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज बेंगलोर

तारीख : 16-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश सं ए. आर.-2/3203-4/81-82—अतः मुझे, सुधाकर वर्मा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. एस न. 119 सी टी एस 1053 है तथा जो एकसर, बोरीवली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बान्द्रा, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-6-1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री नीलकंठ

(अन्तरक)

2. डाक्टर महादेव दत्ता त्रय बल

(अन्तरिती)

4. श्री नीलकंठ कोटणीस
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा किविलेख संख्या क्र. 93/1978 और जो सब-रजिस्ट्रार बान्द्रा, बम्बई द्वारा दिनांक 30-6-1981 को रजिस्टर्ड किया गया है।

सुधाकर वर्मा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 1-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश सं. अ आर-3/1994/4/81-82—अतः मुझे, सुधाकर वर्मा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं. एस. नं. 13 एच नं. 3 है तथा जो व्हिलेज आंबीवली अंधेरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-6-1981 डाक्युमेंट नम्बर एस 2682/77
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री पोल अन्थोनी डिमेलो, व्हिन्सेन्ट डेनीयल डिमेलो सेव्हेरीनो ब्लेस डिमेलो
बाड़ा हिन्दू राव, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. इष्टदेव सदन को-आपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख संख्या एस-2682/77 और जो सब रजिस्ट्रार बमई द्वारा दिनांक 18-6-1981 को रजिस्टर्ड किया गया है।

सुधाकर वर्मा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 30-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 3 फरवरी 1982

निदेश स. ए आर-1/4568-10/81-82—अत. मुझे, सुधाकर वर्मा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं. सी एस नं. 672 आफ मलबार अंड कम्बाला हिल डिवीजन है तथा जो पेडर रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-6-1981 विलेख नं. बम्बई 555/79
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) महेन्द्र काकूभाय रेशमवाला (2) सीन्हा काकूभाय रेशमवाला (3) अजय महेन्द्र रेशमवाला।
(अन्तरक)

2. कैडेल इस्टेट प्रायवेट लिमिटेड।
(अन्तरिती)

3. भाडूत्री
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख सं. नं. 555/79 बम्बई उप-रजिस्ट्रार, बम्बई द्वारा दिनांक 24-6-1981 को रजिस्टर्ड किया गया है।

सुधाकर वर्मा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 3-2-1982
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 3 फरवरी 1982

निदेश सं. अ आर-1/4562-4/81-82—अत: मुझे, सुधाकर वर्मा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. सी. एस. नं. 852 आफ माजगांव डिवीजन है तथा जो डाक्टर अम्बेडकर रोड भायखला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 17-6-1981 विलेख नं. बम्बई 1604/80
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स एम. एस. कवराना भायखला प्रापर्टी चेरीटी ट्रस्ट।

(अन्तरक)

2. श्रीमती लता बिहारीलाल वाधवा

(अन्तरिती)

3. भाडूत्री

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख संख्या बम्बई-1604/80 उप-रजिस्ट्रार, अधिकारी द्वारा दिनांक 17-6-1981 को रजिस्टर्ड किया गया है।

सुधाकर वर्मा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 3-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 4 फरवरी 1982

निदेश सं. अ. आर/2/3197-7/81-82—अतः मुझे, सुधाकर वर्मा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. प्लाट नं. 21 एस. नं. 168--199 और सी एस नं. 1387/24-2 है तथा जो बोरीवली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-6-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मेसर्स नथूराम रामनारायण प्राईवेट लिमिटेड (अन्तरक)

2. म्युनीसीपल एम्प्लाइज आकांक्षा को-आपरेटिव हाउसींग सोसायटी लिमिटेड। (अन्तरिती)

3. उपरोक्त के अनुसार (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख सं. एस-452/78, और जो सब-रजिस्ट्रार, बम्बई द्वारा दिनांक 18-6-1981 को रजिस्टर्ड किया गया है।

सुधाकर वर्मा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख 4-2-1982
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 6 फरवरी 1982

निदेश सं. अ आर-2/3195/6/81-82—अतः मुझे, सुधाकर वर्मा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. प्लाट नं. 6/83-सी आफ टी पी एस नं. ।। है तथा जो सान्ताक्रुज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-6-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. दी सिटी को-आपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड (अन्तरक)

2. स्वर्गीय श्री देवराज घई (कानूनी हकदार श्री देवेन्द्र देवराज घई द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया)। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख संख्या एस 3271, और जो सब-रजिस्ट्रार, बम्बई द्वारा दिनांक 8-6-1981 को रजिस्टर्ड किया गया है।

सुधाकर वर्मा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 6-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 6 फरवरी 1982

निदेश स ए आर-2/3201-2/81-82--अत मुझे, सुधाकर वर्मा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है
और जिसकी स एस 113 और 114 (पार्ट) सी टी एस न 89 है तथा जो पहाडी एकसर, गोरगाव मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 30-6-1981
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अतरको) और अतंरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है --

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए,

अत अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात --

1 श्रीमती मधुबेन भानुभाई पटेल।

(अन्तरक)

2 श्री लूनीदाराम तुलसीदास पजाबी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख सख्या एस 1046/75 और जो सब-रजिस्ट्रार, बम्बई द्वारा दिनाक 30-6-1981 को रजिस्टर्ड किया गया है।

सुधाकर वर्मा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख 6-2-1982
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, 16 जनवरी 1982

निदेश सं. एएसआर/81-82/343—यत: मुझे, आनंद सिंह, आई आर एस आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. एक मकान है तथा जो शरीफपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महिन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह वासी गली नं. 2 शरीफपुरा, अमृतसर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती माया देवी पत्नी भगवान दास, संतोष कुमारी पत्नी चिमन लाल वासी जंडियाला गुरू मकान नं. 208/2 मोहल्ला शेखपुरा जिला अमृतसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान नं. 21/13 एम. सी. ए. नं. 1053/XV-10 गली नं. 2, शरीफपुरा अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 7689 तिथि 24-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 16-1-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 13 जनवरी 1982

निदेश सं. एएसआर/81-82/344—यतः मुझे, आनंद सिंह आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. एक प्लाट है तथा जो पठानकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पठानकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अमर सिंह पुत्र चौकस, सेली रोड पठानकोट।
(अन्तरक)

2. श्रीमती सुनीता महाजन पुत्री जनक राज वासी सेली रोड पठानकोट।
(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक भूमि का प्लाट जो 2 कनाल 16 मरले है जो आनन्दपुर एरिया, पठानकोट में है जैसा सेल डीड नं. 951/17-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पठानकोट में दर्ज है।

आनंद सिंह आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख 13-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 15 जनवरी 1982

निदेश सं. ए एस आर/81-82/345—यतः मुझे, आनंद सिंह आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

जिसकी सं. एक जायदाद है तथा जो करिश्ना नगर, शास्त्री नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचीत बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सुरजीत कोर गरोवर विधवा अमर सिंह गरोवर 9 दयानंद नगर लारेंस रोड गली नं. 1 अमृतसर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती त्रिपता रानी मेहरा पत्नी राम प्रकाश मेहरा 40 दयानंद नगर गली नं. 2 अमृतसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/3 भाग एक मकान का जो 500 व. ग. है जो करिश्ना नगर (शास्त्री नगर) अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 8326/29-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 15-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 15 जनवरी 1982

निदेश स ए. एस आर /81-82/346—यत मुझे, आनद सिंह आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की **धारा 269-ख** के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, **यह विश्वास करने** का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स एक जायदाद है तथा जो करिश्ना नगर, शास्त्री नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1 श्रीमती किरण अहूजा पुत्री अमर सिंह गरोवर पत्नी गुरमीत सिंह अहूजा एयर इंडिया पोर्ट अफरीका द्वारा श्रीमती सुरजीत कोर गरोवर पत्नी अमर सिंह गरोवर, 9-दयानद नगर लारेंस रोड अमृतसर।

(अन्तरक)

2 श्री अनूप महरा पुत्र राम प्रकाश मेहरा वासी 40 दय्यानन्द नगर गली न 2 अमतसर।

(अन्तरिती)

3 जैसा ऊपर स 2 में कोई किरायेदार हो।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4 और कोई।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से** 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त **व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध** किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/3 भाग मकान का जो 500 व ग है जो करिशना नगर (शास्त्री नगर) अमृतसर में है जैसा सेल डीड न. 8327/29-6-1981 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमतसर में दर्ज है।

आनद सिंह आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख 15-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 15 जनवरी 1982

निदेश सं. ए. एस. आर./81-82/347—यतः मुझे, आनन्द सिंह आई. आर. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं. एक जायदाद है तथा जो करिश्ना नगर, शास्त्री नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती कुसुम भाटिया पुत्री अमर सिंह पत्नी रजिन्द्र पाल सिंह भाटिया, इ-28 पहली मंजिल राजौरी गार्डन नई दिल्ली अब अमृतसर।

(अन्तरक)

2. श्री अनिल मेहरा पुत्र राम प्रकाश मेहरा, 40 दयानंद नगर लारेंस रोड अमृतसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/3 भाग मकान का जो 500 व. ग. है जो करिश्ना नगर (शास्त्री नगर) अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 8324/29-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 15-1-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 28 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/348—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. कृषि भूमि है तथा जो गुजरां लहरी तहसील पठानकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पठानकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री देवी दयाल पुत्र वधावा राम वासी गांव गुजरां लहरी तहसील पठानकोट

(अन्तरक)

2. श्री साधू सिंह सुपुत्र श्री झंडा सिंह वासी लहरी गुजरां तहसील पठानकोट

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप.—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 32 कनाल 5 मरले जो गांव लहरी गुजरां तहसील पठानकोट में है जैसा सेल डीड नं. 707/1-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पठानकोट में दर्ज है।

आनन्द सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 28-1-82
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 28 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/349—यत: मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं. कृषि भूमि है तथा जो गुजरां लहरी तहसील पठानकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पठानकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती इंद्रा देवी पत्नी देवी लाल वासी लहरी गुजरां तहसील पठानकोट

(अन्तरक)

2. श्री लखमीर सिंह अमीर सिंह सुरजीत सिंह प्रीतम सिंह पुत्र माधु सिंह वासी लहरी गुजरां तहसील पठानकोट

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि जो गांव लहरी गुजरां तहसील पठानकोट में है जैसा सेल डीड नं. 789/5-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पठानकोट में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 28-1-82
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 25 जनवरी 1982

निदेश सं. ए.एस आर/81-82/350—यत: मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. भूमि है तथा जो पठानकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)., रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पठानकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अमर सिंह पुत्र कोकरा वासी सयाली रोड आनंदपुर पठानकोट

(अन्तरक)

2. श्री गुरदेव शरमा पुत्र धरम देव वासी जोधा मल कालोनी पठानकोट

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 26 मरला जो आनंदपुर पठानकोट में है जैसा सेल डीड नं. 944/16-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पठानकोट में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 25-1-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/351—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. एक मकान है तथा जो रतन चन्द रोड अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री श्यामसुन्दर शिकारपुरिया पुत्र जवाहरी लाल 46 राय बहादुर रतन चन्द रोड अमृतसर
(अन्तरक)

2. श्री राम चंद खन्ना पुत्र अमर नाथ खन्ना सुधा खन्ना पत्नी राम चन्द खन्ना वासी 46 राय बहादुर रतन चंद रोड अमृतसर
(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कोठी खसरा नं. 3192/1032 मिन जो राय बहादुर रतन चन्द रोड अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 7080 तिथि 17-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 30-1-82
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश नं. ए.एस आर/81-82/352—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. एक मकान है तथा जो कवीनज रोड अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख : जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती महिन्द्र कौर पत्नी स्वर्गीय करम सिंह व सतीश इंद्र सिंह पुत्र चरण सिंह व राजेन्दिर अमृत कौर विधवा चरन सिंह 3 कवीनज रोड, अमृतसर।

(अन्तरक)

2. श्री कुलदीप सिंह पुत्र बलवंत सिंह, वासी 3, कवीनज रोड, अमृतसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान खसरा नं. 1177 मिन व प्राइवेट नं. 2, 3 व 4 जो कवीनज रोड, अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 6806/12-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 30-1-82
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 25 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/353—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं. एक प्लाट है तथा जो तुंग पाई अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री इन्द्र सिंह पुत्र सूरत सिंह वासी गांव तुंग पाई अमृतसर
(अन्तरक)

2. मेंसरज करिशना प्रिंटस, धरम सिंह मारकीट अमृतसर
(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक भूमि का प्लाट खसरा नं. 1929/256 जो तुंग पाई -बटाला रोड अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 5913/5-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 25-1-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 28 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/354—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. एक शेड व खाली प्लाट है तथा जो गोकल का बाग अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगविन्द्र सिंह ढिल्लों पुत्र प्रीतम सिंह, सुजिन्द्र सिंह पुत्र जगविन्द्र सिंह, वासी 7 लारेंस रोड, अमृतसर, कृष्णानगर

(अन्तरक)

2. श्री सरजीवन लाल खना व विलास कुमार खना पुत्र राम दास वासी कूचा बिकरम कटड़ा मोती राम अमृतसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 भाग शेड व प्लाट का नं. 56 जो गोकल का बाग इसट मोहन नगर अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 8157/29-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 28-1-82
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 28 जनवरी 1982

निदेश न. ए एस आर/81-82/355—यत. मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी स. एक शेड व खाली प्लाट है तथा जो गोकल का बाग अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री जगविन्द्र सिंह ढिलों पुत्र प्रीतम सिंह, सुरिन्द्र सिंह पुत्र जगविन्द्र सिंह, वासी 7 लारेंस रोड, अमृतसर।

(अन्तरक)

2. श्री सरजीवन लाल खन्ना पुत्र राम दास, वासी कूचा बिकरम कटड़ा मोती राम अमृतसर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर स. 2 में कोई किरायेदार हो।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 भाग शेड व प्लाट का न. 56 जो गोकल का बाग इसट मोहन नगर अमृतसर में है जैसा सेल डीड सं. 8158/29-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 28-1-82
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/356——यत: मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. इंडसट्रीयल इसटेट है तथा जो गांव काले धनपुर अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:——

1. श्री मोती सागर पुत्र मदन चन्द वासी कवीनज रोड अमृतसर द्वारा श्री रजिन्द्र कुमार पुत्र माधो राम अटारनी

(अन्तरक)

2. मैसरज क्राउन वूलन मिल्ज बटाला रोड अमृतसर द्वारा श्री संत पाल

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5/8 भाग शेड का (इमारत) खसरा नं. 184/203 जो छहरटा धनपुर काले अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 8041/26-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 30-1-82
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/357—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. इंडसटीरयल इसटेट है तथा जो गांव काले धनपुर अमृतसर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मोती सागर पुत्र मदन चन्द वासी कवीनज रोड अमृतसर द्वारा श्री रजिन्द्र कुमार अटारनी (अन्तरक)

2. मैसरज क्राउन वूलन मिल्ज बटाला रोड अमृतसर (अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है तथा उनका वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/8 भाग शेड का (इमारत) खसरा नं. 184/203 जो छहरटा भानुपुर काले अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 7517/23-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 30-1-82
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश नं. ए.एस आर/81-82/358—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. इंडसटिरयल एसटेट है तथा जो गांव काले धनूपुर अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शिव कुमार कपूर एच यू एफ द्वारा शिव कुमार कपूर पुत्र मल्या पाल, वासी सरकुलर रोड, अमृतसर।

(अन्तरक)

3. मेसरज क्राउन वूलन मिलज बटाला रोड, अमृतसर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

3/32 भाग शेड/इमारत का खसरा नं. 184/203 जो छहरटा धनूपुर काले अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 6180/9-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 30-1-82
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/359—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी स. इण्डस्ट्रियल एस्टेट है तथा जो गांव काले धनूपुर अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कमल किशोर कपूर एस ए एफ सरकुलर रोड अमृतसर द्वारा सत्या पाल कपूर अटार्नी

(अन्तरक)

2. मैसर्स काउल वूलन मिलज बटाला रोड, अमृतसर। द्वारा सुभाष चन्द्र

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

3/32 भाग शेड/इमारत का खसरा न. 184/203 जो काले धनूपुर काले अमृतसर में है जैसा सेल डीड न. 6170/ 9-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 30-1-82
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/360—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. इंडसटीरयल एसटेट है तथा जो गांव काले धनूपुर छहरटा अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मोती सागर कपूर पुत्र मदन चन्द वासी कश्मीर रोड अमृतसर।

(अन्तरक)

2. मैसरज क्राउन वूलन मिलज बटाला रोड, अमृतसर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 भाग शेड/इमारत का खसरा नं. 184/203 जो छहरटा धनूपुर काले अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 6435/11-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 30-1-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/361—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावरर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. इंडसट्रीयल एसटेट है तथा जो गांव काले धनूपुर छहरटा अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मोती सागर एच यू एफ वासी कवीनज रोड अमृतसर द्वारा रजिन्द्र कुमार पुत्र माधा राम कवीनज रोड अमृतसर

(अन्तरक)

2. मैसरज क्राउन वूलन मिलज बटाला रोड अमृतसर द्वारा श्याम सुन्दर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5/48 भाग शेड/इमारत का खसरा नं. 184/203 जो छहरटा धनूपुर वाले अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 5525/12-6 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 30-1-82
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश सं. ए एस आर/81-82/362—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. इन्डस्ट्रीयल एस्टेट है तथा जो गांव काले धनूपुर छहरटा अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मोती सागर एच यू एफ द्वारा राजिन्द्र कुमार पुत्र माधो राम कबीनज रोड, अमृतसर

(अन्तरक)

2. मैसर्ज क्राउन वूलन मिल्ज बटाला रोड, अमृतसर द्वारा पन्ना लाल

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/6 भाग रोड शेड/इमारत का खसरा नं. 184/203 जो छहरटा धनूपुर काले अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 7084/17-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 30-1-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निर्देश सं. ए. एस. आर./81-82/363—यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. इंडस्टरियल एस्टेट है तथा जो गांव काले धनपुर छहरटा, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शिव कुमार कपूर पुत्र सत्या पाल, वासी सरकूलर रोड, अमृतसर एच. यू. एफ. करता शिव कुमार कपूर।

(अन्तरक)

2. मैसर्स क्राउन वूलन मिल्ज, बटाला रोड, अमृतसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5/32 भाग शेड/इमारत का जो खसरा नं. 184/203 जो छहरटा धनपुर काले, अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 7142/18-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 30-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निर्देश सं. ए. एस. आर./81-82/364—यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. इंडस्टरियल एसटेट है तथा जो गांव काले धनपुर छहरटा, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मोती सागर एच. यू. एफ., बासी सरकुलर रोड, अमृतसर द्वारा रजिन्द्र कुमार पुत्र माधो राम। (अन्तरक)

2. मैसर्स क्राउन वूलन मिलज, बटाला रोड, अमृतसर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

7/24 भाग शेड/इमारत का जो खसरा नं. 184/203 जो छहरटा, धनपुर काले, अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 7289/19-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 30-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश सं. ए. एस. आर./81-82/365—यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें **इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. इंडसटरियल एसटेट है तथा जो गांव काले धनुपुर छहरटा, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री कमल किशोर कपूर एच. यू. एफ. द्वारा सत्या पाल पुत्र गोकल चंद, बागी सरकुलर रोड अमृतसर। (अन्तरक)

2. मैसर्स क्राउन वूलन मिलज, बटाला रोड, अमृतसर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

3/32 भाग शेड/इमारत का जो खसरा नं. 184/203 जो छहरटा, धनपुर काले, अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 7141/18-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 30-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निर्देश सं. ए. एस. आर./81-82/366--यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. इंडस्टरियल एसटेट है तथा जो गांव काले धनुपुर छहरटा, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री मोती सागर पुत्र मदन चंद, वासी कवीन्ज रोड, अमृतसर द्वारा रजिंद्र कुमार अटारनी।
(अन्तरक)

2. मैसर्स क्राउन वूलन मिल्ज, बटाला रोड, अमृतसर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 भाग शेड/इमारत का खसरा नं. 184/203 जो छहरटा धनुपुर काले, अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 7140/18-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 30-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) धारा की

269 (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निर्देश सं. ए. एस. आर./81-82/367--यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. इंडसटरियल एसटेट है तथा जो गांव काले के धनुपुर छहरटा, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

1. श्री मोती सागर एच. यू. एफ. द्वारा मोती सागर कपूर पुत्र मदन चंद कपूर, वासी कवीनज रोड, अमृतसर करता एच. यू. एफ. द्वारा रजिंद्र कुमार विज पुत्र माधो राम, वासी गरीन एवनयू मुखतारआम आप द्वारा अटारनी।

(अन्तरक)

2. मै. क्राउन वूलन मिलज, बटाला रोड, अमृतसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/6 भाग शेड/बिल्डिंग खसरा नं. 184/203 जो छहरटा धनपुर काले, अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 7290/1 तिथि 19-6-1981 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 30-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 15 जनवरी 1982

निदेश सं. ए. एस. आर./81-82/368--यतः मुझे, आनंद सिंह, आई.आर.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. एक मकान है तथा जो जी. टी. रोड, सामने सिटी लाईट सिनेमा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)., रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्रीमती रविन्द्र पाल कौर विधवा दातार सिंह, वासी 3-डी, माडल टाउन, करनाल (हरियाणा)।

(अन्तरक)

2. श्रीमती (डाक्टर) प्रकाश कौर पत्नी उपकार सिंह, मकान नं. 289, जी. टी. रोड, अमृतसर सामने सिटी लाईट सिनेमा, अमृतसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

एक कोठी नं. 289 जो जी. टी. रोड सामने सिटी लाइट सिनेमा अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 6373/11-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 15-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 28 जनवरी 1982

निर्देश सं. ए. एस. आर./81-82/369—यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं. मकान है तथा जो बटाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर-अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री राम लुभाया पुत्र अमर नाथ, डेरा बाबा नानक। (अन्तरक)

2. श्री सुलखान सिंह पुत्र दयाल सिंह महला सिंबल काहनूवान रोड, बटाला। (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान जो सिंबल काहनूवान रोड, बटाला में है जैसा सेल डीड नं. 2041/8-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटाला में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 28-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 28 जनवरी 1982

निर्देश सं. ए. एस. आर./81-82/370—यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. मकान है तथा जो बटाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री राम लुभाया पुत्र अमर नाथ, डेरा बाबा नानक।
(अन्तरक)

2. श्री धरम सिंह पुत्र दयाल सिंह महला सिंबल काहनूवान रोड, बटाला।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान जो सिंबल काहनूवान रोड, बटाला में है जैसा सल डीड नं. 2042/8-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटाला में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी अमृतसर

तारीख : 28-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निर्देश सं. ए. एस. आर./81-82/371—यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं. एक मकान है तथा जो मकबूल रोड, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)., रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. दी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन अमृतसर द्वारा चमन लाल पुत्र फकीर चंद, वासी बाग रामा नंद, अमृतसर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुशीला गुप्ता पत्नी लेख राज कमल गुप्ता पुत्र लेख राज, वासी मकबूल रोड, अमृतसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो खरीददार के पास 300/- महीना 1963 से

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान बना हुआ जो मकबूल रोड, अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 8673/30-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 30-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 25 जनवरी 1982

निर्देश सं. ए. एस. आर./81-82/372—यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. एक प्लाट है तथा जो वाइट एवनयू, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)., रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सुहाग वती पत्नी सरूप लाल, वासी गांधी नगर, पठानकोट।
(अन्तरक)

2. श्री जिया लाल सुकेश कुमार पुत्र बृज लाल खहू बंबे वाला, अमृतसर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक भूमि का प्लाट जो मकबूल रोड, (वाइट एवनयू/स्टेट बैंक कालोनी) अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 7500/23-6-1981 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 3, चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 25-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 25 जनवरी 1982

निदेश सं. ए. एस. आर../81-82/373—यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस.,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. भूमि है, तथा जो पठानकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पठानकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; **और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अमर सिंह पुत्र [illegible], वासी [illegible] रोड, पठानकोट।

(अन्तरक)

2. श्री राम आसरा पुत्र लक्ष्मण दास, वासी ढांगू रोड, पठानकोट।

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से** 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 1 कनाल, 17 मरले जो गांव आनंदपुर, पठानकोट में है जैसा कि सेल डीड नं. 976/19-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पठानकोट में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3, चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 25-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 25 जनवरी 1982

निदेश सं. ए. एस. आर./81-82/374—यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस., आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. भूमि है, तथा जो पठानकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पठानकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित किया नहीं गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सागर सिंह पुत्र लोकचा, वासी स्वामी रोड, पठानकोट।

(अन्तरक)

2. श्री सतिन्द्र महाजन पुत्र ज्ञान चंद, वासी ढांगू रोड, पठानकोट।

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 1 कनाल, 9 मरले 118 सरसाही, जो गांव आनंदपुर के एम. एम. रोड, पठानकोट में है जैसा कि सेल डीड नं. 945/16-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पठानकोट में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3, चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 25-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 25 जनवरी 1982

निदेश नं. ए. एस. आर./81-82/375--यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस.,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. भूमि है, तथा जो पठानकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पठानकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री अमर सिंह पुत्र चोकस, वासी स्याली रोड, पठानकोट।

(अन्तरक)

2. श्री कुलदीप चंद पुत्र ज्ञान चंद, वासी ढांगू रोड, पठानकोट।

(अन्तरिती)

3. जैसा उपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि 1 कनाल, 17 मरले जो गांव आनंदपुर के एम. एम. रोड, पठानकोट में है जैसा कि सेल डीड नं. 1082/29-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पठानकोट में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 25-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ —————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 25 जनवरी 1982

निदेश नं. ए. एस. आर./81-82/376—यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस.,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं. भूमि है, तथा जो पठानकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पठानकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अमर सिंह पुत्र चोखा, वासी स्याली रोड, पठानकोट।

(अन्तरक)

2. श्री चरनजीलाल पुत्र लक्ष्मन दास, वासी ढांगू रोड, पठानकोट।

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 1 कनाल, जो आनंदपुर, के. एम. एम. रोड, पठानकोट में है जैसा कि सेल डीड नं. 1008/23-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पठानकोट में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 25-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज, अमृतसर

अमृतसर, दिनाक 25 जनवरी 1982

निदेश न. ए. एस. आर./81-82/377—यतः मुझे, आनंद सिंह, आई. आर. एस.,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन [illegible] कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका [illegible] मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं भूमि है, तथा जो पठानकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटानकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अमर सिंह पुत्र जमीत राय, वासी मल पुर, तहसील, पठानकोट।

(अन्तरक)

2. श्री राम प्रकाश पुत्र लक्षमन दास, वासी ढांगू रोड, पठानकोट।

(अन्तरिती)

3. जैसा उपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 1 कनाल, 17 मरले, जो आनंदपुर, के. एम. एम. रोड, पठानकोट में है जैसा कि सेल डीड सं. 983/23-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पठानकोट में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई. आर. एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 25-1-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 25 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/378—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. भूमि है तथा जो पठानकोट में स्थित है (और उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पठानकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अमर सिंह पुत्र चोकश वासी सयाली रोड पठानकोट (अन्तरक)

2. श्री पंकज महाजन, नीरज महाजन पुत्र कुलदीप चंद ढांगू रोड, पठानकोट (अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर से 2 में कोई किरायेदार हो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 1 कनाल 14 मरले जो आनन्द पुर के. एम. एम. रोड, पठानकोट में है जैसा सेल डीड नं. 1051/25-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पठानकोट में दर्ज है।

आनंद सिंह, आई.आर.एस.
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 25-1-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/379--यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. एक प्लाट है तथा जो महिन्द्रा कालोनी अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री गुरबचन सिंह पुत्र करतार सिंह वासी माडल टाउन, अमृतसर
(अन्तरक)
2. श्रीमती रघबीर कौर पत्नी सवरण सिंह पुत्र बधावा सिंह, वासी सकाइलार्क होटल अमृतसर
(अन्तरिती)
3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक भूमि का प्लाट न. 220 जो 275 व. मी. है जो महिन्द्रा कालोनी/रानी का बाग अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 7220/19-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख : 1-2-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/380--यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 16) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. कृषि भूमि है तथा जो श्री हरगोबिन्द पुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्रीमती करतार कौर पुत्री हरी सिंह वासी गांव सलोह-पुर कलां पास काहनुवान तहसील गुरदासपुर

(अन्तरक)

2. करनैल सिंह सरवन सिंह गुरनाम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह वासी मोहल्ला संतोख पुरा श्री हरगोबिंदपुर, तहसील बटाला

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि 15 कनाल 8 मरले जो श्री गुरुहरगोबिन्द पुर में है जैसा सेल डीड नं. 3327/7-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटाला में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी, अमृतसर

तारीख 30-1-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/381—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. इंडसटिरयल कम्पैक्स है तथा जो वेरका अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मोहन लाल अरोड़ा पुत्र राधा कीशन, वासी राधा स्वामी रोड आफ मालवीय रोड अमृतसर
2. मेसरज प्रदीप कुमार एंड ब्रदरज सामने मिल्क प्लांट वेरका अमृतसर
3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक शेड (5539 व. ग.) जो बाई पास वेरका अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं. 8336/29-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 1-2-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 1 फरवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/382—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. कृषि भूमि है तथा जो गांव अठवाल सब तहसील कलानोर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलानोर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती महिन्द्र कौर विधवा जसवंत सिंह अजेपाल सिंह पुत्र व बिक्रमजीत कौर जतिन्द्र पाल कौर पुत्रियां जसवंत सिंह पुत्र बूर सिंह, वासी पठानकोट अब अठवाल सब तहसील कलानोर, जिला गुरदासपुर (अन्तरक)

2. श्री प्रितपाल सिंह गुरपाल सिंह व मनबीर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह गांव अठवाल तहसील कलानोर जिला गुरदासपुर (अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 36 कनाल 19 मरले जो गांव अठवाल तहसील कलानोर जिला गुरदासपुर में है जैसा सेल डीड नं. 336/9-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कलानोर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 1-2-82
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 2 फरवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/383—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. बिलअ अप कंपेलक्स है तथा जो सराय संत राम अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

21—486GI/81

1. श्री करशिन गोपाल सपरा पुत्र परतूल चंद वासी कटड़ा हरी सिंह अमृतसर

(अन्तरक)

2. श्री किरपाल सिंह पुत्र लाभ सिंह कशमीर सिंह पुत्र अरजन सिंह, वासी पंजवड़ तहसील तरन तारन बलदेव सिंह पुत्र बलवंत सिंह, वासी सराय तलवंडी तहसील तरन तारन

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिंग सोसाइटी लिमिटेड, अमृतसर

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक बिलट अप कम्पेलेक्स जो सराय संत राम बैरून हाल गेट अमृतसर में है जैसा सकल डीड नं. 8317/29-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 2-2-82
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 2 फरवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/384—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. बिल्ट अप कम्पलेक्स है तथा जो सराय संत राम अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री करशिन गोपाल पुत्र परतुल चन्द वासी कटड़ा हरी सिंह अमृतसर।

(अन्तरक)

2. श्री हरपाल सिंह पुत्र लाभ सिंह हरबंस सिंह पुत्र अरजन सिंह वासी पंजवड़ तहसील तरन तारन अजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह वासी सराय तलवंडी, तहसील अमृतसर

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक बिल्ट अप कम्पलेक्स जो सराय संत राम बैरुन हाल गेट अमृतसर में है जैसा सकल डीड नं. 8321/29-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 2-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 4 फरवरी 1982

निदेश नं. ए एस आर/81-82/385---यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. कृषि भूमि है तथा जो गुरदासपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुरदासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्री रविंद्र नाथ पुत्र नरिन्द्र नाथ वासी गुरदासपुर (अन्तरक)
2. श्री मेहर सिंह पुत्र जगत सिंह वासी गांव पीरां बाग डा. हयात नगर जिला गुरदासपुर (अन्तरिती)
3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. और कोई (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 1 कनाल 16 मरले जो गुरदासपुर में है जैसा सेल डीड नं. 1752/3-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरदासपुर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 4-2-1982
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 4 फरवरी 1982

निदेश नं. ए.एस आर/81-82/386—यतः मुझे, आनन्द सिंह, आई आर एस
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. कृषि है तथा जो गुरदासपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुरदासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री गुरदीप सिंह हरदीप सिंह पुत्र अजीत सिंह वासी गांव जैनपुर व देवी सिंह पुत्र सुन्दर सिंह वासी गांव नबीपुर, तहसील व जिला गुरदासपुर
(अन्तरक)

2 कैप्टन हरमीत सिंह सुपुत्र जसवन्त सिंह, निवासी गुरदासपुर
(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4 और कोई
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि जो गांव जैनपुर में है रकबा 96 कनाल है जैसा सेल डीड 2882/24-6-81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरदासपुर में दर्ज है।

आनन्द सिंह, आई आर एस
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 4-2-1982
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 2nd January 1982

No. A. 32011/1/80-Admn. III.—On being nominated to the C.S.S. Cadre of U.P.S.C. for appointment as Section Officer under the zoning Scheme, Shri V. C. Kajla, a permanent Assistant of the cadre of Planning Commission is hereby appointed to officiate as Section Officer on long-term basis with effect from the forenoon of 16th December 1981.

Shri V. C. Kajla may note that he will be reverted as and when Select List Officers become available, in the event of non-availability of vacancies at that time.

The 31st January 1982

No. A. 38013/5/81-Admn. III.—The President is pleased to permit Shri B. K. Bhattacharya, a permanent Section Officer of Central Secretariat Service, Cadre and officiating in Grade I of Central Secretariat Service as under Secretary in the Office of Union Public Service Commission to retire from Government Service after attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of the 31st January 1982.

No. A. 38013/4/81-Admn.III.—The President is pleased to permit Shri Bisheshwar Prasad, a permanent Assistant and officiating Section Officer of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission, to retire from Government service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of the 31st January 1982 in terms of Department of Personnel O.M. No. 33/12/73-Ests (A) dated the 24th November, 1973.

No. A. 38013/5/81-Admn.III.—The President is pleased to permit Shri S. P. Nayar, a permanent Assistant and officiating Section Officer of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission, to retire from Government service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of the 31st January 1982 in terms of Department of Personnel O.M. No. 33/12/73-Ests.(A) dated 24th November 1973.

Y. R. GANDHI
Under Secy. (Admn.)
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & AR

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 11th February 1982

No. A-19020/1/79-AD. V.—The services of Shri R. C. Jha, IPS (MP-1961) Dy. Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment are placed back at the disposal of the Govt. of Madhya Pradesh with effect from 8-2-1982 afternoon on repatriation.

No. A-19035/3/79-AD. V.—On attaining the age of superannuation, Shri S. C. Das Gupta, Office Superintendent, CBI relinquished charge of the office of Office Superintendent with effect from the afternoon of 31-1-1982.

No. A-22013/1/82-AD. V.—The Director/CBI and Inspector General of Police, Special Police Establishment is pleased to appoint Shri T. Sudersana Rao, Crime Assistant as Office Supdt./CBI on promotion on *ad hoc* basis in the CBI for a period of 3 months from 1-2-1982 or till the panel is drawn and the post is filled on regular basis whichever is earlier.

The 12th February 1982

No. A-31016/2/81-AD. I(DPC).—In exercise of the powers conferred by Rule 9(2) of the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965, Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police, S.P.E., hereby appoints Shri Jaspal Singh substantively to the post of Senior Scientific Assistant, in the Central Forensic Science Laboratory, C.B.I. w.e.f. 31-12-81.

The 15th February 1982

No. A-19028/1/78-AD. V.—The services of Shri A. V. Rajaraman, Executive Engineer/CBI are placed back at the disposal of Director General of Works, CPWD on repatriation with effect from 4-2-1982 (FN) after the expiry of leave from 25-5-81 to 21-1-1982 and joining time.

No. A-19020/1/82-AD. V.—The President is pleased to appoint Shri A. S. Bal IPS (MP-1963) as Deputy Inspector General of Police on deputation in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the afternoon of 8-2-1982.

The 16th February 1982

No. A-19013/1/81-AD. V.—The Services of Shri Bajrang Lal, IPS (Rajasthan-1953) Joint Director, Central Bureau of Investigation and Special Inspector General of Police, Special Police Establishment were placed at the disposal of Delhi Administration with effect from the afternoon of 23-12-1981.

HERO A. SHAHANEY
Administrative Officer (E)
Central Bureau of Investigation

New Delhi, the 15th February, 1982

No. A-22020/71/80-Ad.III.—Consequent upon his promotion on *ad hoc* basis to the post of Stenographer Grade 'B' in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-800-EB-40-920-40-1040, Shri G. K. Guha has taken over charge of the post of Sr. P. A. (Grade 'B' Stenographer) in the C.B.I. with effect from 5-2-1982 (FN).

DWARKA NATH
Supdt. of Police (HQ), C.B.I. (HO).

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110022, the 10th February 1982

No. O. II-1518/80-Estt.—The President is pleased to relieve Dr. Sreekant Swamy, GDO; Grade-II of group Centre CRPF Avadi with effect from the afternoon of 22-1-82 on expiry of one month's notice under Rule 5(1) of the CCS (Temporary Service) Rules, 1965.

No. O. II-1592/81-Estt.—The President is pleased to relieve Dr. Prakash Chavali, GDO; Grade-II of Group Centre-I CRPF Ajmer with effect from the afternoon of 1-2-82 on expiry of one month's notice under Rule 5(1) the CCS (Temporary Service) Rules, 1965.

The 11th February 1982

No. P. VII-4/80-Estt-I—The President is pleased to appoint on promotion, the following Inspectors of CRPF to the post of Deputy Superintendent of Police (Company Commander/Quarter Master) in a temporary capacity till further orders:—

2. They took over charge of the post in the units on the dates indicated against their names:—

Sl. No.	Name of Officer	Unit to which posted	Date of taking over charge.
1	2	3	4
1.	Shri Hari Singh . . .	26 Bn	26-2-81
2.	Shri Virender Singh . .	49 Bn	11-3-81
3.	Shri Karam Singh . .	4 Bn	9-3-81 (AN)
4.	Shri G. Prema Sagran .	21 Bn	23-2-81
5.	Shri Rati Ram Yadav .	23 Bn	14-2-81
6.	Shri Bhanwar Singh . .	70 Bn	19-3-81

1	2	3	4
7.	Shri Virender Singh	47 Bn	9-3-81
8.	Shri Amin Lal . .	. 64 Bn	20-3-81
9.	Shri D. S. Rana .	. 64 Bn	10-3-81 (AN)
10.	Shri Lekhraj Singh .	. 65 Bn	14-2-81
11.	Shri Daya Nand .	. 9 Bn	18-2-81
12.	Shri Gurcharan Singh	. 28 Bn	14-2-81
13.	Shri Gulab Singh .	. 42 Bn	26-2-81
14.	Shri Prem Singh .	. 65 Bn	18-2-81
15.	Shri Sattar Singh .	. 38 Bn	29-3-81
16.	Shri Umrao Prasad Yadav	. GC BBSR	7-3-81
17.	Shri Hardev Singh :	. 63 Bn	14-2-81
18.	Shri Jagdish Chand .	. 43 Bn	28-2-81
19.	Shri P. B. Gurang .	. 33 Bn	14-2-81
20.	Shri Mohd. Wasim .	. 32 Bn	14-2-81
21.	Shri Joginder Pal Singh	. 63 Bn	22-4-81
22.	Shri O. P. Khola .	. 21 Bn	14-2-81
23.	Shri Astosh Maithani.	. GC PPM	14-2-81
24.	Shri Komal Singh .	. 6 Bn	14-2-81
25.	Shri G. Sukumaran Nair	. Dte	16-2-81
26.	Shri Puran Chand .	. 27 Bn	21-2-81
27.	Shri Roshan Lal .	. 64 Bn	23-3-81
28.	Shri Prem Singh .	. 10 Bn	6-3-81 (AN)
29.	Shri Sona Pathak .	. 37 Bn	18-2-81
30.	Shri Jaibir Singh .	. 65 Bn	14-2-81
31.	Shri Dhani Ram .	. GC NGR	2-3-81 (AN)
32.	Shri Sobha Chand .	. 10 Bn	14-2-81
33.	Shri Ved Prakasn .	. 53 Bn	21-2-81
34.	Shri M. S. Malik .	. 30 Bn	14-2-81
35.	Shri Kasim Khan .	. 62 Bn	14-2-81
36.	Shri Chhajju Ram .	. 46 Bn	16-2-81
37.	Shri R. S. Mishra .	. 44 Bn	18-2-81
38.	Shri Yashpal Sharma .	. HC NGR	14-2-81
39.	Shri Gurmukh Singh	. GC AVD	7-3-81
40.	Shri Kewal Krishan .	. 5 Bn	14-2-81

A. K SURI
Assistant Director (Estt.)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 10th February 1982

No. 10/8/80-Ad.I.—In continuation of this office Notification of even number dated the 6th July, 1981, the President is pleased to appoint, Shri N. G. Nag, Assistant Registrar General, (Social Studies) in the office of the Registrar General, India, New Delhi, as Deputy Registrar General (Social Studies) in the same office on a purely temporary and *ad hoc* basis, for a further period upto the 30th June, 1982 *or* till the post is filled in, on a regular basis, whichever period is shorter.

2. The head-quarters of Shri Nag will be at New Delhi.

No. 10/31/81-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri M. L. Kumawat, Senior Geographer in the office of the Director of Census Operations, Rajasthan, Jaipur, as Research Officer (Drawing) in the office of the Registrar General, India New Delhi, by transfer on deputation on *ad hoc* basis, for a period not exceeding one year, with effect from the forenoon of the 1st February, 1982 *or* till the post is filled in, on a regular basis, which-ever period is shorter.

2. The head-quarters of Shri Kumawat will be at New Delhi.

3. The appointment, on deputation, of Shri Kumawat to the Post of Research Officer (Drawing) in this office will be regulated under the terms and conditions as contained in the Government of India, Ministry of Finance O. M. No. F. 1 (II) E III(B)/75 dated 7-11-1975.

No. 10/4/81-A.D.I.—The President is pleased to appoint, by promotion, Shri H. R. Ghulyani, Assistant Director (Data Processing) in the office of the Registrar General, India, New Delhi, as Deputy Director (Data Processing) in the same office, on a purely temporary and *ad hoc* basis, for a period not exceeding one year with effect from the forenoon of the 19th January, 1982 or till the post is filled in, on a regular basis, whichever period is shorter.

2. The headquarters of Shri Ghulyani will be at New Delhi.

3. The above-mentioned *ad hoc* appointment will not bestow upon Shri Ghulyani any claim to regular appointment to the post of Deputy Director (Data Processing). The Services rendered by him on *ad hoc* basis shall not be counted for the purpose of seniority in the grade nor for eligibility for promotion to the next higher grade. The above mentioned *ad hoc* appointment may be reversed at any time at the discretion of the appointing authority without mentioning any reason therefor.

No. 10/5/82-Ad.I.—The President is pleased to appoint, by promotion Shri K. R. Unni, Deputy Director (Programme) in the Office of the Registrar General, India, New Delhi, as Senior Systems Analyst in the same office, on a purely temporary and *ad hoc* basis, for a period not exceeding one year with effect from the forenoon of the 19th January, 1982 *or* till the post is filled in, on a regular basis, whichever period is shorter.

2. The head-quarters of Shri Unni will be at New Delhi.

3. The above-mentioned *ad hoc* appointment will not bestow upon Shri Unni any claim to regular appointment to the post of Senior Systems Analyst. The services rendered by him on *ad hoc* basis shall not be counted for the purpose of seniority in the grade nor for eligibility for promotion to the next higher grade. The above-mentioned *ad hoc* appointment may be reversed at any time at the discretion of the appointing authority without mentioning any reason therefor.

No. 10/6/82-Ad.I.—The President is pleased to appoint, by promotion, S/Shri R. P. Gupta and Pradeep Mehra, Assistant Director (Programme) in the Office of the Registrar General, India New Delhi, as Deputy Director (Programme) in the same Office, on a purely temporary and *ad hoc* basis, for a period not exceeding one year with effect from the forenoon of the 19th January, 1982 *or* till the posts are filled in, on a regular basis, whichever period is shorter.

2. The headquarters of S/Shri Gupta and Mehra will be at New Delhi.

3. The above-mentioned *ad hoc* appointments shall not bestow upon the officers concerned any claim to regular appointments to the post of Deputy Director (Programme). The services rendered by them on *ad hoc* basis shall not be counted for the purpose of seniority in the grade nor for eligibility for promotion to the next higher grade. The above-mentioned *ad hoc* appointments may be reversed at any time at the discretion of the appointing authority without mentioning any reason therefor.

P. PADMANABHA
Registrar General, India.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
(BANKING DIVISION)
REHABILITATION FINANCE ADMINISTRATION UNIT

New Delhi, the 11th February 1982

No. REAU/2(8)/ESTT/81.—Shri B. Brahma, Superintendent, Branch Office, Rehabilitation Finance Administration

1	2	3	4	5
	S/Shri			
24.	S. K. Bhattacharjee, P/101	Pt. Accounts Officer	30-11-81	Controller of Defence Accounts, Patna.
25.	S. Ramamurthi, P/87	Do.	30-11-81	Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay.
26.	G. S. Ramachandran, P/444	Do.	31-12-81	Joint Controller of Defence Accounts, (Funds), Meerut.
27.	Sham Lal Narang, O/52	Officiating Accounts Officer	31-12-81	Controller of Accounts (Factories), Calcutta.
28.	A. Srinivasan, O/116	Do.	31-12-81	Controller of Defence Accounts (Officers) Poona.
29.	P. R. Nagraj, O/216	Do.	31-12-81	Do.
30.	Dev Raj Khattar, P/130	Pt. Accounts Officer	30-11-81	Controller of Defence Accounts (Other Ranks), North, Meerut.
31.	Birendra Narain Saxena, P/125	Do.	31-12-81	Do.
32.	Radhakrishan Thukral, P/236	Do.	31-12-81	Controller of Defence Accounts (Other Ranks), North, Meerut Cantt.
33.	Sadananda Sarkar, P/231	Do.	31-12-81	Controller of Defence Accounts, Patna.
34.	G. L. Sarkar, P/411	Do.	31-12-81	Do.
35.	Santosh Kumar Mukherjee, P/511	Do.	31-12-81	Controller of Accounts (Factories) Calcutta.
36.	P. K. Mukherjee, P/126	Do.	31-12-81	Do.
37.	B. K. Chatterjee, O/42	Offg. Accounts Officer	31-12-81	Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta.
38.	Om Prakash Jerath, P/401	Pt. Accounts Officer.	31-12-81	Controller of Defence Accounts (Other Ranks), Central, Nagpur.
39.	Suraj Prakash Anand, O/63	Offg. Accounts Officer	31-7-81	Controller of Defence Accounts Western Command, Meerut.
40.	Manhohar Lal Dua, P/168	Pt. Accounts Officer	31-8-81	Do.
41.	Prem Sagar Gupta, P/323	Do.	31-8-81	Do.
42.	Ram Dev Verma, P/321	Do.	31-10-81	Do.
43.	P. R. Mukherjee, P/84	Do.	31-10-81	Do.
44.	Om Prakash Saini, O/357	Offg. Accounts Officer	31-12-81	Do.
45.	Jagdish Nath Jain, P/385	Pt. Accounts Officer	31-12-81	Do.
46.	Jit Singh, P/258	Pt. Accounts Officer	31-8-81	Controller of Defence Accounts Northern Command, Jammu.
47.	Sukh Dev Sharma, O/254	Offg. Accounts Officer	31-8-81	Do.
48.	Sohan Lal Bhasin, P/374	Pt. Accounts Officer	30-9-81	Do.
49.	Om Prakash Aggarwal, P/215	Do.	30-11-81	Do.
50.	Inder Kumar Kapila, P/553	Do.	31-10-81	Do.

The Controller General of Defence Accounts regrets to notify the death of the undermentioned Accounts Officer.

Sl. No.	Name with Roster No.	Grade	Date of death	Struck off strength	Organisation
1.	Shri A. Sriraman, (O/347)	Offg. Accounts Officer	31-10-81	1-11-81 (FN)	Controller of Defence Accounts Southern Command, Poona.

A. K. GHOSH,
Deputy Controller General of Defence Accounts (Proj.)

MINISTRY OF DEFENCE
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE
ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta-16, the 6th February 1982

No. 5/82/G.—Shri P. R. Rao, (Substantive & Permt. DDGOF/GM(SG) retired from service w.e.f. 1-11-81 (FN) consequent on his Permanent absorption in National Instruments Ltd., Calcutta with effect from the same date.

The 8th February 1982

No. 6/G/82.—The President is pleased to appoint the undermentioned officers as Ty. Assistant Manager with effect from the dates shown against them until further orders :—

Sl. No., Name & Date of Joining

1. Shri C. B. Vadgaonkar—08-06-1981
2. Shri M. Chengalvarayan—29-11-1981

The 9th February 1982

No. 7/G/82.—On attaining the age of superannuation (58 yrs) Shri H. P. Saha Offg A.M./Subst. & Permt Foreman retired from service w.e.f. 31-10-81 (AN).

V. K. MEHTA
Asstt. Director General, Ordnance Factories.

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi-110011, the 6th February 1982

No. A-19018/569/81-Admn.(G).—Consequent on his promotion, Shri S. R. Sengupta, a Grade III Officer of I.E.S.

and Deputy Director General, in the Directorate General, Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta has assumed charge as Director (Gr. II) (Economic Investigation) in the office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi with effect from the forenoon of 28th October, 1981.

The 11th February 1982

No. A-19018/297/77-Admn.(G).—Consequent upon her appointment as Assistant Manager in the Bihar State Pharmaceutical and Chemical Development Corporation Ltd., Patna, Smt. Sunita Kumar, reliquished charge of the post of Asstt. Director (Gr.I) (Chemical) in the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi with effect fro mthe afternoon of 13th January, 1982.

C. C. ROY,
Dy. Director (Admn.)

ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA

(KHAN VIBHAG)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 6th February 1982

No. 1125B/A-32013(AO)/78-80/19A.—The following Superintendents. Geological Survey of India are appointed on promotion as Administrative Officer in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the date shown against each, until further orders.

Sl. No. Name Date of Appointment
S/Shri

1. Shri N. K. Pasin, 17-12-1981 (FN).
2. Shri Amalendu Chatterjee, 31-12-81 (FN).

The 8th February 1982

No. 1150B/19012(1-SG)/80/19A.—Mrs. Sikha Ghosh (nee Mondal) is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 16th December, 1981, until further orders.

J. SWAMI NATH
Director General.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

New Delhi-1, the 8th January 1982

No. F. 11-9/80(A1)-Estt.—The Director of Archives, Govt. of India hereby appoints Shri V. N. Kholi, Asstt. Archivist Gr. I (G), and Offg. Archivist (General) on *ad hoc* basis as Archivist (General) on regular temporary basis w.e.f. 1-1-82 (F.N.), until further orders.

B. R. SHARMA,
Administrative Officer,
National Archives of India,
for Director of Archives,

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi-1. the 11th February 1982

No. 4(33)/81-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Smt. M. S. Vijaya, Junior Announcer, All India Radio, Mysore as a Programme Executive. All India Radio, Gulbarga in a temporary capacity with effect from the 28th January, 1982 and until further orders.

No. 4(36)/81-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri R. Muthusubramanian, Programme Announcer, Commercial Broadcasting Service, All India Radio, Madras as Programme Executive, All India Radio. Tirunelveli in a temporary capacity with effect from the 27th January, 1982 and until further orders.

No. 4(25)/81-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Krishan Chand Dubey, Assistant Editor. Radio Kashmir, Jammu as Programme Executive, All India Radio, Rohtak in a temporary capacity with effect from the 18th January, 1982 and until further orders.

No. 4(45)/81-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Smt. Mira Pahuja, Transmission Executive, All India Radio, New Delhi as Programme Executive. All India Radio, New Delhi in a temporary capacity with effect from the afternoon of 15th December, 1981 and until further orders.

The 12th February 1982

No. 5(30)/68-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri B. K. Ghosh, Transmission Executive, Commercial Broadcasting Service, All India Radio, Calcutta as Programme Executive, All India Radio, Siliguri in a temporary capacity with effect from the 16th January, 1982 and until further orders.

The 16th February 1982

No. 10/6/78-SIII.—Consequent upon his selection for the post of Technical Officer in the Aeronautical Communication Organisation in the Civil Aviation Deptt. Shri Arun Kumar Assistant Engineer. A.I.R., Darbhanga has been relieved of his duties in all India Radio w.e.f. 27-1-82 (AN).

H. C. JAYAL
Dy. Director of (Admn.)
for Director General.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 9th February 1982

No. 13-18/74-Admn.I.—The Director General of Health, Services is pleased to terminate the service. of Dr. Naresh Kumar, Dental Surgeon Safdarjang Hospital, New Delhi, with effect from the afternoon of 31st January, 1981.

T. C. JAIN
Dy. Director Administration (O&M).

New Delhi, the 10th February 1982

No. A.19018/17/80-CGHS.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. I. M. Merchant to the post of Homoeopathic Physician in the Central Govt. Health Scheme, Pune in a temporary capacity with effect from the 24th December, 1981 (Forenoon), until further orders.

No. A.19018/25/80-CGHS.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. S. Lyngdoh to the post of Homoeopathic Physician in the Central Govt. Health Scheme in a temporary capacity with effect from the 1-12-1981 (forenoon), until further orders.

No. A.19018/30/80-CGHS.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Sandhya Ray to the post of Homoeopathic Physician in the Central Government Health Scheme on temporary basis with effect from the forenoon of 2nd March, 1981 until further orders.

No. A.19018/22/81-CGHS.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. Guru Prasad Bhar to the post of Homoeopathic Physician in the Central Govt. Health Scheme, Bombay in a temporary capacity with effect from the 7th December, 1981 (Forenoon), until further orders.

T. S. RAO
Dy. Director Admn. (CGHS.I).

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 18th January 1982

No. A-19025/56/81-A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission under mentioned persons have been appointed to officiate as Assistant Marketing

Officers (Group I) in this Directorate w.e.f. the date shown against each :—

1. Shri K. P. Upadhyay 26-11-1981 (FN).
2. Shri Pradeep Vyas, 26-11-1981 (AN).
3. Shri M. Pappi Reddy, 30-11-1981 (FN).
4. Shri C. Anjaneyulu, 1-12-1981 (FN).
5. Shri K. Sukumaran Acharya, 1-12-1981 (FN).

No. A.19025/70/81-A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the undermentioned persons have been appointed to officiate as Assistant Marketing Officers (Group I), in this Directorate at Nagpur with effect from the date mentioned against each :—

1. Shri Mrinal Kumar Dwivedi, 19-12-1981 (FN).
2. Shri Nallapati Sreeramulu, 21-12-1981 (FN).
3. Shri Gudipati Vidyasagar, 21-12-1981 (FN).
4. Shri Dil Prakash, 21-12-1981 (FN).
5. Shri Gadiraju Ramamohana Raju, 21-12-1981 (FN).
6. Shri Nand Lal Ram, 28-12-1981 (FN).

B. L. MANIHAR
Director of Administration
for Agricultural Marketing Adviser
to the Govt. of India

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

PERSONNEL DIVISION

Bombay-400 085, the 15th February 1982

No. PA/73(11)/80-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Dr. Chavali Prakash as Resident Medical Officer in Medical Division of Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of February 5, 1982 until further orders.

A. SANTHAKUMARA MENON
Dy. Establishment Officer.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

REACTOR RESEARCH CENTRE

Kalpakkam, the 29th January 1982

No. RRC/PF/3688/82/1290.—The Director, Reactor Research Centre hereby appoints Shri CHINNAPAN NANDAGOPAL, as Scientific Officer/Engineer Grade "SB" in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-880-40-1000-EB-40-1200 in the Reactor Research Centre, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of January 18, 1982 until further orders.

No. RRC/A32023/1/77/R/1291.—The Director, Reactor Research Centre hereby appoints Shri MUTHIAH KRISHNAMOORTHY, a permanent Senior Stenographer and officiating Stenographer Grade-III of the Reactor Research Centre in an officiating capacity on an *ad hoc* basis as Assistant Administrative Officer in the same Centre for the period from 8-1-82 to 23-2-82 *vice* Shri R. Raghunathan, Assistant Administrative Officer attending Training at Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi.

S. PADMANABHAN
Administrative Officer.

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 16th February 1982

No. A. 38019-1/E. I—The undermentioned officers of India Meteorological Department have retired from the Government service on dates mentioned against their names, on attaining the age of superannuation :—

Sl. No.	Name	Designation	Date on which officer retired
1.	Shri K. D. Tenpe	Assistant Meteorologist	31-8-1981
2.	Shri S. M. Rudra	Do.	Do.
3.	Shri T. G. Changrancy	Do.	30-9-1981
4.	Shri N. M. Sundram	Do.	Do.
5.	Shri J. J. Masillamani	Do.	Do.
6.	Shri S. Vankataramani	Do.	Do.
7.	Shri Harbans Singh	Do.	Do.
8.	Shri R. L. Joshi	Do.	31-10-1981
9.	Shri T. M. Sambamurty	Do.	30-11-1981
10.	Shri P. Manickam	Do.	30-11-1981
11.	Shri N. R. Wadnap	Do.	Do.
12.	Shri B. A. Kalyankar	Do.	31-12-1981
13.	Shri A. K. Nandy	Do.	Do.
14.	Shri V. Nagar	Do.	Do.
15.	Shri K. S. Krishnaswamy	Do.	Do.
16.	Shri M. L. Vadehra	Do.	31-1-1982
17.	Shri Y. K. Joglekar	Do.	31-1-1982
18.	Shri S. N. Saxena	Do.	Do.
19.	Shri S. Govindarajan	Do.	Do.
20.	Shri B. T. Chakraborty	Do.	Do.

The 16th February 1982

No. A.38019/1/E.I.—Shri A. R. Ramakrishnan, Officiating Director of India Meteorological Department has, retired from the Government service with effect from 31-8-1981 on attaining the age of superannuation.

K. MUKHERJEE
Meteorologist
for Director General of Meteorology.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 4th February 1982

No. A.32013/16/81-E.I.—The President has been pleased to appoint Shri R. Narasimhan, Senior Scientific Officer to the grade of Deputy Director (Research & Development) on an *ad hoc* basis for a period of six months (from 30-1-82 to 29-7-82) or till the regular appointment to the grade is made, whichever is earlier.

S. GUPTA
Dy. Director of Administration
For Director General of Civil Aviation.

New Delhi, the 5th February 1982

No. A. 32013/2/80-EC—In continuation of this Department's Notification No. A. 32013/2/80-EC dated 8/9th April, 1981, the President is pleased to continue the ad-hoc appointment of the undermentioned Assistant Technical Officers to the grade of Technical Officer for a further period of six

months beyond 31-5-81 or till the regular appointments to the grade are made, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Station of posting
1	2	3
	S/Shri	
1.	H. S. Gahley	ACS, Lucknow.
2.	D. S. Gill	RCDU, New Delhi.
3.	S. K. Das	ACS, Calcutta.
4.	P. V. Subramaniam	ACS, Bombay.
5.	S. Rajaraman	ACS, Bombay.
6.	M. V. Darbhe	ACS, Bombay.
7.	N. S. Sidhu	CRSD, N. Delhi.
8.	S. R. Padmanabhan	CATC, Allahabad.
9.	S. Ramaswamy	ACS, Portblair.
10.	P. A. Shastri	ACS, Calcutta.
11.	K. B. Nanda	ACS, Srinagar.
12.	L. R. Goyal	RCDU, N. Delhi.
13.	H. S. Bajwa	ACS, Jaipur.
14.	R. G. Rao	ACS, Madras.
15.	H. S. Grewal	RCDU, N. Delhi.

The 9th February 1982

No. A.32013/5/80-EC.—The President is pleased to appoint Shri R. S. Gahlot, Asstt. Dir. of Communication, D.G.C.A. (HQ), to the grade of Dy Director/Controller of Communication for a period of six months w.e.f. 27-1-1982 (FN), and to post him in the same office.

No. A. 32013/2/81-EC.—The President is pleased to appoint the following Asstt. Technical Officers in the C.A.D. to the grade of Tech. Officer on ad-hoc basis for a period of six months w.e.f. the dates indicated against each and to post them to the stations indicated against each:—

Sl. No.	Name	Present Stn. of posting	Stn. to which posted	Date of taking over charge
	S/Shri			
1.	Y. P. Bhatia	Lucknow.	ACS Palam.	22-1-1982 (FN)
2.	I. M. Krishnan	Madurai	ACS, Trivandrum	18-1-1982 (FN)
3.	N. S. Apte	Jabbalpore	ACS Bombay	22-1-1982 (FN)
4.	P. K. Sen Gupta	Silchar	ACS Calcutta.	7-1-1982 (FN)

PREM CHAND,
Asstt. Director of Admn.

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 1981

No. 1/32/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service hereby appoints Shri M. Nampoothiri M., Tech. Asstt., Switching Complex, Bombay as Asstt Engineer, in an officiating capacity, in Bombay Branch, with effect from the forenoon of the 1st December, 1981 and until further orders, on a regular basis.

The 28th November 1981

No. 1/496/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri T. S. N. Moorthy, Traffic Accountant, Hqrs. Office, Bombay, as Traffic Accounts Officer, in an officiating capacity, in the same office for the period from 19-10-81 to 5-12-81, against short-term vacancy, purely on *ad hoc* basis.

The 23rd December 1981

No. 1/194/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri A. B. Sil, Offg. Tech. Asstt. Switching Complex, Bombay as Asstt. Engineer, in an officiating capacity, in the same office, with effect from 1st December, 1981, and until further orders, on a regular basis.

The 24th December 1981

No. 1/45/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri N. M. Makwana, Tech. Asstt. Switching Complex, Bombay as Asstt. Engineer, in an officiating capacity, in the same office with effect from the forenoon of the 1st December, 1981, and until further orders, on a regular basis.

The 23rd January 1982

No. 1/27/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri S. K. Gupta, Technical Assistant, Bombay Branch as Assistant Engineer, in an officiating capacity in Switching Complex, Bombay, with effect from the forenoon of the 1st December, 1981 and until further orders, on a regular basis.

No. 1/73/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri S. S. Malik, Technical Assistant, Bombay Branch as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in Switching Complex, Bombay with effect from the forenoon of the 1st December, 1981, and until further orders, on a regular basis.

The 3rd February 1982

No. 1/11/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri R. K. Mastey, Tech. Asstt., SWC, Bombay as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in the same office, with effect from the forenoon of the 1st December, 1981 and until further orders, on a regular basis.

P. K. G. NAYAR
Director (Admn.).
for Director General.

Bombay the January 1982

No. 1/357/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri V. V. Vardan, Technical Assistant, Switching Complex, Bombay as Assistant Engineer, in an officiating capacity in Headquarters Office, Bombay with effect from the forenoon of the 4th May, 1981, and until further orders.

No. 1/235/82-EST.—Shri F. P. D'Souza, Deputy Traffic Manager, Bombay, retired from service, with effect from the afternoon of the 31st January, 1982, on attaining the age of superannuation.

The 23rd January 1982

No. 1/109/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri G. R. Gogia, Tech. Asstt., A.S.E.S., Lachhiwala, Dehra Dun as Asstt. Engineer, in an officiating capacity, in the New Delhi Branch with effect from the forenoon of the 15-12-81 and until further orders.

No. 1/497/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Francis Thomas, Technical Assistant, New Delhi as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in the same Branch, with effect from the forenoon of the 1st December, 1981 and until further orders.

The 6th February 1982

No. 1/5/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri S. K. Arya, Technical Assistant, Switching Complex, Bombay, as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in the same office with effect from the forenoon of the 1st December, 1981, and until further orders.

The 12th February 1982

No. 1/257/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri G. C. D'Lima, Supervisor, Bombay Branch as Dy. Traffic Manager, in an officiating capacity, in the same Branch, for the period from 2-5-81 to 18-8-81, against short-term vacancy, purely on *ad hoc* basis.

No. 1/84/82-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri S. Tirkey, Supervisor, Calcutta as Deputy Traffic Manager, in an officiating capacity, in the same Branch, for the period from 26-10-81 to 10-11-81, against short-term vacancy, purely on ad hoc basis.

No. 1/459/82-EST.—Shri S. Jayaraj, officiating Assistant Engineer, Switching Complex, Bombay, was permitted to resign his appointment, with effect from the afternoon of the 23rd January, 1982.

No. 1/498/81-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri D. Ashtikar, Technical Assistant, Arvi as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in the same Branch, with effect from the forenoon of the 1st December 1981 and until further orders.

No. 1/499/82-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri J. D. Ketkar, Supervisor, Bombay Branch as Dy. Traffic Manager, in an officiating capacity, in the same Branch, for the periods indicated below :—

1. From 12-10-81 to 14-11-81.

2. From 16-11-81 to 31-12-81.

against short-term vacancy, purely on *ad hoc* basis.

No. 1/501/82-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Matal Madhusudan, Technical Assistant, Calcutta as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in the AS.E.S., Lachhiwala, Dehra Dun Branch with effect from the forenoon of the 29-12-81 and until further orders.

No. 1/502/82-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Ram Prakash, Technical Assistant, New Delhi as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in the A.S.E.S., Lachhiwala, Dehra Dun with effect from the forenoon of the 19-12-81 and until further orders.

No. 1/503/82-EST—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri K. P. Varma, Technical Asstt., Arvi as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in the same Branch with effect from the forenoon of the 1-12-81 and until further orders.

No. 1/508/82-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri G. S. Chhatwal, Technical Assistant, New Delhi as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in the A.S.E.S., Lachhiwala, Dehra Dun Branch with effect from the forenoon of the 24-12-81 and until further orders.

The 15th February 1982

No. 1/125/82-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri H. G. Kanakachalam, Supervisor, New Delhi as Deputy Traffic Manager, in an officiating capacity in the same Branch, for the period from 1-9-81 to 24-9-81 against short-term vacancy, on *ad hoc* basis.

H. L. MALHOTRA
Dy. Director (Admn.)
for Director General.

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE, AND CUSTOMS

Bombay-1, the 16th February 1982

No. St.-2/80-81 —In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 232-A of Central Excise Rules, 1944 the names and addresses, and other particulars specified in sub-rule (2) of the person who have been convicted by the Court under Section 9 of the Central Excises and Salt Act, 1944 and persons on whom a penalty of Rs. 10,000/- or more has been imposed by an officer referred to in Section 33 of the Act are published as follows :—

I—COURT CASES

Sl. No.	Name of the persons	Address	The provisions of the Act Contravened	The amount of penalty imposed
1	2	3	4	5
1.	Shri Kakubhai Kalyanji Saraiya, Proprietor of M/s. Saraiya Engineering Company.	159/3, Cavel Cross Lane No. 6, Bombay-2.	Under Section 9(I)(ii) R/W	
			(a) Under Section 9(1)(a)	(a) Fine of Rs. 100/- i.d. to 7 days S.I.
			(b) Under Section 9(1) (b)	(b) Fine of Rs. 100/- i.d. to one month S.I.
			(c) Under Section 9(1) (bb)	(c) Fine of Rs. 100/- i.d. to one month S.I.
			(d) Under Section 9(1) (bbb)	(d) Fine of Rs. 100/- o.d. to one month S.I.

II. DEPARTMENTAL ADJUDICATIONS

Sl. No.	Name of the persons	Address	Provisions of the Act or Rules made thereunder contravened	Amount penalty imposed.	Value of excisable goods adjudged by an officer under section 33 to be confiscated.	Amount of fine in lieu of confiscation under section 34 of the Acts.
— NIL —						

K. S. DILIPSINHJI,
Collector of Central Excise
Bombay-1.

DIRECTORATE OF INSPECTION AND AUDIT CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 11th February 1982

No. 2/82.—Shri Mohontosh Chatterjee, lately posted as Appraiser in the Central Excise Collectorate, Delhi assumed charge of the post of Junior Departmental Representative Group 'B' in the Directorate of Inspection and Audit, Customs and Central Excise, New Delhi Bench of the Appellate Tribunal for Customs, Central Excise and Gold Control on 13-1-82 (FN).

No. 3/82.—Shri Raminder Singh, lately posted as Superintendent Central Excise Group-B in Meerut Collectorate, assumed charge of the post of Inspecting Officer Group-B in the Directorate Headquarters office New Delhi w.e.f. 1-2-82 (forenoon), *vide* Directorate letter C. No. 1041/2/81 dated 10-12-81.

S. B. SARKAR,
Director of Inspection.

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110022, the 10th February 1982

No. 22/1/81/22/4/81-Adm-I(B).—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints Shri Mange Ram, Supervisor, to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B), Service in the Central Electricity Authority, in an officiating capacity, with effect from the forenoon of 13th January, 1982, until further orders.

S. S. BISWAS,
Under Secretary.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Imam Properties & Fabricators Private Limited

Patna, the 10th February 1982

No. (1226)560/78-79/4641.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the IMAM PROPERTIES AND FABRICATORS PRIVATE Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

A. W. ANSARI
Registrar of Companies,
Bihar, Patna.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX,

Cochin-682016, the 27th January 1982

ORDER

SUB :—*Estt -ITO Group 'B'—promotion and postings—orders issued of—*

No. 2/Estt./Con/81-82 —The following promotion and postings are hereby ordered :—

I. Shri K. S. Vijayan, Inspector of Income-tax, I. T. Office, Ernakulam, is hereby appointed to officiate as Income-tax Officer, Group 'B' in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-E.B.-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the fore noon of 1-2-1982 or from the date he takes over charge, whichever is later and until further orders. He will be on probation for a period of 2 years. The above appointment is made on a purely temporary and provisional basis and is liable to termination at any time without notice.

II. TRANSFERS AND POSTINGS :—

Sl. No.	Name	From	To	Remarks
1.	Shri H. Subba Rao	ITO A-Ward, Survey Cir., Ernakulam.	ITO, B-Ward, Ernakulam.	(Vice Shri T.T. Joseph retiring from service on 31-1-1982).
2.	Shri M. Gopalakurup	ITO, B—Ward, Survey Cir., Ernakulam.	ITO, A-Ward, Survey Cir., Ernakulam.	Vice H. Subba Rao tfd.
3.	Shri K. S. Vijayan	ITI (On promotion as ITO Gr. 'B').	ITO, B—Ward, Survey, Cir., Ernakulam.	Vice M. Gopalakurup. tfd.

Shri Gopalakurup will hold the charge of B-Ward, Survey Circle, Ernakulam, as an additional charge till relieved by Shri K. S. Vijayan.

M. S. UNNINAYAR,
Commissioner of Income-tax,
Cochin.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, "ANJIPARAMBIL BLDGS" ANAND BAZAAR, COCHIN

Cochin-682 016, the 8th December 1981

Ref. L.C. No. 543/81-82.—Whereas, I, T. Z. MANI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule
situated at Kaipattoorkara
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Mulanthuruthy on 5-9-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Gopi, S/o Krishnan Nair, Pariyarathu Puthen Purayil, Kaipattoor P.O.,
(Via) Arakunnam, Kanayannoor Taluk.
(Transferor)

(2) Shri P. N. Velayudhan,
S/o Narayanan, Parakkattu Muttathu Lane,
Kadavanthara, Ernakulam desom, Ernakulam.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2 Acres of land in Sy. No. 416/1 of Azhakathur Desom, Kaipattoor Kara, Kanayannoor Taluk.

T. Z MANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam.

Date : 8-12-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, "ANJIPARAMBIL BLDGS", ANAND BAZAAR COCHIN

Cochin-682 016, the 8th December 1981

Ref. L.C. No. 542/81-82.—Whereas, I, T. Z. MANI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule
situated at Cochin
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Cochin on 4-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Rep. by Mr. A. J. Mathew (for Super Sea Foods, Cochin) (Mg. Partner & Power Holder)
Choolakkat House, Kakkanad, Cochin-21.
(Transferor)

(2) M/s. Koyas Refrigeration,
Cochin-25.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

72 cents of land and buildings in Sy. Nos. 1033/1.1034/2, 1033/3 and 1034/1 as per document No. 2355 dated 4-6-1981 registered at Sub Registrar Office, Cochin. The properties are situated in Palluruthy vadakkum Muri, Rameswaram village, Cochin Taluk.

T. Z. MANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ernakulam.

Date : 8-12-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 9th December 1981

Ref. No. IAC/Acq/1099.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 309 situated at Jodhpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jodhpur on 24-7-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Roopa Ram S/o Amolak Suthar & Dana Ram s/o Prahalad Ram Jangid, Shastri Nagar, Jodhpur.
(Transferor)

(2) Shrimati Heji Bai, w/o Shri Thanwar Das & Mahesh Kumar S/o Thawar Das Dhankani Sindhi, R/o Plot No. 309, Shastri Nagar, Jodhpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house property at Plot No. 309, Sector A, Section 4, Shastri Nagar, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R. Jodhpur, vide his registration No. 1743 dated 24-7-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 9-12-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 9th December 1981

Ref. No. IAC/Acq/1102.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competnet Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 309, situated at Jodhpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registraiton Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jodhpur on 24-7-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Roopa Ram S/o Amolak Suthar & Dana Ram S/o Shri Prahalad Jangid, R/o Shastri Nagar, Jaipur. (Transferor)

(2) Dr. Sunder & Shri Harish sons of Thawar Das Sindhi R/o Plot No. 309 A, Masuria, Shastri Nagar, Jodhpur (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house property at Plot No. 309, Masuria, Section-4, Sector-A, Shastri Nagar, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R. Jodhpur vide his registration No. 1744 dated 24-7-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 9-12-81
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 9th December 1981

Ref. No. IAC/Acq/1103.—Whreeas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 309 situated at Jodhpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 24-7-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Roopa Ram S/o Amolak Suthar & Dana Ram s/o Prahalad Ram Jangid, Shastri Nagar, Jodhpur. (Transferor)

(2) Shri Kishan & Naresh sons of Shri Thanwar Das Ji Dhankani, R/o Plot No. 309, Masuria, Shastri Nagar, Jodhpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house property at Plot No. 309, Masuria, Section-4, Sector-A, Shastri Nagar, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 1745 dated 24-7-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 9-12-81
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 9th December 1981

Ref. No. IAC/Acq/1100.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 53 situated at Jodhpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 22-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Bano Begam, w/o Shri Abdul Rasheed, Nagori, Silawaton Ka Bas, Jodhpur.

(Transferor)

(2) Shrimati Ganeshi Devi W/o Ram Swaroop, Shri Ram Ratan S/o Ram Swaroop, Shri Ram Kishore S/o Ramswaroop, Dondi Daron Ka Mohalla, Jodhpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 53, Sector-B, Shastri Nagar, Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 1435 dated 22-6-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 9-12-81
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 9th December 1981

Ref. No. IAC/Acq/1101.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 660A situated at Jodhpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jodhpur on 17-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Moti Ram & Jetha Nand sons of Nanumal R/o Residency Road, Sardarpura, Jodhpur.
(Transferor)

(2) Shrimati Veena, W/o Shri Jagdish Kalwani, Inside Sojati Gate, Jodhpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of this said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 660A, Residency Road, Sardarpura, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide No. 1411 dated 17-6-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 9-12-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 9th December 1981

Ref. No. IAC/Acq/1104.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 15 situated at Jaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jaipur on 28-7-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishna Kant Vyas S/o Shri Ramkishore Vyas, Shri Kamal Kant Vyas & Shrikant Vyas sons of Shri Krishnakant Vyas, R/o C-60, Tilak Nagar, Jaipur.

(Transferor)

(2) Shrimati Rajkumari, Shri Shikhar Chand Palawat, Shri Gyanchand Palawat & Shri Tilak Singh Palawat, R/o Haldiyon Ka Rasta, Johari Bazar, Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 15, Shiva Ji Marg, Diggi House, Jaipur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jaipur vide his registration No. 2009 dated 28-7-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 9-12-81
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 28th January 1982

Ref. No. IAC/Acq.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. C-31A situated at Jaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 23-6-1981.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vinod Thakkar S/o Shri Vilfrad Thakkar R/o C-31 A, Chomu House, C-Scheme, Jaipur.

(Transferor)

(2) Major Fateh Singh S/o Thakur Amba Dan Singh R/o D-42, Subhash Marg, C-Scheme Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. C-31 A, Sardar Patel Marg, Jagan Path, Chomu House, Jaipur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jaipur vide his registration No. 1539 dated 23-6-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 28-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

OFFICE OF THE I.A.C. ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 28th January 1982

Ref. No. IAC/Acq./1126.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 2/A/4 situated at Jodhpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jodhpur on 3-10-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more tban fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfrer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer. and/or

(b) facilitating the cancealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Preetam Kunwar W/o Thakur Narpat Singh Ji, Rai Ka Bagh, Jodhpur.

(Transferor)

(2) Shrimati Manohar Devi W/o Kanhaiyalal Ji, R/o Kesarbadi, Jodhpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2/A/4, Paota B-Road, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 2265 dated 3-10-81.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 28-1-82.
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 28th January 1982

Ref. No. IAC/Acq.1137.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot situated at Jodhpur
(and more fully described in the Schedule annexed, hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer at
Jodhpur on 3-10-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe, that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said insrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Preetam Kunwar W/o Narpat Singh Rajput R/o Paota, Jodhpur.

(Transferor)

(2) Shri Jamnalal S/o Kanhiya Lal Thathiya, Jodhpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein in are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot situated at outside Medati Gate, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 2262 dated 3-10-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 28-1-82.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR JAIPUR

Jaipur, the 28th January 1982

Ref. No. IAC/Acq/1025.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, HAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 2/A/1 situated at Jodhpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jodhpur on 3-10-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Preetam Kunwar W/o Narpat Singh Ji Rajput, R/o Rai Ka Bagh, Jodhpur.

(Transferor)

(2) Shri Kesari Mal Ved S/o Sukhlal Ved, R/o Mohanpura, Jodhpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expire later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2/A/1 at Paota B-Road, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 2264/A dated 3-10-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 28-1-82.
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 28th January 1982

Ref. No. IAC/Acq/1124.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 2/A/2 situated at Jodhpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jodhpur on 3-10-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Preetam Kunwar W/o Narpat Singh Ji Rajput, R/o Tehsil Phulera, at present Rai Ka Bagh, Jodhpur.

(Transferor)

(2) Shri Anand Kumar S/o Kesari Mal Ji Ved, R/o Mohanpura, Jodhpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2/A/2 at Paota B-Road, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 2263 dated 3-10-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 28-1-82.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th February 1982

Ref. No. 235/81-82.—Whereas I, BIBEK BANERJI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 17-6-81
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nand Kishore Kedia S/o L. Lala Dwarika Das, K.ha R/o S/d to Siswan Bazar, Distt. Gorakhpur Through Mukhtaram Jugul Kishore Agarwal, S/o Shri Hira Lal Agrawal R/o 3-B Sarvodaya Nagar, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shri Gyani Ram S/o Shri Narsingh Das, Smt Sita Rani Agarwal W/o Shri R. K. Agarwal, Master Surendra Kumar Agarwal (14 years) Legal heir Shri R. K. Agarwal (Guardian & Father) R/o 111/324, Ashok Nagar, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property situated at 123/738, Fazalganj, Kanpur measuring 2333.3 sq. yds.

BIBEK BANERJI.
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 4-2-1982.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMETAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th February 1982

Ref. No 230/KNP/81-82.—Wheeras I, BIBEK BANERJI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kanpur on 3-6-81
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weclth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Pradip Kumar Bajaj S/o Shri Dwarika Prasad Bajaj, R/o 73/28, Collectorganj, Kanpur.
(Transferor)

(2) Smt. Prem Lata W/o Shri Ram Gopal, Sudhir Kumar, Sanjaya Kumar Ss/o Shri Ram Gopal, R/o 52/17, Sakkar Patti, Kanpur & Smt. Krishna Devi W/o Shri Om Prakash and Sandip Kumar S/o Shri Om Prakash, R/o 74/218, Dhankutti, Kanpur.
(Transferee)

(3) S/Shri Hira Lal Bhatia and Maksood Ahmed.
(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property situated at 85/30, Cooperganj, Kanpur measuring 800 sq. yds.

BIBEK BANERJI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 4-2-1982.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 21st January 1982

Ref. No. P. R. No. 1600 Acq. 23-1/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. E-2, situated at Vithal Apartment, Race Course Road, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 6-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Vithal Construction;
Through : Partners : Shri Pranlal Vithaldas Rajdev & others; C/o Vithal Apartment, Race Course Road, Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Chandrakant Chunilal & others;
Flat No. E-2, Vithal Apartment,
Race Course Road, Rajkot.
(Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. E-2 of Vithal Apartment, Race Course Road, Rajkot, duly registered by Sub-Registrar, Rajkot vide sale deed No. 4036/6-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 21st January, 1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 21st January 1982

Ref. No. P. R. No. 1601 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. J-2 situated at Vithal Apartment, Race Course Road, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rajkot on 5-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Vithal Construction; through partners : Shri Pranlal Vithaldas Rajdev & others; C/o Vithal Apartment, Race Course Road, Rajkot.

(Transferor)(s)

(2) Shri Bharatkumar Laxmidas Samani; Flat No. J-2, Vithal Apartments, Race Course Road, Rajkot.

(Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. J-2 of Vithal Apartment, Race Course Road, Rajkot, duly registered by Sub-Registrar, Rajkot vide sale-deed No. 4035/5-6-81 i.e. property as fully described therein. Ahmedabad.

G. C. GARG,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Dt : 21st January, 1982.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 12th January 1982

Ref. No. P. R 1605 Acq 23-II/81-82.—Whereas, I G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. B. IND. 129A, Central Road situated at Udhna Udhyognagar, Udhna

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Surat on 15-6-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of -

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The Udhna Udyognagar Sahakari Sangh Ltd. Central Road No. 10, Udhna.

(Transferor)(s)

(2) Shri Shivdas Kanji Patel; 17A Ram Nivas, Matunga Road, Matunga, Bombay-400019.

(Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Property at Udhna B-Ind-129 A, Central Road, duly registered in June, 1981.

G. C. GARG
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dt : 21st January, 1982.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 20th January 1982

Ref. No. P. R. No. 1406 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearin No.
R.S. No. 26 paiki situated at Bholav
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Broach on June, 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Harshadbhai M. Patel;
Sonal Enterprise,
Buddhdev Market, Broach.

(Transferor)(s)

(2) President :
Shri Rajubhai P. Patel;
Shri Radha Krishnanagar Coop. Hsg. Society Ltd. Broach.

(Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at R.S. No. 26 (Paiki) at Bholav, duly registered in June, 1981.

G. C. GARG
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dt : 20th January, 1982.
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 20th January 1982

Ref. No. P. R. No. 1407 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 18, Majampur situated at Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Broach on June, 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s Narhariprasad & Co.,
Managing Partner Shri Dilipkumar N. Bhatt,
Pritam Society, Broach.
(Transferor)(s)

(2) Chairman :
Nutan Flat Coop. Housing Society,
Shri M. A. Bangwala;
C/o Shalimar Shopping Centre, Broach.
(Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at S. No. 18 at Majampur, Sub-Plot No. 5-6, duly registered in June, 1981.

G. C. GARG
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dt : 20th January, 1982.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 20th January 1982

Ref. No. P. R. No. 1408 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as described in 37-G registered vide No. 1208/81 situated at Broach District (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Broach on June, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Chandubhai Mathurbhai Patel;
Shri Bhagvanbhai Mathurbhai Patel;
Zadeshwar, Taluka; Broach.

(Transferor)(s)

(2) Partners of Sanjay Organizer;
1. Shri Farasram Ratilal Bhamwala;
Pritam Society, Broach.
2. Shri Nagjibhai Maneklal Chunawala;
Vadapada Road, Broach.
3. Shri Rajen Baldevdas Shah;
Gandhigram Society, Broach.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as described in 37G registered vide No. 1208/81 in June, 1981.

G. C. GARG
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dt : 20th January, 1982.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 21st January 1982

Ref No P R No 1409 Acq 23 II 81 82—Whereas, I G C GARG,
being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S No 417/A paiki
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at situated at Billimora
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Sapurji Dadabhai Vansikusi,
Padvel Tal Chikhali, Dist Valsad

(Transferor(s)

(2) Trustees of Hamir Family Trust,
Dr Hamir Sorab Billimoria,
Desara Road, Billimora
Dr Suresh Jayantilal Sanghvi,
Anandbag, Billimora

(Transferee(s)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 15 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meannig as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at Desara—S No 417/A paiki land duly registered in June, 1981

G C GARG,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Dated 21st January 1982
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 22nd January 1982

Ref. No. P. R. No. 1410.Acq.23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 833 situated at Vavol village, Gandhinagar Taluka (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registered Officer at Gandhinagar on 22-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) faiclitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under he said Act, in respect of an income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mangalbhai Bhulabhai,
Vavol Village, Gandhinagar Taluk.

(Transferee)(s)

(2) 1. Kashiben Girdharlal Dalal;
2. Shantilal Mangaldas Patel;
3. Mahendrabhai Maganbhai;
4. Jay Vidyaben Girdhari Dalal;
5. Sushilaben Surendrabhai Dalal;
6. Prabodhbhai Jaswantlal Shah;
All staying at Ahmedabad.

(Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing Survey No. 833 situated in village Vavol in Gandhinagar Taluka and as fully described in sale deed bearing Regn. No. 1192 registered in the office of Sub-Registrar, Gandhinagar on 22-6-81.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Dated : 22nd January 1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 22nd January 1982

Ref. No. P. R. No. 1411 Acq.23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Gandhinagar District and as fully described in sale-deed Survey No. 779 situated at Vavol village, Gandhinagar District
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhinagar on 4-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sanduben Girdharbhai Bhatt;
Vavol village, Gandhinagar Taluka.
(Transferor)(s)

(2) Prashantkumar Prafulbhai Bhatt;
Javeraj village, Dholka Taluka.
Ahmedabad District
(Transferee)(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 779 situated in Vavol village in bearing registration No. 1001 registered in the office of Sub-Registrar, Gandhinagar, on 4-6-81.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Dated : 22nd January 1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 22nd January 1982

Ref. No. P.R. No. 1412, Acq.23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 87/1, 87/2 and 87/3 situated at Vavol village, Gandhinagar District (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhinagar on 2-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Nayi Vallabhbhai Naranbhai;
2. Nayi Vithalbhai Naranbhai;
3. Nayi Vithalbhai Naranbhai;
4. Nayi Kantibhai Mangaldas;
All staying at Vavol village, Gandhinagar Taluka.

(Transferor)

(2) Vasundhara Coop. Housing Society;
Through :
1. Punjiram Kachrabhai of Vavol village &
2. Prabhudas Madhabhai of Pamol village, Gandhinagar Taluka.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing S. No. 87/1, 87/2 and 87/3 situated at Vavol village in Gandhinagar Taluka and as fully described in sale deeds bearing registration Nos. 979, 980 and 981 registered in the office of Sub-Registrar, Gandhinagar on 2-6-1981.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 22-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD. AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th January 1982

Ref. No. P.R. No. 1605 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 823 paiki & New S. No. 367 paiki situated at Bhuj (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhuj on 4-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Patel Shivdas Govind Chhabaiya.

(Transferor)

(2) Shri Patel Lalji Ramji;
Village : Nagalpur,
Tal. Mandvi. Kutch.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Bhuj, bearing S. No. 823 paiki and new S. No. 367 paiki, adm. 2 A. 4 Gun. as fully described in the sale-deed fully registered with the Sub-Registrar, Bhuj. vide Regn. No. 1301 dated 4-6-81.

G. C. GARG.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I.
Ahmedabad.

Date : 25-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th January 1982

Ref. No. P.R. No. 1604 Acq.23-1/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at Lalpur, Tal. Lalpur, Dist. Jamnagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jamjodhpur, on 20-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Daria Arjan Soni;
P.A. Holder : Shri Bhagwan Arjan Soni;
Shri Chhaganlal Arjan Soni;
P.A. Holder : Pranlal Arjan,
Lalpur, Dist. Jamnagar.

(Transferor)

(2) Kunverben Tarsibhai Bhensadia;
Lalpur, Dist. Jamnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at Lalpur Dist. Jamnagar admeasuring 7200 sq. ft. as fully described in the sale-deed duly registered with the Sub-Registrar, Jamjodhpur, Dist. Jamnagar vide Regn. No. 153 dated 20-6-1981.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 25-1-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th January 1982

Ref. No. P.R. No. 1603 Acq.23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 1656-A situated at Sardarnagar, Bhavnagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhavnagar on 20-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramaniklal Varjlal Vyas;
1186-B, Ghogha Circle, Bhavnagar.
(Transferor)

(2) Smt. Ramalaxmi Kalidas Dave;
Haresh Kalidas Dave;
Sardar Nagar, Behind Gurukul,
Bhavnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in this Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property situated at Sardarnagar, Bhavnagar bearing Plot No. 1656-A admeasuring 800-00 sq. yds. as fully described in the sale-deed fully registered with the Sub-Registrar, Bhavnagar vide Regn. No. 1469 dated 20-5-1981.

G. C. GARG,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Dated : 25-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th January 1982

Ref. No. P.R. No. 1602 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 212 situated at Chitra Society, Bhavnagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhavnagar on 18-6-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vinodrai Keshavlal Trivedi;
Village : Pachegam, Tal. Gariadhar.

(Transferor)

(2) Shri Jadeja Dalatsinh Laghubha;
Bhairavpara, 9, Paras Society,
Palitana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writting to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing S. No. 212 of Chitra Society, Bhavnagar admeasuring 428 sq. yds. i.e. 357.82 sq. mts. as fully described in the sale-deed duly registered with the Sub-Registrar, Bravnagar vide Regn. No. 1436 dated 18-6-1981.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 25-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1606 Acq.I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 780—"D" paiki sitauted at Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajot on June, 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Jayendrabala A. Mankodi,
Amarnath Plot, Kalawad Road,
Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Lalitbhai Madhavjibhai Nathwani;
Dharmendra Road, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building bearing S. No. 780—"D'—paiki standing on land adm. 473-4-0 sq. yds. situated at Rajkot, duly registered by Sub-Registrar, Rajkot, vide sale-deed No.4701/June, 1981.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1607 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. II, Sheet No. 121—S. No. 6132 situated at Porbander (Dist. Junagadh)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Porbander; on 4-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe hat the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideratoin therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Memon Haji Mamad Haji Ismail; Zaveri; Through : P.A. Holder; Shri Rajabali Bhaijibhai, Vorawad, Porbander.
(Transferor)

(2) Shri Bhanushankar Liladhar Joshi & another; Chhaya Plot, Porbander.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 5275 sq. yds. situated at Porbander, duly registered by Sub-Registrar, Porbander, vide sale deed No. 2068/4-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1608 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I. G. C. GARG,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Open land situated at Mulchand's Street, Dudhrej, Dist. Surendranagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Wadhawan on 15-6-1981
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Vadvalla Mandir Goushala Trust;
Trustee : Shri Kalyandasji Gomatidasji;
Dudhrej, Tal. Wadhwan.

(Transferor)

(1) Shri Vadwalanagar Coop. Housing Society Ltd.
President : Shri Karnabhai Bhayabhai Bharwad,
Dudhrej, Dist. Wadhwan.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 13A-08 Gun. situated at Dudhrej Dist. Wadhawan, duly registered by Sub-Registrar, Wadhawan vide sale-deed No. 2639/15-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1609 Acq.23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 295 & 283 situated at Amreli (Saurashtra) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Amreli on 11-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kantilal Manilal Bhayani; Kalapinagar Lathi (Dist. Amreli).

(Transferor)

(2) Adarsh Construction Company, 1761/1, Gandhi Road, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 459.65 & 356.38 sq. mts. bearing Plot No. 295 & 283 situated at Amreli, Dist. Rajkot duly registered by Sub-Registrar, Rajkot vide Sale deed No. 1579 & 1580/11-6-81 i.e, property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1610 Acq.23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Non agricultural land situated at Wankaner, Dist. Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Wankaner on June, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to betwen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1911) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jayaben Pragji;
Wankaner, Dist. Rajkot.
(Transferor)

(2) Kishan Ceramic Industries;
through : Shri Jeraj Pitamber,
Wankaner, Dist. Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expire later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

N. A. land adm. sq. mts. 7623 situated at Wankaner, Dist. Rajkot, duly registered by Sub-Registrar, Wankaner, vide sale-deed No. 315/June. 81 (37G received in June, 1981) i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1611 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Mill Building Structure & hereditaments situated at Wankaner Dist. Rajkot & Jorawarnagar, Dist. Surendranagar
(and more fully described in the schedule annexed here to), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Wadhawan on 30-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have been to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to betwen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1911) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Amarsinhji Mills Ltd.,
Wankaner—363622,
Dist. Rajkot.

(Transferor)

(2) M/s. Kores (India) Ltd.,
Plot No. 10, Off Dr E Moses Road,
Worli, Bombay-400 018.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expire later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Mill Buildings—Structures & hereditaments measuring 22408 sq. mtrs. standing on land adm. 131020 & 8361 sq. mtrs. situated at Station Road in Wankaner Dist. Rajkot and all that buildings structures and hereditaments standing on land adm. 864.34 sq. mtrs. at Jorawarnagar Dist. Surendranagar duly registered by Sub-Registrar, Wadhawan vide sale deed No. 850/30-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1612 Acq.23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing S. No. 1819 situated at Wadhawan, Dist. Wadhawan (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Wadhawan on 23-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Patel Kunj Teja;
Dhobi Pole, Wadhawan City.
(Transferor)

(2) Shri Mahipatlal Kasturchand;
Mehta Market, Surendranagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 3 A-00 G—bearing S. No. 1819 situated at Wadhawan, duly registered by Sub-Registrar, Wadhawan, vide sale-deed No. 2771/23-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1613 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 2034 & 2033 situated at Wadhawan—Dist. Wadhawan (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Wadhawan on June, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truely stated in the said insrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Inome-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rathod Chikubhai Shivabhai; Wadhawan City, Wadhawan.

(Transferor)

(2) Shri Balchand Kasalchand Shah & others; Dhrangadhara; Dist. Wadhawan.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 2033 & 2034 adm. 5A-12 Gun. & 1 A-34 Gun. situated at Wadhawan, duly registered by Sub-Registrar, Wadhawan, vide sale-deed Nos. 2434 & 2433/3-6-1981 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDRABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No, P.R. No. 1614 Acq.23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 2028 & 2029 situated at Wadhawan, Dist. Wadhawan (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Wadhawan on June, 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Patel Visnubhai Ambaram; Wadhawan City, Wadhawan.

(Transferor)

(2) Shri Balchand Kasalchand & others; Dhragadhara Dist. Wadhawan.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 2028 & 2029 adm. 2 A-38 Gun. & 6 A-34 Guntha situated at Wadhawan, duly registered by Sub-Registrar, Wadhawan, vide sale deed Nos. 2431/81 & 2432/81/3-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDRABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1615 Acq.23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. D-3, situated at Vithal Apartments, Race Course Road, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at
Rajkot on 15-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Vithal Construction Co.,
Through :
Partners Shri Pranlal Vithaldas Rajdev & others;
Race Course Road, Rajkot.
(Transferor)

(2) Smt. Gulabdevi Kanaiyalal Surana & another;
Murlidhar Sharma Road, Fancy Bazar,
Gauhati (Assam).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. D-3, of Vithal Apartments situated at Race Course Road, Rajkot, duly registered by Sub-Registrar, Rajkot vide sale-deed No. 3375/15-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1616 Acq.23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 610, Plot No. 3 to 7 situated at Dhrangadhara (Dist. Surendranagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dhrangadhara on 26-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dahyabhai Nathubhai Dalwadi & others;
Narsipara Dhrangadhara.

(Transferor)

(2) Shri Jalaram Coop. H. Socy. Ltd.,
President :
Shri Ranchhod Ratilal Parikh;
Ghanchiwad, Desai's Dehla,
Dhrangadhara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 2196.51 sq. mtrs. bearing S. No. 610 Plot Nos. 3 to 7 situated at Dhrangadhara, Dist. Surendranagar, duly registered by Sub-Registrar, Dhrangadhara vide sale deed No. 1452/26-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDRABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1617 Acq.23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 610, Plot Nos. 8 to 18 situated at Dhrangadhara (Dist. Surendranagar)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dhrangadhara on 26-6-981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dahyabhai Nathubhai Dalwadi & others; Narsipara Dhrangadhara.

(Transferor)

(2) Shri Mayur Coop. Hsg. Society ltd.,
President :
Shri Mahesh Maganlal Vyas;
Near Kashikuva, Dhrangadhara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 4601.15 sq. mts. bearing S. No. 610 Plot Nos. 8 to 18, situated at Dhrangadhara Dist. Surendranagar duly registered by Sub-Registrar, Dhrangadhara, vide sale-deed No. 145/3/26-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDRABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1618 Acq. 23-I/81-82.—Whereas I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 610—Plot Nos. 19 to 26 situated at
Dhrangadhara (Dist. Surendranagar)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Dhrangadhara on 26-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dahyabhai Nathubhai Dalwadi & others;
Narsipara Dhrangadhara.
(Transferor)

(2) Shri Fuleshwar Coop. Hsg. Society Ltd.,
C/o President :
Shri Pradipkumar Rasiklal Pujara,
Fulgali, Dhrangadhara.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 3002.52 sq. mtrs. bearing S. No. 610 Plot Nos. 19 to 26, situated at Dhrangadhara, Dist. Surendranagar, duly registered by Sub-Registrar, Dhrangdhara, vide sale-deed No. 1454/26-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDRABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1619 Acq. 23-I/81-82.—Whereas I, G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 438/2 paiki Vibhag-6. situated at Village Nanamava Dist. Rajkot (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 11-6-81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Devjibhai Ranchhodbhai Savaliya; Manhar Plot Sheri No. 7-8, Vidhyanagar, Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Vrandavan Coop. Hsg. Society Ltd., Chief Promoter : Shri Buchubhai Bhagwanji, Patel Nagar Sheri No. 1,. Rajkot.

(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 438/2—adm. 2A-20G, situated at Nanamava village, Dist. Rajkot, duly registered by Sub Registrar, Rajkot vide sale-deed No. 4842/11-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDRABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st February 1982

Ref. No. P.R. No. 1620 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 438/2 paiki Vibhag-6, situated at Village Nanamava Dist. Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 11-6-81
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Keshavlal Ranchhodbhai;
7-8, Vidhyanagar, Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Vrandavan Coop. Hsg. Society Ltd.,
Chief Promoter :
Shri Bachubhai Bhagwanji,
Patel Nagar Sheri No. 1, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 438/2—adm. 2A-20G, situated at Nanamava village, Dist. Rajkot, duly registered by Sub Registrar, Rajkot vide sale-deed No. 4851/11-6-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SHILLONG

Shillong, the 31st October 1981

Ref. No. A-253/81-82/JRT/620-30—Whereas, I, E. J. MAWLONG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Dag No. 3665/4201, P. P. No. 354 situated at Jorhat town Mouza, Block No. 1, Ward No. VI of Jorhat Municipality. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jorhat on 28-6-81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Azimuddin Ahmed, S/o Late Amanatddin Ahmed,
Old Balihat, Jorhat.

(Transferor)

2. Smt. Hamida Zaman Ahmed,
W/o Mr. Azimuddin Ahmed,
Old Balibat, Jorhat.

(2) Shri Tolaram Gattani, Babupatty, Jorhat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring One Katha Ten Lossas is situated at Old Balibat, a commercial area of Jorhat covered by Dag No. 3665/4201 periodic Patta No. 354 of Jorhat town Mouza, Block No. 1, Ward No. VI of Jorhat Municipality.

E. J. MAWLONG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Shillong

Date : 31-10-81
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, SHILLONG

Shillong, the 27th January 1982

Ref. No. A-256/81-82/JRT/910-18.—Whereas, I, E. J. MAWLONG being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Dag. No. 4739/5036 of P.P. No. 171/323 of Block No. 2 situated at K.B. Road, Ward No. 8, Jorhat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Jorhat on 25-6-81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manik Kumar Chanda (Transferor)

(2) Shri Hansraj Kochar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring one Katha eight Lachas with a two storeyed R.C.C. Building thereon situated at K.B. Road, Ward No. 8, Jorhat and covered under Dag No. 4739/5036 of P.P. No. 171/323 of Block No. 2 of Jorhat town, Municipal Holding No. 337.

E. J. MAWLONG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Shillong

Date : 27-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, VRINDAVAN, GANGANAGAR, UNIT-VI, BHUBANESWAR

Bhubaneswar, the 30th November 1981

Ref. No. 7/81-82/IAC/ACQ/BBS.—Whereas, I, P. K. MISHRA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4028 situated at Jajpur Road (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dolipur on 1-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kamala Kumari Sahoo,
W/o Shri Haribandhu Sahoo,
P.S. Galia at Barada, P.O. Sadangi,
Dhenkanal.

(Transferor)

(2) Smt. Sulochand Sahoo,
W/o Shri Rajkishore Sahoo,
At Khamana, P.S. Koroi, P.O. Sankachilla,
Dt. Cuttack.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land with building located at Holding No. 9 Ward No. 6, Jajpur Road, Dt. Cuttack.

P. K. MISHRA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhubaneswar.

Date : 30-11-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, VRINDAVAN, GANGANAGAR, UNIT-VI, BHUBANESWAR

Bhubaneswar, the 14th January 1982

Ref. No. 11/81-82/IAC(A/R)/BBS.—Whereas, I, P. K. MISHRA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2550 situated at Gopalpur, Dt. Ganjam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Berhampur on 20-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tansferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kundala Narayana Rao,
S/o late Kundala Tarini Rao,
Urban Bank Road, Berhampur.
(Transferor)

(2) Shri Jagatbandhu Patnaik,
S/o Mr. R. Patnaik,
Mobile Engineer, Hillpatna, Berhampur,
Dt. Ganjam.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Khata No. 16, Plot Nos. 87 and 90, Area Ac. 2.818 land with buliding named as "God's Gift" at Gopalpur, Dt. Ganjam.

P. K. MISHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhubaneswar.

Date : 14-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
KANNAMMAI BUILDING IIND FLOOR,
621, MOUNT ROAD, MADRAS 600 006

Madras 600 006 the 5th February 1982

Ref No 39/June 81 —Whereas I, R RAVICHANDRAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
Door Nos 2/17 2 18, 2/19, 2/13, 2/14 2 I in ground floor and I A (Half share), 2|B, 2|C, 2|D 2|E, 2|F, 2|G, 2/H and 2I First Floor at Barracks Maidan Road, situated at Vellore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
I S R I, Vellore
on 22 6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri V R Bhushanraj,
S/o Late Sri V P Rangaraja Mudaliar,
No 4, Balaji Road,
Krishna Nagar, Vellore-1
(Transferor)

(2) Smt D Narmada Ammal,
W/o Shri J Dorairaj,
No 19/1 Govinda Mudali Bungalow Street
Kosapet, Vellore-1
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazett

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Ac,t shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Land and building bearing Door Nos 2/17 2 18 2/19, 2 13 2/14 2 I in ground floor and I/A (Half share) 2|B, 2|C, 2|D 2|F, 2|F 2|G 2|H and 2|I in First Floor at Barracks Maidan Road Vellore
Document No 2437/81)

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I Madras-6

Date 5 2 1982
Seal

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

KANNAMMAI BUILDING, IIND FLOOR, 621, MOUNT ROAD, MADRAS-600 006.

Madras-600006, the 6th February 1982

Ref. No. 193/June 81.—Whereas, I, R. RAVICHANDRAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. Nos. 646/1-B, 648, situated at 649, 650/1 and 650/2, Old Katpadi Town, Near Katpadi Railway Station, Gudiyatham Taluk (N. A. Dt.) (Document No. 2544/81) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Katpadi on 15-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri K. R. Vedachalam,
No. 45, Perumal Koil Street,
Katpadi.
2. Sri K. R. Natarajan,
Retired Health Inspector,
C/o Nalina Ranjan,
Plot No. 22, South Jagannathan Nagar,
Villivakkam, Madras-49.
3. Shri K. R. Krishnamoorthy, L.I.M.,
Registered Medical Practitioner,
Thakkolam, Arkonam Taluk.

(Transferor)

(2) Shri V. S. Nathan,
Managing Partner : Solai Real Estates,
No. 64, Katpadi Road,
Vellore (N.A. Dt.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land measuring 5.07 acres in S. Nos. 646/1-B, 648, 649, 650/1 and 650/2, Old Katpadi town, near Katpadi Railway Station, Gudiyatham Taluk (N.A. Dt.)—Document No. 2544/81).

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 6-2-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-2,

123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 6th February 1982

Ref. No. F.11464.—Whereas, I, R. RAVICHANDRAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/277 situated at
Kotagiri (S. No. 297) (Doc. 624/81)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kotagiri on June 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) R. K. Chikkanna Chettiar & Company Kotagiri.

(Transferor)

(2) G.T.S. Pandiaraj Trust, G.T.S. Pandiaraj, Pandian Industries, Kotagiri.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 1/277, Kotagiri (RS. No. 297). (Doc. 624/81).

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-2,
Madras-6.

Date : 6-2-1982
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-2.

123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 8th February 1982

Ref. No F.11448.—Whereas, I, R. RAVICHANDRAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S No. 479/1 situated at 480/1,
Telungupalayam (Doc. 3195/81)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore on June 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sukkiri Konar, 7 Geevanandam St., Velandipalayam, Telungupalayam, Coimbatore.

(Transferor)

(2) Shine Flo, 5/243, Thadagam Road, GCT (PO) Coimbatore-13.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at S. No. 479/1 and 480/1, Telungupalayam. (Doc. 3195/81).

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-2,
Madras-6.

Date : 8-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-2,

123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 4th February 1982

Ref. No F 11502.—Whereas, I, R. RAVICHANDRAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No.
72-B3, situated at Appuswamy Lay out, Puliakulam, Redfields, Coimbatore Doc. 3266/81)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Coimbatore on June 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) K. R. Ramaswami,
15/2, Algesan Road,
Coimbatore

(Transferor)

(2) B S Bapooji, B Udayasree,
4/21, A.C.C. Colony, Mudukkarai,
Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 72-B3, Appuswamy Lay out Redfields, Puliakulam, Coimbatore
(Doc 3266/81).

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-2,
Madras-6,

Date : 4-2-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-2,

123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 4th February 1982

Ref. No. F.11554.—Whereas, I, R. RAVICHANDRAN, being the Competent Authority under Section 269(B) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 15/150 situated at Patel Road, Coimbatore-9 (Doc. 3653/81) (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore on July 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair mraket value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee by the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) K. S. N. Bhat, Managing Director,
Meccano Floorings (P) Ltd.,
300, Mowbrays Road,
Madras-18.

(Transferor)

(2) S. Kasthuriswamy,
57, Ponnurangam Road,
Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building 15/150, Patel Road, Coimbatore-9. (Doc. 3653/81).

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-2,
Madras-6.

Date : 4-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-2,

123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 4th February 1982

Ref. No. F.11494.—Whereas, I, R. RAVICHANDRAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
13A situated at East Ponnurangam Road, RS Puram Coimbatore (Doc. 3315/81)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore on June 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

S/Shri
(1) Lakshmi Venkatachalam,
P. V. Subramanian,
P. S. Venkatachalam,
Lakshmi,
Dr. P. V. Krishna Kumar,
K. Venkatachalam,
K. Sivaramakrishnan,
P. V. Mohan,
50, Chick Bazaar Road, Shivajinagar,
Bangalore-51.
(Transferor)

(2) K. Nagarathinam,
19A, East Ponnurangam Road, R S Puram,
Coimbatore-2.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land and building at 13A, East Ponnurangam Road, R S Puram, Coimbatore.
(Doc 3315/81)

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-2,
Madras-6.

Date : 4-2-1982
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-2,

123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 4th February 1982

Ref. No. F.11497.—Whereas, I, R. RAVICHANDRAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 11/42 situated at Cross Cut Road, Coimbatore (Doc. 3162/81) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore on June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

S/Shri
(1) R. Perumal,
B. Shanmugham,
B. Pushparaj,
P. Manoharan,
142, Cross Cut Road,
Gandhipuram, Coimbatore.

(Transferor)

(2) Vimala,
S. Sujatha,
V. Hemalatha,
N. Chandramouli,
110, First Agraharam,
Salem.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 11/42, Cross Cut Road, Coimbatore. (Doc. 3162/81).

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-2,
Madras-6.

Date : 4-2-1982
Seal :

FROM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-2,

123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 4th February 1982

Ref. No. F.16470.—Whereas, I, R. RAVICHANDRAN, being the competent authority under Section 269-B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
32, situated at Kasturi Ranga Iyengar Road,
Madras-18 (Doc. 1155/81)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mylapore on June 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the
property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Nalini Krishnan,
32, Kasturi Ranga Iyengar Road,
Madras-18.

(Transferor)

(2) Mrs. Menaka Parthasarathy,
32, Kasturi Ranga Iyengar Road,
Madras-18.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 32, Kasturi Ranga Iyengar Road, Madras-18. (Doc. 1155/81).

R. RAVICHANDRAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-2,
Madras-6.

Date : 4-2-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
57, RAM TIRATH MARG,
LUCKNOW

Lucknow, the 25th November 1981

G.I.R. No. K-107/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 102/516 including land situated at Shivajee Marg, Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 2-7-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Kailash Narain Gupta, (Self and Karta of H.U.F.)
2. Smt. Shanti Gupta.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Kanta Rani
2. Shri Nand Lal Bajaj
3. Smt. Bhagwati Bajaj
4. Subhash Chandra Bajaj
5. Master Akash Bajaj (Minor) Through his father and natural guardian, Shri Subhash Chandra Bajaj.

(Transferee)

(3) 1. M/s. Awadh Tobacco Co.
2. Shri M. P. Pandey } Tenants

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 102/516 including freehold land measuring 2138 sq. ft. situated at Shivajee Marg, Lucknow, and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 4498 which have duly been registered in the office of the Sub-Registrar, Lucknow, on 2-7-1981.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 25-11-1981
Seal :

FORM ITNS-——

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
57, RAM TIRATH MARG,
LUCKNOW

Lucknow, the 30th November 1981

G I R No S-224/Acq —Whereas, I, A S BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,200/- and bearing No 137/13 Kha Takia Ganeshganj situated at (Khurshed Bagh Phatak) Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 18 7-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Kunwar Ranbir Singh (Transferor)

(2) Shri Sunil Kumar Gupta (Transferee)

(3) 1 Shri Sunil Kumar Gupta and
2 Shri Daya Shankar Chaubey (Tenant)
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Southern part double storeyed house bearing old No 137/130 and new number 137/13-Kha, including land, measuring 3451 sq ft situated at Mohalla-Takiya Ganeshganj (Khurshed Bagh Phatak), Lucknow, and all that description of the property which is mentioned in form 37G No 4827 and sale-deed which have duly been registered in the office of the Sub Registrar, Lucknow on 18-7 1981

A S BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Date 30-11-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
57, RAM TIRATH MARG,
LUCKNOW

Lucknow, the 13th January 1982

G.I.R. No. G-52/Acq.—Whereas, I, VINOD KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 220-A (Municipal 23/13)
situated at Gokhale Marg, Lucknow
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Lucknow on 27-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Jasi B. Malkani
2. Miss Mala Malkani.
(Transferor)

(2) M/s Gopal Auto Distributors Pvt. Limited,
23/13, Gokhale Marg, Lucknow,
Through its Managing Director,
Shri Vijay Gopal.
(Transferee)

(3) M/s. Gopal Auto Distributors Pvt. Limited,
23/13, okhale Marg, Lucknow,
Through its Managing Director,
Shri Vijay Gopal.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bunglow No. 22-A (Municipal No. 23/13) including building, out-houses etc, and land measuring 16,676 sq. ft situate at Gokhale Marg, Lucknow, and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 4374/81, which have duly been registered in the office of the Sub-Registrar, Lucknow, on 27-6-1981.

VINOD KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 13-1-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

57, RAM TIRATH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 30th January 1982

G.I.R. No. N-43/Acq.—Whereas, I, VINOD KUMAR, Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

35-A, Gokhley Marg situated at Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 5-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mrs. Indra Anand
2. Mrs. Ritu Mehra
3. Mrs. Kamini Bhandari
4. Mrs. Poonam Bhasin.

(Transferor)

(2) Shri Nirmal Kumar Jain.

(Transferee)

(3) Shri Naresh Goel (Tentnt).

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No 35-A, including building and land situated at 35-A, Gokhley Marg, Lucknow, and all that description of the property which is mentioned in the Form 37G No. 3876, and the sale deed which have duly been registered in the office of the Sub-Registrar, Lucknow, as on 5-6-1981.

VINOD KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 30-1-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
57, RAM TIRATH MARG,
LUCKNOW

Lucknow, the 30th December 1981

G.I R. No. N-42/Acq.—Whereas, I, VINOD KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Bandobasti No. 275/3 situated at Mauza-Tulsipur, Pargana-Dehat Amanat, Varanasi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Varanasi on 20 6 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jogindra Nath Mehra.

(Transferor)

(2) M/s. Navodit Sahkari Avas Samiti Limited,
Regd. Office at CK-65/190,
Bari Peari, Varanasi,
Through its Secretary,
Shri Bhuvneshwar Prasad.

(Transferee)

(3) M/s. Navodit Sahkari Avas Samiti Limited,
Regd. Office at CK-65/190,
Bari Peari, Varanasi,
Through its Secretary,
Shri Bhuvneshwar Prasad.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Entire settlement plot No 275/3 admeasuring 9 decimals i.e. 3924 sq. ft. situate at village—Tulsipur, Pargana—Dehat Amanat, Distt. Varanasi and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 4594 which have duly been registered in the office of the Sub-Registrar, Varanasi, on 20-6-1981.

VINOD KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 30-12-1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 12th January 1982

Ref. No. IAC/CA5/SR. Haveli-II/June 81/559/81-82.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Rajanigandha Apartment No. B IX, Plot No. 5 & 6, F.P. No. 447, T.P.S. No. 1 situated at Gokhale Road, Shivajinagar, Pune-16 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Haveli-II on June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Khivasara Desai & Associates,
447/5, Gokhale Road,
Pune-16.
(Transferor)

(2) Mrs. Meera A. Wagh,
B-9, Rajanigandha Apartments,
447, Gokhale Road,
Pune-16.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. B IX Plot No. 5 & 6, F.P. No. 447, T.P.S. No. 1 situated at Rajanigandha Apartments, Gokhale Road, Shivaji Nagar, Pune-16.

(Property as described in the sale deed registered under document No. 1982 in the office of the Sub-Registrar, Haveli-II in June 1981).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 12-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 12th January 1982

Ref. No. IAC/CAS/Sr. Haveli II/558/June 81/81-82.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Rajanigandha Apartment No. B IV, Plot No. 5 & 6 F.P. No. 447, T.P.S. No. 1 situated at Gokhale Road, Shivajinagar, Pune-16 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at SR Haveli-II on June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value o fthe aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration adn that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said insrtument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Khivasara Desai & Associates,
447/5, Gokhale Road,
Pune-16.

(Transferor)

(2) Shri Keshav Dinkar Kale,
B-VI, Rajanigandha Apartments,
447, Gokhale Road,
Pune-16.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. B IV Plot No. 5 & 6, F.P. No. 447, T.P.S. No. 1 situated at Rajanigandha Apartments, Gokhale Road, Shivaji Nagar, Pune-16.

(Property as described in the sale deed registered under document No. 1950 in the office of the Sub-Registrar, Haveli-II in June 1981).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 12-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 12th January 1982

Ref No IAC/CA5/SR. Solapur/June 81/563/81-82 — Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing F P No 102 B/7 + 8 + 9/26 situated at Solapur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Solapur on June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely —

(1) Shri Maniklal Motilal Sarda, House No 102B/7+8+9, Bhavani Peth, Solapur

(Transferor)

(2) 1. Shri Shankarlal Motilal Sarda
2. Shri Shamsunder Motilal Sarda
H. No 1 B/7+8+9, Bhavani Peth, B, Solapur

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing FP No 102B/7+8+9/26, City Solapur (Property as described in the sale deed registered under document No. 1568 in the office of the Sub-Registrar, Solapur in June, 1981)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date 12-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 12th January 1982

Ref. No. IAC/CA5/SR. Haveli-II/June 81/557/81-82.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Rajanigandha Apartment No. B III, Plot No. 5 & 6 F.P. No. 447, T.P.S. No. 1 situated at Gokhale Road, Shivajinagar, Pune-16 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Haveli-II on June 81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that this consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Khivsara Desai & Associates,
447/5, Gokhale Road,
Pune 16.

(Transferor)

(2) Mrs. Gouri C. Mulay,
3, Rajanigandha Apartments,
447, Gokhale Road, Pune 16.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. B. III, Plot No. 5 & 6, F.P. No. 447, T.P.S. No. 1, situated at Rajanigandha Apartments, Gokhale Road, Shivaji Nagar, Pune 16.

(Property as described in the sale deed registered under document No. 1983 in the office of the Sub Registrar, Haveli-II in June 1981).

SHASHIKANT KULKARNI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 12-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 12th January 1982

Ref. No. IAC/CA5/SR. Haveli II/June '81/561/81-82.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Rajanigandha Apartment No. B-II, Plot No. 5 & 6 F.P. No. 447, T.P.S. No. 1, situated at Gokhale Road, Shivaji Nagar, Pune 16, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR. Haveli-II on June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s Khivsara Desai Apartments,
447/5, Gokhale Road,
Pune-16.

(Transferor)

(2) Smt. Nalini D. Banchhod,
B, No. 6, Rajanigandha Apartments,
447, Gokhale Road,
Pune 16.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. B II, Plot No. 5 & 6 F.P. No. 447, T.P.S. No. 1 situated at Rajanigandha Apartment, Gokhale Road, Shivaji Nagar, Pune 16.

(Property as described in the sale deed registered under document No. 1947 in the office of the Sub Registrar-II, Haveli in June 1981).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 12-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 12th January 1982

Ref. No. IAC/CA5/SR. Haveli-II/June '81/556/81-82.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Rajanigandha Apartment, No. B V, Plot No. 5 & 6 F.P. No. 447 TPS No. 1 situated at Gokhale Road, Shivajinagar, Pune 16 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR. Haveli-II on June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Khinvsara Desai & Associates, 447/5, Gokhale Road, Pune 16.

(Transferor)

(2) Shri Vijay J. Shah, 85, Rajanigandha Apartments, 447, Gokhale Road, Pune-16.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. B V, Plot No. 5 & 6 F.P. No. 447, T.P.S. No. 1 situated at Rajanigandha Apartments, Gokhale Road, Shivaji Nagar, Pune 16.

(Property as described in the sale deed registered under document No. 1943 in the office of the S.R. Haveli-II on June 1981.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 12-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 12th January 1982

Ref. No. JAC/CA5/SR. Haveli II/June '81/560/81-82.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Rajanigandha Apartment No. B IV, Plot No. 5 & 6 F.P. No. 447. T.P.S. No. 1 situated at Gokhale Road, Shivajinagar, Pune 16 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR. Haveli-II on June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Khivsara Desai & Associates,
447/5, Gokhale Road,
Pune-16.

(Transferor)

(2) Shri P. M. Nabar,
8-4, Rajanigandha Apartments,
447, Gokhale Road, Pune 16.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. B IV, Plot No. 5 & 6, F.P. No. 447, T.P.S. No. 1 situated at Rajanigandha Apartments, Gokhale Road, Shivaji Nagar, Pune 16.

(Property as described in the sale deed registered under document No. 1948 in the office of the Sub Registrar, Haveli-II on June 1981).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 12-1-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 21st December 1981

Ref. No. 996/Acq.R-III/81-82.—Whereas, I, I. V. S. JUNEJA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 25 situated at Waterloo Street, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Calcutta on 15-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax **Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kanika Das & ors.

(Transferor)

(2) Amber Properties Pvt. Ltd.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that undivided 1/18th share of the house property being premises No. 25, Waterloo Street, Calcutta as per Deed No. 4965 dt. 15-6-81 registered before the Registrar of Assurances, Calcutta.

I. V. S. JUNEJA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Calcutta
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700001

Date : 21-12-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 11th January 1982

Ref. No. AC-82/Acq.R-IV/Cal/81-82.—Whereas, I, K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 137, situated at Kasundia Road, Dist. Howrah
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Howrah on 10-6-81
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rekha Rani Ghosh.
259/4/3, N. S. Road, Howrah.

(Transferor)

(2) Sri Jagabandhu Chatterjee,
Sri Pabitra Chatterjee,
Sri Sampad Kumar Chatterjee,
Smt. Reba Chatterjee.
137, Kasundia Road,
Shibpur, Dist. Howrah.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land : 2kt. 8ch. 25sft. with building.

Address : 137, Kasundia Road, P.S. Shibpur, Dist. Howrah.

Deed No. 3045 of 1981.

K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Calcutta.

Date : 11-1-1982.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 11th January 1982

Ref. No. AC-83/ACQ.R-IV/Cal/81-82.—Whereas, I, K. SINHA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. — situated at Md. Hussain Street by Lane, Asansol (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Asansol on 24-6-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfre with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Omprakash S/O Late Kulchand Burnwall
Md. Hussain Street bye Lane,
Asansol (Market), Dist. Burdwan.
(Transferor)

(2) Smt. Uma Das W/O Sri Narayan Lal Burnwall,
Md. Hussain Street bye Lane (Near Market)
P.O. Asansol, Dist. Burdwan.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land : 2kt. 13chs. with building.
Address : Md. Hussain Street bye Lane, P.S. Asansol Dist. Burdwan.
Deed No. : 4270 of 1981.

K. SINHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range-IV, Calcutta.

Date : 11-1-1982.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 11th January 1982

Ref. AC-84/Acq. R-IV/Cal/81-82.—Whereas, I K. SINHA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 109, situated at Tagore Road, Asansol (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Asansol on 23-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Gopal Pandey,
109, Tagore Road, Ushagram, Asansol.
(Transferor)

(2) Sri Ashish Kumar Mukherjee,
109, Tagore Road, Ushagram, Asansol.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land : 2k. 14ch. with building.
Address : 109, Tagore Road, Ushagram, PS. Asansol, Dist. Burdwan.
Deed No. : 4220 of 1981.

K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Calcutta.

Date : 11-1-1982.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore, the 4th December 1981

Notice No. 383/81-82.—Whereas, I, Smt. MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
C.T.S. No. 3023 situated at Khadebazar, Belgaum
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in New Delhi of the Registering Officer at
Belgaum under document number 1581 on 22-10-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :

(1) 1. Shri Gafar Allauddin Pachapure,
2. Shri Munaf Allauddin Pachapure.
3. Shri Abdul-majid Allaudin Pachapure.
4. Shri Abdulrazak Allauddin Pachapure.
5. Smt. Jaibunnisa W/o Allauddin Pachapure.
R/o 3023, Khadebazar, Belgaum.

(Transferor)

(2) Shri Tukaram Nandappa Murkarnal,
R/o 3837, Kotwalgalli, Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered document number 1581 dated 22-10-1981)
Land and building bearing C.T.S. No. 3023 situated at Khadebazar, Belgaum.

SMT. MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-12-1981.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 15th December 1981

Notice No. 391/81-82.—Whereas, I SMT. MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 8 situated at Hullahally, Taluk Holenarasipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Holenarasipur under document number 165 on 2-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Secion 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. H. C. Indiramma w/o H. Chinnaswamy, Idigar Beedi, Holenarasipur.

(Transferor)

(2) Shri H. S. Manjanna S/o Subbarao R/o Hahally, K. Hoskote hobli, Taluk : Holenarasipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 165 Dated 2-6-1981]
acre & 32 gunta Coconut garden bearing S. No. 8 situated at Hallahally village, Holenarasipur Taluk.

SMT. MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 15-12-81.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

Bangalore-560001, the 15th December 1981

Notice No. 392/81-82.—Whereas, I SMT. MANJU MADHAVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
situated at Hullahally village, Taluk Holenarasipur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Holenarasipur under document number 166 on 2-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri H. C. Rameshbabu S/o Chinnaswamy
2. Mahalaxmamma
R/o Hassan.

(Transferor)

(2) 1. Shri H. S. Manjanna,
R/o Halhally, K. Hoskote Hobli,
Taluk Holenarasipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 166 dated 2-6-1981]
Below mentioned coconut garden situated at Hullahally village, Taluk Holenarasipur.

Survey No.	& Acre-gunta
12	1-21
9/1	0-13
9/2	0-13

SMT. MANJU MADHAVAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 15-12-81.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

Bangalore 560001, the 17th December 1981

C R No 62/30887/81 82/ACQ/B —Whereas I, Smt MANJU MADHAVAN Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquisition Range Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25 000/ and bearing No 150 5th Main Chamarajpet, Div 26, Bangalore situated at (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Basavanagudi Doc No 765/81 82 on 5-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) **facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957),

Now therefore in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely —

(1) Shri T K Vasudevamurthy,
Shri T G Seshagiri Rao,
1286/2 Krishnamurthipuram
Mysore,
Camp Bangalore

Transferor(s)

(2) Shri P N Sadashivaiah
S/o T Nanjundappa
No 1, 4th cross Shankarapuram
Bangalore 4

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

[Registered Document No 765/81 82 dated 5 6 1981]

Portion of house property Old 16 then 17 and 17/1 at present 150 5th main, Chamarajpet Div 26, Bangalore.

East—Sondekuppa Ramaswamy Sastri house
West —R Narayana Rao house
North—Property 149
South —5th Main, Chamarajpet
East to West—30 ft
North to South—70+72

Smt MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bangalore

Date 17-12-81
Seal

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560001, the 18th December 1981

C.R. No. 62/30889/81-82/ACQ. B.—Whereas, I, Smt. MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at Western Portion of the premises No. 2, Artillery Road, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Shivajinagar Docket No. 882/81-82 on 15-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Sadeq Hussain,
No. 4, Door No. 7,
Meenakshi Koil Street,
Bangalore-560 001.

Transferor(s)

(2) M/s. Girnar Builders,
Reptd. by Managing Director
Sri Kirit Shah, S/o Shri Uttamchand,
No. 33/1, 5th Main Road, Gandhinagar,
Bangalore-9.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 882/81-82 dated 15-6-81)

Western Portion of Premises No. 2, Artillery Road, Civil Station, Bangalore-560 008 bounded on the East by remaining portion of premises No. 2, Artillery Road North by common passage of 10 ft. width, south by common passage of there of too No. 2, Artillery Road with a big gate, two coconut trees, two mango trees and small trees and fountain etc. The passage on the north and south are common but however the Southern Passage cannot be used by the owner of this property for parking cars vehicles etc., and it can be used only for entry into these premises.

Smt. MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 18-12-1981.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 16th January 1982

No. 399/81-82.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 261 situated at Anur village Vastare Hobli, Taluk Chickmagalur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Chickmagalur Under document number 652/81 on 25-6-81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri A. T. Nanjegowda S/o late Thimmegouda
2. Shri A. N. Ashok S/o A. T. Nanjegowda
3. Shri A. N. Onkarmurthy S/o A. T. Nanjegowda
4. Shri A. N. Basavaraj S/o A. T. Nanjegowda
5. Shri A. N. Devaraj S/o A. T. Nanjegowda R/o Anur village, Vastore Hobli, Raluk Chickmagalur.

(Transferor)

(2) Shri H. M. Nisar Ahmad, S/o Gulam Mohidin Coffee planter, Anur village, Vastare Hobli, Kaykasarike, Tal. Chikmagalur.

2. Shri Ziaur Rehaman S/o Mohd. Fazal Rehman, coffee planter, Vastare Hobli, Hosahalli peth, Mallimanegram, Tal. Chikmagalur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 652/81, Dated 25-6-81]

8 acre coffee plantation bearing survey No. 261 at Anoor village, Vastare Hobli Taluk, Chikmagalur.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 16-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 16th January 1982

No. 398/81-82.—Whereas, I MANJU MADHAVAN Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 42/P situated at Thogrihankal village, Jagra Hobli Taluk Chickmagalur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chickmagalur Under Document Number 646/81 on 24-6-181 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri T. N. Mallanna Gowda
S/o T. B. Nagesh
Coffee Planter, K. M. Road,
Chickmagalur.

(Transferor)

(2) Sri T. N. Channabasave Gowda
S/o T. B. Nagesh
Coffee Planter, K. M. Road,
Chickmagalur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 646 Dated 24-6-1981]

4 Acre 30 Gunta Coffee Plantation bearing Survey No. 42/P situated at thogrihankal village, Jagra Hobli Taluk Chickmangalur.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 16-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 2nd January 1982

No. C.R. 62/31716/8-82/Acq. B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 565, situated at 2nd stage, Koramangala layout, Bangalore-35
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bangalore South Taluk, Doc. No. 1245 on 17-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri V. P. Venkatesha,
S/o Late R. Venkataraman,
M/s. K.S.T.D. Laddur.

(Transferor)

(2) Shrimati Swapna Chandrashekar,
D/o, Sri R. Chandrashekar
No. 565, Koramangala Layout,
III Block, II Stage,
Bangalore-35.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1245/81-82 Dated 17-6-1981]
No. 565, II Stage, Koramangala Lay out, Bangalore-35.

MANJU MADHAVAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 2-1-1982
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 8th January 1982

No. CR. 62/31385/81-82/Acq B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 23/5 situated at Lavelle Road, MacIver Town, B'lore-1 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering office at
Shivajinagar, Doc. 1297/81-82, on 18-7-81
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds, the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not bee ntruly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sai Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of th aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Jamuna Bai, W/o S. Natarajan,
No. 23/4, Lavelle Road, MacIver Town,
Bangalore-1.

(Transferor)

(2) M/s. Loharu Steel Industries Ltd.,
represented by its managing Director
Sri B. D. Agarwal, No. 20, Shanthappa Lane,
Bangalore-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Doc. No. 1297/81-82 Dated 18-7-1981]
All that piece and percel of land bearing No. 23/5, lavelle road, MacIver Town, Corpn. Divn, No. 60, civil Station, Bangalore-1,
Bounded on :
North by : 50 feet
South by : 51 feet
East by : 96 feet
West by : 101 feet
Total site area : 4975 sq. feet.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Dated : 8-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 10th December 1981

No. C.R. 62/31074/81-82/Acq/B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 22, situated at Palmgrove Road, Bangalore-60, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar Doc. No. 966 on 22-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Balamma & 8 others,
Kodihalli,
H.A.L. Post,
Bangalore-560017

(Transferor)

(2) M/s. Hoysala Building Development Co. Pvt. Ltd.,
378/8, 6th 'A' Cross, 13th Main,
Rajmahal Vilas Extension, Bangalore-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 966/81-82 Dated 22-6-1981]
Premises No. 22, Palmgrove Road, Bangalore bounded on
North & South by private property
East by Storm water drain and
Palm grove Road
West by Private property.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 10-12-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE BANGALORE 560001

Bangalore the 5th January 1982

No C R 62 31814 81 82/Acq/B —Whereas I MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No 20 situated at Infantry Road, Bangalore-1 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar D O C No 1677 on 24-8 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt R Rukmini,
W/o Sri Ramakrishna Reddy
20 Infantry Road
Bangalore 1

(Transferor)

(2) Shri M Raghavendra
52/16, 1st cross
Lalbagh Road,
Bangalore-27

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

[Registered Document No 1677/81-82 Dated 24 8-81]

Portion of Premises bearing No 20 (old No 12), Infantry Road, Bangalore 1 measuring East to West 100 ft, North to South 90 ft, bounded on the East by Union Street, West by cross road, North by property of R Parasmull and South by property of vendor and Krishnamurthy

MANJU MADHAVAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bangalore

Date 5 1-82
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 2nd January 1982

No. CR. 62/31082/81-82/Acq. B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 30/2, New No. 30/9 situated at Nanjappa Main Road, Shanthinagar, Bangalore-27
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jayanagar, Document No. 1542, on 29-3-81
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S/Sri
1. B.A. Ramakrishna Setty,
2. B. R. Lakshmikanta Gupta,
No. 11/2/62, Appurao Road, 6th Main, Chamarajpet, Bangalore-18.
(Transferor)

(2) Sri Tulsi B. Bhatia, No. 358, 13th Main Road, Raja Mahal Vilas Exten., Bangalore-6.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Regd. Document No. 1542/81-82 Dated 29-6-81]

Sited No. 30/2, New No. 30/9, measuring $\frac{79' \times 63'}{2} \times \frac{79' \times 93'}{2}$ situated at Nanjappa Main Road, Shanthinagar, Bangalore-27.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 2-1-82
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 2nd January 1982

No. C.R. 62/32338/81-82/ACQ/B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 7, situated at Naladi Village, Madikere Taluk (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mercara, Doc. No. 385/81-82 on 12-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mammikutty Haji
S/o Abdulla Haji
Irikkur, Cannonore Dist., Kerala.
(by his P.A. Holder K Abdulla)

(Transferor)

S/Shri
(2) 1. Paul D'Silva,
2. John D'Silva
3. Robert D'silva
4. Benny Lopez
5. Clera Lopez
6. Margarate Albin
7th Hosa Kote Village, Sunticoopa Nad, N. Coorg.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 385/81-82 Dated 12-6-1981]

Sy. No. 7 of 144.26 acres, situated at Naladi Village, Madikere Taluk.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 2-1-82
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 2nd January 1982

No. CR. 62/31337/81-82/Acq. B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 26, situated at Ist A Cross, JC. Road, Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Basavangudi, document No. 845/81-82 on 17-6-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. (1) Narayanamma (2) M. G. Ravikumar (3) M. G. Nataraj wife and son of M. Gopalaswamy, No. 26, Ist A Cross, JC. Road, Bangalore.
(Transferor)

(2) 1. Paramjeet Singh, S/o Sardar Jeevan Singh
2. Gurnitsingh, S/o Parmjeet Singh.
7/8, Armugam Circle, Bangalore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 845/81-82, Dated 17-6-'81]
House No. 26, Ist 'A' Cross, JC. Road, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 2-1-82
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 8th January 1982

No. C.R. 62/31312/81-82|ACQ/B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 7B, situated at Tannery Road, (Present No. 33, Netaji Road) Civil Station, Bangalore. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar Doc. No. 1104/81-82 on 3-7-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, ot the following persons, namely :-

(1) Dohnaver Fellowship, Dohnaver, Thirunelveli District, Tamilnadu State.
(Transferor)

(2) Divya Shanthi Christian Association St. John's Church, St. John's Church Road, Bangalore-560 005.
(Transferee)

(3) Presently in the occupation of the Vendor Possession will be made over to the purchaser after regn. of sale deed.
[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1104/81-82 Dated 3-7-'81]

7B, Tannery Road (Present No. 33, Nethaji Road) Civil Station, Bangalore bounded on North by : Tannery Road Cross Lane, On the South by premises No. 7A, Tannery Road, On the east by Premises Nos. 8 to 10, Cleveland Town D' Street, and on the West by premises No. 31, Nethaji Road, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 8-1-1982
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 2nd January 1982

No. C.R. 62/30890/81-82/ACQ/B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 6, situated at Kalasipalyam extension, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Basavanagudi Doc. No. 703/81-82 on 4-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(b) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weath-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri N. Venkataramana
No. 1, I Floor, 4th Cross,
II Stage, Sudhamnagar,
Bangalore-27.

(Transferor)

2) Kumari Nissar Begaum
3/2, 4th Cross, Doddamavalli
Bangalore-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 703/81-82 Dated 4-6-81]
Property area covering, 935ft. East to West,
112½ ft, North to South.

Old No. 127, New No. 6, situated at Kalasipalyam Extesion, Bangalore-2.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 2-1-82
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 15th January 1982

No. 400/81-82.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Survy No. 132, 133, 134/P, 137/P & 150 situated at Thogi-hankal Village, Jagra Hobli, Taluk : Chikmagalur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Chickmagalur Under document number 653 on 24-6-81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri T. B. Nagesh S/o late T. B. Mallegouda, T. B. Mallegouda Oval, Coffee-Planter, Kadur-Mangalore Road, Chickmagalur.
(Transferor)

(2) Sri T. N. Channabasave Gowda S/o Sri T. B. Nagesh, Coffee planter, T. B. Mallegouda Oval, Kadur-Mangalore Road, Chickmagalur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 653 Dated 24-6-81]

All those pieces and parcel of land situated in Thogrihankal village, Jagra Hobli, Chickmagalur Taluk.

Survey No.	Kind	Extent Acre—Gunta.
132	Coffee	4—21
133	,,	2—09
134/P . .	Bagaylhu	0—10
	Coffee	2—34
137/P	Coffee	0—03
150	Wet	3—25

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 15-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 2nd January 1982

No. 386/81-82.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 37/1 (Part) situated at Colem village, Taluk Sanguem, Goa
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sanguem under document number 50/81 on 17-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hirabai V. Salgaonkar,
Salgaonkar House,
Vasco-da-Gama, Goa.
(Transferor)

(2) Tourist India Private Ltd.,
19/21, Ambalal Doshi Marg, Mutual Chambers,
Bombay-400 023.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 50/81 Dated 17-6-1981]
Land measuring 1,37,405 Square metres known as "Culna" or "Cutri Condichme Mola" bearing Survey No. 37/1 (Part) situated at Colem village, Taluka Sanguem, Goa. The land is registered in Land Registration Office of Quepem under No. 9351 of Book B number 27.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 2-1-1982.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 2nd January 1982

No. 387/81-82.—Whereas, I MANJU MADHAVAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

House No. 35 situated at M. H. B. Colony, Vishveshwaranagar, Hubli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 1908) in the office of the Registering Officer at

Hubli Under document Number 737 on 25-6-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Venkatagouda Siddanagouda Hiregoudar
2. Sri Chandrasshekhar Venkatagouda Hiregoudar
3. Sri Vasu Venkatagouda Hiregoudar,
• R/o Hulakoti, Tal : Gadag.

(Transferor)

(2) 1. Sri Gurupadappa Basappa Mahalingshetty
2. Smt. Parvatemma W/o Gurupadappa Mahalingshetty, No. 64, Vishweshwaranagar, Hubli.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

[Registered Document No 737 Dated 25-6-81]

Land and building bearing H No. 35 in M.H.B. Colony, Vishweshwaranagar, Hubli.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 2-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 2nd January 1982

Notice No. 388/81-82.—Whereas,

I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Survey No. 272/20,

situated at Carmona village, Salcete, Goa

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Salcete under document number 311/81 on 23-6-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Agnelo Cusimo Georje.
2. Maria Goreti Diriz Costae Georje,
r/o Aquem Alto, Margao.
(Transferor)

(2) 1. Antonio Severino Cardozo.
2. Remia Eustaquila Furtado Cardozo.
r/o Repiovaddo, Verca, Salcete, Goa.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 311/81 Dated 23-6-1981]

Land and building known as "Colviran Ou Tepealem" bearing survey No. 272/20, situated at Church Road (Gravel Road) at Carmona Market, Taluka Salcete, Dist. Goa.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Bangalore

Date : 2-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,

BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 2nd January 1982

Notice No. 389/81-82.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 11/1 Plot No. 68,
situated at Cacora, Taluk Quepem, Goa
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Quepem under document number 204 on 27-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) 1. Rosy De silva.
2. Belarmino da silva
r/o Deao-Quepem, Goa.

(Transferors)

(2) 1. Shri Shaik Abdul Aleem.
2. Shri Shaik Mahamad Farook.
3. Shri Shaik Mahamad Sadik
4. Shri Shaik Azmutulla,
Bata Shoe-shop, Railway Station Road, Curchorem, Goa

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 204 Dated 27-6-81]
Land and building known as 'Cataichi Mordi" on plot No. 68, S. No. 11/1, situated at Cacora Village, Sub-District Quepem, Dist. Goa.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 2-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S. ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore 560001, the 2nd January 1982

Notice No 3935/81-82.—Whereas
I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No 6 on plot No. 12,
situated at Alto Betim village, Goa,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ilhas under document number 251 on 17-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe, that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) 1. Mrs Anne Figueiedo,
2. Mr Phillip Joseph Lawrence Figueredo.
represented by attorney Mrs. Mary Figueiedo, r/o Porvorim of Socorro, Goa.

(Transferors)

(2) Mr. Joaquim Jose Lourenco Fernandes, r/o Flat No. 6, "Alto Plaza" building, Alto Betim, Goa

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 251 Dated 17-6-1981]
Flat No. 6 on the second floor of the building known as "Alto Plaza" situated at Alto Betim, Goa.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date 2-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 16th January 1982

C.R. No. 62/Notice No. 394 81-82/7-7/ACQ/B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 54,115 (portion) & 166
situated at Bintravalli, Nuggi Village, Taluka : Koppa
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Koppa Under document No. 230 on 6-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957),

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) M/s The Mysore Plantations Ltd., Quard Hitlow, Koppa, Dist. Chickmagalur.

(Transferors)

(1) 1. Shri Prabhakar Rao s/o Shri A. R. Mohan Rao
2. Shri A. Prakash Rao s/o Shri A. R. Mohan Rao,
3. Dr. A. Suresh Rao s/o Shri A. R. Mohan Rao, r/o "Ajanta", Falnir, Mangalore.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 230 Dated 6-6-81]

Below mentioned estate comprising of the following lands situated at Bintravalli and Nuggi Villages of Koppa Taluk, Dist. Chickmagalur.

Village	S. No.	Acre-Gunta	Kind
Bintravalli	54	18—80	Coffee estate
Nuggi	115 (portion)	7—20	,,
,,	116	15—00	,,
	Total	40·20	

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 16-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 16th January 1981

C.R. No. 62/Notice No. 395/81-82/7-7/ACQ/B.—Whereas, VIMAL VASISHT being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 113 (Portion), 114 & 115 (Portion) situated at Nuggi village, Taluka Koppa (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Koppa under document No 229 on 6-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more thanfifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. The Mysore Plantations Ltd.,
Quard Hitlow, Koppa,
Dist. Chikmagalur.

(Transferor)

(2) 1. Shri A. Ashok Rao s/o Shri A. Sripathi Rao.
2. Shri A. Kishore Rao s/o Shri A. Sripathi Rao.
3. Master A. Sanjay Rao, minor represented by his father Sri A. Sripathi Rao,
R/o "Alankar", Falnir, Managlore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 229 Dated 6-6-1981]

Estate comprising following lands situated at Nuggi village, Taluka Koppa, Dist. Chikmagalur.

S. No.	Acre-gunta	Kind
113 (Portion)	19—25	Coffee estate
114	6—09	Do.
115 (Portion)	14—26	Do.
Total:	42·20	

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date . 16-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 16th January 1981

Notice No. 396/81-82.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 108, 109, 111 and 113 (Portion) situated at Nuggi village, Taluka -Koppa (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Koppa under document number 231 on 6-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Mysore Plantations Ltd.,
Quard Hitlow, Koppa,
Dist. Chikmagalur.

(Transferor)

(2) Shri A. Aravind Rao s/o
Shri A. Ramesh Rao,
r/o "Kalpana" Koppa,
Distt. Chikmagalur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 231 Dated 6-6-1981]

Estate comprising following lands, situated at Nuggi village, Taluka Koppa, Dist : Chikmagalur.

S. No.	Acre-gunta.	Kind.
108	9—27	Coffee estate
109	6—07	Do.
111	8—00	Do.
113 (Portion)	16—21	Do.
Total:	40·15	

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 16-1-1982
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
BOMBAY

Bombay, the 1st February 1982

No. AR-II/3203-4 81-82.—Whereas I, SUDHAKAR VARMA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 119 C.T.S. No 1053, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at situated at Eksar/Borivli for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) [illegible]
[illegible] Dattatray Valanju

(Transferors)

(2) Shri N[illegible] Keshav Kotnis

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registration No. 93/1978 and the same is Registered with the Sub-Registrar, Bandra.

SUDHAKAR VARMA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 1-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III

BOMBAY

Bombay, the 30th January 1981

Ref. No. AR-III/1994/81-82.—Whereas, I, SUDHAKAR VARMA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 13, H. No. 3, situated at Village Ambivli, Andheri (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay in 18th June 1981 Document No. S. 2682/77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

35—486GI/81

(1) Shri Paul Anthony D'Mellow, Vincent Danial D'Mellow Severino Blase D'Mellow.

(Transferor)

(2) Ishtadeo Sadan Co-operative Housing Society Limited.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S-2682/77 registered on 18-6-1981 with the Sub-registrar, Bombay.

SUDHAKAR VARMA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 30-1-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 3rd February 1982

Ref No AR-I/4568-10/81-82 —Whereas I, SUDHAKAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
C S No 672 of Malabar and Cumballa Hill Division situated at Peddar Road
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Bombay on 24 6 1981 Doc No BOM 555/79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Mahendra Kakubhai Reshamwala
2 Sinha Kakubhai Reshamwaka, and
3 Ajay Mahendra Reshamwala
(Transferor)

(2) Cadell Estate Private Limited
(Transferee)

(3) Tenants
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No BOM-555/79 and as registered on 24-6-1981 with the Sub Registrar Bombay

SUDHAKAR VARMA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date 3-2 1982
Seal

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 3rd February 1982

Ref. No. AR-I/4562-4/81-82.—Whereas I, SUDHAKAR VARMA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing C.S. No. 852 of Mazgaon Division, situated at Dr. Ambedkar Road, Byculla (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 17-6-1981 Doc. No. Bom 1604/80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Messrs. M.H. Kavarana, Byculla Property Charity Trust.
(Transferor)

(2) Smt. Lata Biharilal Wadhava.
(Transferee)

(3) Tenants
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. Bom. 1604/80 and as registered on 17-6-1981 with the Sub-registrar, Bombay.

SUDHAKAR VARMA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 3-2-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 4th February 1982

Ref. No. AR-II/3196-7/June 81/81-82.—Whereas I, SUDHAKAR VARMA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 21, S. No. 168-199 CS No. 1387/24, situated Borivli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Bombay on 18-6-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Nathuram Ramnarayan Pvt. Ltd.
(Transferor)

(2) Municipal Employees Akanksha Co.-op. Housing Society Ltd.

(3) Same as above.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Scheduled as mentioned in the Registered deed No. S-452/78 and the same a Registered with Sub-Registrar, Bombay.

SUDHAKAR VARMA
Competent Authroity
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 4-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 6th February 1982

Ref. No. AR-II/3185-6 81-82.—Whereas I, SUDHAKAR VARMA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 6 in 83C of T.P.S. No. II
situated at Santacrus
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on 8-6-1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The City Co-operative Bank Limited.
(Transferor)

(2) Late Shri Devraj Chai (Represented by Legal Heir Shri Devendra Devraj Ghai.)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Scheduled as mentioned in the Registered deed No. S-3271/74 and the same is registered with Sub-Registrar, Bombay on 8-6-1981.

SUDHAKAR VARMA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date · 6-2-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 6th February 1982

Ref No AR-II/3201 2/81-82 —Whereas, I, SUDHAKAR VARMA,
being the Competent Authority under
Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25 000/ and bearing No
S No 1139/114(Pt) CTS No 89
situated at Pahadi Eksar Goregaon
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 30-6-1981
for an apparent consideration which is less than fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee far the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Madhuben Bhanubhai Patel (Transferor)

(2) Shri Lundaram Tulsidas Punjabi (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the registered deed No S-1046/75 and the same is registered with sub-registrar, Bombay on 30-6-1981

SUDHAKAR VARMA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date 6-2 1982
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,

Amritsar, the 16th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/343.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) (herinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. One house in Sharifpura situated at Amritsar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
SR Amritsar in June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohinder Singh s/o Ranjit Singh r/o Gali No. 2 Sharifpura, Amritsar.
(Transferor)

(2) Shmt. Maya Devi w/o Shri Bhagwan Dass, Santosh Kumari w/o Shri Chiman Lal r/o Jandiala Guru, House No. 208/2, Mohalla Shekhpura, Distt. Amritsar.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 above and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One residential house No. 21/13 MC A No. 1053/XV-10 Gali No. 2, Sharifpura, Amritsar as mentioned in the sale deed No 7689 dated 24-6-1981 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 16-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,

Amritsar, the 13th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/344.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. One plot at Pathankot situated at (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at SR Pathankot in June 1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therfor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initaite proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Amar Singh s/o Shri Chankas r/o Saili Road, Pathankot.
(Transferor)

(2) Shmt. Sunita Mahajan d/o Janak Raj r/o Saili Road, Pathankot.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 above and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One plot of land measuring 2K 16 M situated in Anandpur Area, Pathankot as mentioned in the sale deed No. 951/ dated 17-6-1981 of the registering authority Pathankot.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 15-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,
AMRITSAR

Amritsar, the 15th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/345.—Whereas, I ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the *Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)*, (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. One property in Krishna Nagar situated at Shastri Nagar, ASR,
(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
SR Amritsar on June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the *transferor to pay tax under the said Act*, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or *the said* Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shmt Surjit Kaur Grover wd/o S. Amar Singh Grover r/o 9-Daya Nand Nagar Lawrance Road Gali No. 1, Amritsar.
(Transferor)

(2) Shmt. Tripta Rani Mehra w/o Shri Ram Parkash Mehra r/o 40-Daya Nand Nagar, Gali No. 2, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 overleaf and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share in one house (area 500 sq. yds.) situated in Krishna Nagar (Shastri Nagar) Amritsar as mentioned in the sale deed No. 8326/dated 29-6-1981. of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 15-1-1982
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,
AMRITSAR

Amritsar, the 15th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/346.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. One property in Krishna Nagar situated at Shastri Nagar, ASR,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
SR Amritsar in June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair mraket value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shmt. Kiran Ahuja d/o Shri Amar Singh Grover w/o S. Gurmit Singh Ahuja, Air India Post Africa through Smt. Surjit Kaur Grover wd/o S. Amar Singh Grover r/o 9-Daya Nand Nagar, Lawrance Road, Amritsar.
(Transferor)

(2) Shri Anup Mehra s/o Shri Ram Parkash Mehra r/o Amritsar, 40-Daya Nand Nagar Gali No. 2, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 overleaf and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share in one house (area 500 sq. yds.) situated in Krishna Nagar (Shastri Nagar) Amritsar as mentioned in the sale deed No. 8327/dated 29-6-1981 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, IRS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 15-1-1982
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,
AMRITSAR

Amritsar, the 15th January 1982

Ref No ASR 81-82/347.—Whereas, I, ANAND SINGH, IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No One property in Krishna Nagar situated at Shastri Nagar, ASR,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
SR Amritsar in June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kusam Bhatia d/o S. Amar Singh w/o S Rajinder Pal Singh Bhatia r/o B-28 First Floor Rajouri Garden New Delhi now Amritsar.
(Transferor)

(2) Shri Anil Mehra s/o Ram Parkash Mehra r/o 40-Daya Nand Nagar, Lawrance, Road, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 overleaf and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share in house (area 500 sq. yds.) situated in Krishna Nagar (Shastri Nagar) Amritsar as mentioned in the sale deed No 8324/ dated 29-6-1981 of the registering authority ,Amritsar.

ANAND SINGH, IRS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 15-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,
AMRITSAR

Amritsar, the 28th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/348.—Whereas I, ANAND SINGH IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agri. land Gujran Lahri situated at Teh. Pathankot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at SR Pathankot one June 1981,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Devi Dayal s/o Shri Wadhawa Ram r/o village Gujran Lahri Teh. Pathankot.
(Transferor)

(2) Shri Sadhu Singh s/o Jhanda Singh r/o Lahri Gujran, Teh. Pathankot.
(Transferee)

(3) As at sl. No. 2 overleaf and tenant(s) if any
(Person in occupation of the property)

(4) Any other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land measuring 32K 5 marlas situated in village Lahri Gujran Pathankot as mentioned in the sale deed No. 707/ dated 1-6-81 of the registering authority Pathankot.

ANAND SINGH, IRS
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 28-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 28th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/349.—Whereas, I ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land in Lahri Gujran situated at Teh. Pathankot,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
SR Pathankot on June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shmt. Indra Devi w/o Shri Devi Dayal r/o Lahri Gujran, Teh. Pathankot.
(Transferor)

(2) Shri Lakhmir Singh, Amir Singh, Surjit Singh Pritam Singh ss/o Sadhu Singh r/o Lahri Gujran, Teh Pathankot.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 overleaf and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land situated in village Lahri Gujran, Teh. Pathankot, as mentioned in the sale deed No. 789/dated 5-6-81 of the registering authority Pathankot.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 28-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI TAYLOR ROAD,
AMRITSAR

Amritsar, the 25th January 1982

Ref No ASR/81 82/350.—Whereas, I ANAND SINGH IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing No Land in Pathankot situated at Pathankot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Pathankot on June 1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Shri Amar Singh s/o Choksh r/o Sidh Road Anandpur, Pathankot
(Transferor)

(2) Shri Gurdev Sharma s/o Shri Dharam Dev r/o Jodha Mal Colony, Pathankot
(Transferee)

(3) As at sr No 2 overleaf and tenant(s) if any
(Person in occupation of the property)

(4) Any other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land measuring 26 marlas situated in Anandpur, Pathankot as mentioned in the sale deed No 944 datd 16 6-81 of the registering authority, Pathankot

ANAND SINGH, I R S
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar

Date 25 1-1982
Seal

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,
AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/351.—Whereas, I ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. One house at Rattan Chand Road ASR situated at
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
SR Amritsar on June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Sham Sunder Shikarpuria s/o Shri Jawahari Lal r/o 46-Rai Bahadur Rattan Chand Road, Amritsar.

(Transferor)

(2) Shri Ram Chand Khanna s/o Shri Amar Nath Khanna, Shmt. Sudha Khanna w/o Shri Ram Chand Khanna r/o 46 Rai Bahadur Rattan Chand Road, Amritsar.

(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 overleaf and tenant(s) if any.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One kothi khasra No. 3192/1032 min situated on Rai Bahadur Rattan Chand Road, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 7080/dated 17-6-1981 of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 30-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982,

Ref No. ASR 81-82/352.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No One house at Queens Road, situated at Amritsar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar in June, 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Mohinder Kaur w/o late Sh. Karam Singh & Satish Inder Singh s/o Charan Singh & Smt. Rojlin Amrit Kaur wd/o Charan Singh r/o 3-Queens Road, Amritsar.
(Transferor)

(2) S. Kuldip Singh s/o Balwant Singh r/o 3-Queens Road, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 and tenant(s) if any.
Shri Bharadwaj 70/- p.m., Friends Dhaba @ 100/- p.m., M/s. Rayon & Silk office Rs. 250/- p.m., Sh. Kuldip Singh Nalwa Rs. 200/- p.m.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house khasra No. 1177 min & Private No. 2, 3 & 4 situated on Queens Road, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 6806 dated 12-6-1981 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 30-1-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,
AMRITSAR

Amritsar, the 25th January 1982

Ref. No ASR/81-82/353.—Whereas, I ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No One plot at Tung Pai, Amritsar situated at
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
SR Amritsar on June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

37—486GI/81

(1) Shri Inder Singh s/o Surat Singh r/o Village Tung pain, Amritsar.
(Transferor)

(2) M/s Krishna Prints, Dharam Singh Market, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at sr No 2 and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One plot of land kh. No. 1929/256 situated at Tung Pain, Batala Road, (near Power Station) Amritsar as mentioned in the sale deed No. 5913/ dated 5-6-1981 of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 25-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,
AMRITSAR

Amritsar, the 28th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/354.—Whereas, I ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. One shed & vacant plot in Gokal Ka Bagh, situated at Amritsar.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar on June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagwinder Singh Dhillon S/o Pritam Singh, Sajinder Singh s/o Jagwinder Singh r/o 7-Lawrance Road, Kishan Nagar, Amritsar.
(Transferor)

(2) Shri Sanjiwan Lal Khanna & Vilas Kumar Khanna ss/o Shri Ram Dass, Kucha Vikram, Ktr. Moti Ram, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share in shed & plot No. 56 situated in Gokal Ka Bagh off East Mohan Nagar, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 8157 dated 29-6-1981 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 28-1-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 28th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/355.—Whereas, I ANAND SINGH IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. One shed & vacant plot in Gokal Ka Bagh, ASR (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar on June 1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagwinder Singh s/o Pritam Singh & Sujinder Singh s/o Jagwinder Singh r/o 7, Lawrance Road, Kishan Nagar, Amritsar.
(Transferor)

(2) Shri Sarjiwan Lal Khanna s/o Ram Dass r/o Katra Moti Ram, Kucha Bikram, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at Sl. No. 2 and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share in shed & plot No. 56 situated in Gokal Ka Bagh Off East Mohan Nagar, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 8158/dated 29-6-1981 of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 28-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,
AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/356.—Whereas, I ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Industrial Estate in Vill. Kale situated at Ghanupur, Chhehrta, ASR,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar on June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Moti Sagar s/o Shri Madan Chand r/o Queens Road, Amritsar through Shri Rajinder Kumar s/o Madoo Ram Attorney.

(Transferor)

(2) M/s Crown Woollen Mills, Batala Road, Amritsar, through Shri Sat Pal.

(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 and tenant(s) if any.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(a) by any of the aforesaid persons within a period of property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5/8 share of shed (building) khasra No. 184/203 situated at Chhehrta, Ghanupur Kale, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 8041/dated 26-6-1981 of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 30-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/357.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. Industrial Estate in Vill. Kale to Ganupur situated at Chhehrta, Amritsar. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar on June 1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Moti Sagar s/o Madan Chand r/o Queens Road, Amritsar through Shri Rajinder Kumar, attorney.
(Transferor)

(2) M/s Crown Woollen Mills, Batala Road, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 overleaf and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/8the sharre & shed building khasra No. 184/203 situated Chhehrta, Ganupur Kale, Amritsar, as mentioned in the sale deed No. 7517/dated 23-6-1981 of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 30-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,
AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref No. ASR/81 82/358.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No Industrial Estate in Vill Kale Ghanupur Chhehrta Amritsar,
(and more fully described in the Schedule annexed here to), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
SR Amritsar on June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely —

(1) Shri Shiv Kumar Kapur HUF through Shri Shiv Kumar Kapur s/o Shri Satya Pal r/o Circular Road, Amritsar
(Transferor)

(2) M/s Crown Woollen Mills, Batala Road, Amritsar
(Transferee)

(3) As at sl No 2 overleaf and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3/32 share in shed/building khasra No 184/203 situated in Chhehrta, Ghanupur Kale, Amritsar as mentioned in the sale deed No 6180 dated 9-6-81 of the registering authority, Amritsar

ANAND SINGH, I R S
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date 30 1 1982
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/359.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Industrial Estate in Vill. Kale situated at Ghanupur, Chhehrta, ASR,
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
SR ASR on June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kamal Kishore Kapur HUF Circular Road, Amritsar through Shri Satya Pal Kapur, attorney.
(Transferor)

(2) M/s Crown Woollen mills, Batala Road, Amritsar. through Shri Subagh Chander
(Transferee)

(3) As at sr No 2 overleaf and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3/32 share of shed/building khasra No. 184/203 situated at Chhehrta, Ghanupur Kale, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 6179 dated 9-6-1981 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 30-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

3 CHANDER PURI, TAYLOR ROAD AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref No ASR 81-82/360—Whereas, I, ANAND SINGH, IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No Industrial Estate in Vill Kale Ghanupur Chhehrta, Amritsar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar in June 1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Moti Sagar Kapur s/o Madan Chand r/o Queens Road, Amritsar (Transferor)

(2) M/s Crown Woollen Mills Batala Road, Amritsar (Transferee)

(3) As at sl No 2 and tenant(s) if any (Person in occupation of the property)

(4) Any other (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share in shed/building khasra No 184/203 situated at Chhehrta, Ghanupur Kale, Amritsar as mentioned in the sale deed No 6435 dated 11-6 81 of the registering authority, Amritsar

ANAND SINGH, I R S
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Aqusition Range, Amritsar

Date 30-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE

3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref No. ASR/81-82 361.—Whereas, I, ANAND SINGH, IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Industrial Estate in Vill. Kale Ghanupur Chhehrta, Amritsar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
SR Amritsar in June 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of, the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Moti Sagar HUF r/o Queens Road, Amritsar through Shri Rajinder Kumar s/o Shri Madho Ram, Queens Road, Amritsar.
(Transferor)

(2) M/s Crown Woollen Mills, Batala Road, Amritsar through Shri Shayam Sunder.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5/48 share in shed/building khasra No. 184/203 situated at Chhehrta, Ghanupur Kale, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 5525, dated 2-6-81 of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Aqusition Range, Amritsar

Date : 30-1-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,

Amritsar, the 30th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/362.—Whereas, I ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Industrial Estate in vill. Kale Ghanupur Chhehrta, Amritsar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
SR Amritsar in June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Moti Sagar HUF through Shri Rajinder Kumar s/o Shri Madho Ram, Queens Road, Amritsar.
(Transferor)
(2) M/s Crown Woollen Mills, Batala Road, Amritsar. through Shri Panna Lal.
(Transferee)
(3) As at sr. No. 2 and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)
(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/6th share in shed/building khasra No. 184/203 situated at Chhehrta, Ghanupur Kale, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 7084, dated 17-6-81 of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 30-1-1982
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD,

Amritsar, the 30th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/363.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Industrial Estate in Village Kale Ghanupur Chhehrta, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar in June 1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Kumar Kapur s/o Shri Satya Pal r/o Circular Road, Amritsar, HUF Karta Shiv Kumar Kapur.
(Transferor)

(2) M/s Crown Woollen Mills, Batala Road, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 overleaf and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice **in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3/32 share in shed/building khasra No. 184/203 situated at Chhechrta, Ghanupur Kale, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 7142, dated 18-6-81 of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 30-1-1982
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD

Amritsar, the 30th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/364.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Industrial Estate in vill. Ghanupur Chhehrta, Amritsar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
SR Amritsar in June 1981,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Moti Sagar HUF, r/o Circular Road, Amritsar through Shri Rajinder Kumar s/o Madho Ram.
(Transferor)

(2) M/s Crown Woollen Mills, Batala Road, Amritsar.
(Transferee)

(2) As at sr. No. 2 and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

7/24th share in shed/building khasra No. 184/203 situated at Chhehrta, Ghanupur Kale, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 7289, dated 19-6-81 of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 30-1-1982
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref No. ASR/81-82/365.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Industrial Estate in village Kale Ghanupur situated at Chhchrta, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar on June, 81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Kamal Kishore Kapur HUF through Sh. Satya Pal S/o Shri Gokal Chand R/o Circular Road, Amritsar
(Transferor)

(2) M/s Crown Woollen Mills, Batala Road, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3/32 share in shed building Khasra No. 184/203 situated at Chhehrta, Ghanupur Kale, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 7141/dated 18-6-81 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar.

Dated : 30-1-82
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref. No ASR/81-82/366.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 - and bearing No. Industrial Estate in vill. Kale situated at Ghanupur, Chhehrta, Amritsar, (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar on June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration **and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

(a) **facilitating the reduction or evasion of the liability** of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have **not been or which ought to be disclosed by the transferee** for the purposes of the Indian Income-**tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said **Act, I** hereby initiate proceedings **for the acquisition of the aforesaid** property by the **issue of this** notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Moti Sagar S/o Madan Chand R/o Queens Road, Amritsar through Sh. Rajinder Kumar, attorney.
(Transferor)

(2) M/s. Crown Woollen Mills, Batala Road, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at Sr. No. 2 and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

"(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)"

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by **any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from** the service of notice on the respective **persons,** whichever period expires later;

(b) by any other person **interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—**The terms and expressions used herein as** are defined in Chapter XXA of the said **Act,** shall have the same meaning as given in **that Chapter.**

THE SCHEDULE

1/2 share in shed/building khasra No. 184/203 situated in Chhehrta, Ghanupur Kale, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 7140/ dated 18-6-81 of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar.

Dated . 30-1-82
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref. No. SR/81-82/367.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. Industrial Estate in Vill. Kala Ke situated at Ghanupur, Chhehrta, ASR (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar on June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Moti Sagar HUF through Sh. Moti Sagar Kapur S/o Sh. Madan Chand Kapur R/o Queens Road, Amritsar Karta HUF through Sh. Rajinder Kumar Vij, S/o Sh. Madho Ram R/o Green Avenue, Mukhtar aam self through attorney.
(Transferor)

(2) M/s. Crown Woollen Mills, Matala Road, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at sr. No. 2 and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/16 share in shed/building khasra No. 184/203 situated in Chhehrta Ghanupur Kale, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 7290/I, dated 19-6-81 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Dated : 30-1-82
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD AMRITSAR

Amritsar, the 15th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/368.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. One House G. T. Road, situated at Oppst. City Light Cinema ASR,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at SR Amritsar on June 1981
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) **facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rajinderpaul Kaur W/o Sh. Dattar Singh R/o 3D Model Town Karnal (Haryana).
(Transferor)

(2) Smt (Dr) Parkash Kaur W/o Sh. Upkar Singh R/o H. No. 289 G.T. Road, Amritsar Oppst. City Light Cinema.
(Transferee)

*(3) As at Sr. No. 2 and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writnig to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Kothi No. 289 situated on G.T. Road, Amritsar oppst. City Light Cinema Amritsar as mentioned in the sale deed No. 6373/dated 11-6-81 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Dated : 15-1-82
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 28th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/369.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. House at Batala, situated at
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
SR Batala on June 81
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Ram Lubhaya S/o Amar Nath, Dera Baba Nanak

(Transferor)

(2) Sh. Sulakhan Singh S/o Dial Singh, Mohalla Simbal, Kahnuwan Road, Batala.

(Transferee)

(3) As at Sr. No. 2 and tenant(s) if any.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house at Simbal, Kahnuwan Road, Batala, as mentioned in the sale deed No. 2041 dated 8-6-81 of the registering authority Batala.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar

Dated : 28-1-82
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/370.—Whereas, I. ANAND SINGH IRS. being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable No. House at Baltala, situated at .... (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Officer at SR Batala on June 81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Ram Lubhaya S/o Amar Nath, Dera Baba Nanak. (Transferor)

(2) Sh. Dharam Singh S/o Dial Singh, Mohalla Simbal, Kahnuwan Road, Batala. (Transferee)

(3) As at Sr. No. 2 and tenant(s) if any. (Person in occupation of the property)

(4) Any other. (Person whom the undersined knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—**The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said** Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house at Simbal, Kahnuwan Road, Batala as mentioned in the sale deed No. 2042/dated 8-6-81 of the registering authority Batala.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 28-1-82
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD AMRITSAR

Amritsar, the 30th January 1982

Ref No ASR 81 82 371 —Whereas, I, ANAND SINGH IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No One house on Maqbul Road, situated at Amritsar

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

SR Amritsar on June 81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) The Textile Manufactures Association Amritsar through Chiman Lal S/o Faqir Chand R/o Bagh Rama Nand Amritsar.
(Transferor)

(2) Smt Sushila Gupta W/o Sh Lekh Raj, Kamal Gupta S/o Sh Lekh Raj R/o Maqbul Road, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at Sr No. 2 and tenant(s) if any
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One built up house on Maqbul Road, Amritsar as mentioned in the sale deed No 8673/ dated 30-6-81 of the registering authority Amritsar

ANAND SINGH, I R S
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Dated 30-1 1982
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 25th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/372 —Whereas, I, ANAND SINGH IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. One plot in White Avenue situated at Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar on June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Suhag Wati W/o Sh. Sarup Lal R/o Gandhi Nagar, Pathankot.

(Transferor)

(2) S/Shri Jia Lal Sukesh Kumar Ss/o Brij Lal R/o Khooh Bombaywala, Amritsar.

(Transferee)

(3) As at Sr. No. 2 and tenant(s) if any.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One plot of land situated at Maqbul Road, Amritsar, (While Avenue/State Bank Colony) as mentioned in the sale deed No. 7500/- dated 23-6-81 of the registering authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Dated : 25-1-82
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 25th January 1982

Ref. No. ASR/1-2/373.—Whereas, I,
ANAND SINGH IRS.
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land at Pathankot situated at
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Officer at SR Pathankot on June 81
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Amar Singh S/o Chowkash R/o Saili Road, Pathankot
(Transferor)

(2) Sh Ram Ashra S/o Sh Laxman Dass, R/o Dhanu Road, Pathankot.
(Transferee)

*(3) As at Sr. No 2 and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 K 17 M situated in village Anandpur, Pathankot as mentioned in the sale deed No. 976/dated 19-6-81 of the registering authority, Pathankot.

ANAND SINGH, I.R S
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar

Dated : 25-1-82
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE 3 CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 25th January 1982

Ref No ASR/81-82/374—Whereas, I, ANAND SINGH IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No Land in Pathankot situated at Vill Anandpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Pathankot on June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilities the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh Amar Singh S/o Chokash R/o Siali Road, Pathankot.
(Transferor)

(2) Sh Satinder Mahajan S/o Shri Gian Chand R/o Dhangu Road, Pathankot
(Transferee)

*(3) As at Sr No 2 and tenant(s) if any
(Person in occupation of the property)

(4) Any other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri land 1K 9M 118 Sarsai situated in village Anandpur KMM Road, Pathankot as mentioned in the sale deed No 945 dated 16 6 81 of the registering authority Pathankot

ANAND SINGH, I R S
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Dated 25-1-82
Seal

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 25th January 1982

Ref No. ASR/81-82/375.—Whereas I, ANAND SINGH, IRS, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing No. Land at Pathankot situated at (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Pathankot in June, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Amar Singh S/o Chokash R/o Sialı Road, Pathankot.
(Transferor)

(2) Sh Kuldip Chand S/o Sh. Gian Chand R/o Dhangu Road, Pathankot.
(Transferee)

(3) As at Sr No. 2 above and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri land measuring 1 K 17 Marlas situated in Anandpur KMM Road, Pathankot as mentioned in the sale deed No 1082 dated 29-6-1981 of the registering authority Pathankot

ANAND SINGH, I.R.S
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar

Dated : 25-1-82
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 25th January 1982

Ref. No ASR/81-82/376.—Whereas, I, ANAND SINGH, IRS. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at Pathankot situated at (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered under the Registratoin Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Pathankot in June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more that fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Amar Singh S/o Shri Chowkash R/o Siali Road, Pathankot.
(Transferor)

(2) Sh. Charanji Lal S/o Sh. Laxman Dass R/o Dhangu Road, Pathankot
(Transferee)

(3) As at Sr No 2 above and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agrl. land measuring 1K 17M situated in Anandpur KMM Road, Pathankot as mentioned in the sale deed No. 1008 dated 23-6-81 of the registering authority Pathankot.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar.

Dated : 25-1-82
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 25th January 1982

Ref. No. ASR/81-82/377.—Whereas I, ANAND SINGH, IRS,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at Pathankot situated at (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at SR Pathankot on June, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

40—486GI/81

(1) Sh. Amar Singh S/o Shri Tirath Ram R/o Mirpur, Teh. Pathankot

(Transferor)

(2) Sh. Ram Parkash S/o Lachhman Dass R/o Dhangu Road, Pathankot.

(Transferee)

(3) As at Sr. No. 2 above and tenant(s) if any.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land measuring 1K 17M situated in Anandpur KMM Road, Pathankot, as mentioned in the sale deed No. 983 dated 23-6-81 of the registering authority Pathankot.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Dated : 25-1-82
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 25th January 1982

Ref No. ASR/81-82/378.—Whereas, I, ANAND SINGH, IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. Land at Pathankot situated at (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Pathankot in June, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the aparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh Amar Singh S/o Chokash R/o Sitali Road, Pathankot.
(Transferor)

(2) Sh Pankaj Mahajan Niraj Mahajan S/o Kuldip Chand, R/o Dhangu Road, Pathankot.
(Transferee)

(3) As at Sr. No. 2 above and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri land measuring 1K 14M situated in Anandpur, KMM Road, Pathankot as mentioned in the sale deed No 1051/dated 25-6-81 of the registering authority Pathankot

ANAND SINGH, I R S
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Dated : 25-1-82
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 1st February 1982

Ref. No. ASR/81-82/379.—Whereas, I, ANAND SINGH, IRS. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. One plot in Mohindra Colony situated at Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar in June, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sh. Gurbachan Singh S/o Kartar Singh R/o Model Town Amritsar.
(Transferor)

(2) Smt. Raghbir Kaur W/o Sh. Sawaran Singh S/o Wadhawa Singh R/o Skylark Hotel, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at Sr. 2 above and tenants(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One plot No. 220 of land measuring 275 sq. mtrs. situated in Mohindra Colony/Rani Ka Bagh Amritsar as mentioned in the sale deed No. 7220/ dated 19-6-81 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 1-2-82
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar the 30th January 1982

Ref. No. ASR/81-82 380.— Whereas, I, ANAND SINGH, IRS. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agri. land in Sri Har Gobind Pur situated at Teh. Batala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Batala in July 81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kartar Kaur D/o Hari Singh R/o Village Salohpur Kalan near Kahnuwan Teh. Gurdaspur. (Transferor)

(2) Sh Jarnail Singh Sarwan Singh Gurnam Singh Ss/o Sh Inder Singh R/o Mohalla Santokhpura Sriharгobindpur, Teh. Batala. (Transferee)

(3) As at Sr. No. 2 above and tenant(s) if any. (Person in occupation of the property)

(4) Any other. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land measuring 15K 8 marlas situated at Sri Hargobindpur as mentioned in the sale deed No. 3327 dated July 81 of the registering authority Batala.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Dated : 30-1-82
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDER PURI, TAYOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar the 1st February 1982

Ref. No. ASR/81-82/381. Whereas, I, ANAND SINGH, IRS. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Industrial complex at Verka situated at (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in Office of the Registering Officer at Delhi SR Amritsar in June 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Mohan Lal Arora S/o Sh. Radha Kishan R/o Radha Swami Road, off Malvya Road, Amritsar.
(Transferor)

(2) M/s. Pardeep Kumar and Brothers, Opposite Milk Plant, Verka, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at Sr. No. 2 above and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One shed (area 5539 sq. yds) situated at By-Pass Verka, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 8336 dated 29-6-81 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Dated : 1-2-82
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDER PURI, TALOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar the 1st February 1982

Ref No ASR/81 82 382 —Whereas I ANAND SINGH IRS being the Competent Authority under Section 269-D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing No Agri land in village Athwal situated at Sub Teh Kalanaur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Kalanaur on June 81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely —

(1) Smt Mohinder Kaur Wd/o Jaswant Singh Jaipal Singh son and Smt Bikramjit Kaur Jatinder Pal Kaur Ds/o S Jaswant Singh S/o S Bur Singh R/o Pathankot now Athwal Sub Teh Kalanaur Distt Gurdaspur

(Transferor)

(2) Sh S Pritpal Singh Gurpal Singh and Manvir Singh Ss o S Kulwant Singh R/o Village Athwal, Teh Kalanaur Distt Gurdaspur

(Transferee)

(3) As at Sr No 2 and tenant(s) if any

(Person in occupation of the property)

(4) Any other

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the aquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Agri land measuring 36K 19M situated in village Athwal Teh Kalanaur, Distt Gurdaspur as mentioned in the sale deed No 336/ dated 9 6 81 of the registering authority Kalanaur.

ANAND SINGH, I R S.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Amritsar

Dated 1 2 82
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE 3 CHANDER PURI TAYLOR ROAD AMRITSAR

Amritsar the 2nd February 1982

Ref No ASR/81 82/383.—Whereas I ANAND SINGH IRS being the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25000/- and bearing No Builtup complex in Sarai Sant Ram situated at Amritsar (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at SR Amritsar on June 81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now therefore in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely —

(1) Sh Krishan Gopal Sapra S/o Sh Partul Chand R/o Katra Hari Singh Amritsar
(Transferor)

(2) Sh Kirpal Singh S/o Sh Labh Singh Kashmir Singh S/o Sh Arjan Singh R/o Panjwarh Teh Taran Taran Baldev Singh S/o Balwant Singh R/o Sarai Talwandi Teh Taran Taran Distt Amritsar
(Transferee)

(3) As at Sr No 2 and tenant(s) if any
(Person in occupation of the property)

(4) Any other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One built up complex in Sarai Santram outside Hall Gate Amritsar as mentioned in the sale deed No 8317 dated 29.6.81 of the registering authority Amritsar

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Amritsar

Dated 2.2-82
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar the 2nd February 1982

Ref. No. ASR/81-82/384. Whereas, I, ANAND SINGH IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Built up complex in Sarai Sant Ram situated at Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Amritsar on June 81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Kishan Gopal S/o Sh. Pohlu Chand R/o Katra Hari Singh Amritsar.

(Transferor)

(2) Sh. Harpal Sings S/o Labh Singh, Harbans Singh Ss/o Arjun Singh R/o Pangwarh Teh. Tarn Taran, Ajit Singh S/o Balwant Singh R/o Sarai Talwandi Teh. Amritsar.

(Transferee)

(3) As at Sr. No. 2 and tenant(s) if any

(Person in occupation of the property)

(4) Any other

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One built up complex in Sarai Sant Ram, outside Hall Gate, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 8321/ dated 29-6-81 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, IRS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar.

Dated : 2-2-82
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar the 4th February 1982

Ref. No. ASR/81-82/385.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Agri. land situated at Gurdaspur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at SR Gurdaspur on June 81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other- assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Ravinder Nath S/o Sh. Narinder Nath R/o Gurdaspur.
(Transferor)

(2) Sh. Mehar Singh S/o Jagat Singh R/o Village Piran Bagh PO Hayat Nagar, Distt. Gurdaspur.
(Transferee)

(3) As at Sr. No. 2 and tenant(s) if any
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land measuring 1K 16M situated in Gurdaspur as mentioned in the sale deed No. 1752 dated 3-6-81 of the registering authority, Gurdaspur.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar.

Dated : 4-2-82
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar the 4th February 1982

Ref No ASR/81-82/386.—Whereas, I, ANAND SINGH IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. No Land situated in Teh Gurdaspur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR Gurdaspur on June 81 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh Gurdip Singh Hardip Singh Ss/o Ajit Singh R/o Village Jainpur and Sh Devi Singh S/o Sunder Singh R/o village Nabi Pur Teh and Distt Gurdaspur

(Transferor)

(2) Capt Harmit Singh S/o Jaswant Singh R/o Gurdaspur.

(Transferee)

(3) As at Sr No 2 and tenant(s) if any
(Person in occupation of the property)

(4) Any other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land situated in village Jainpur (96 Kanalas) as mentioned in the sale deed No 2882 dated 24-6-81 of the registering authority Gurdaspur

ANAND SINGH, I.R.S
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Dated . 4-2-82
Seal .

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BIHAR, BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna-800 001, the 15th January 1982

Ref. No. III-539/Acq/81-82.—Whereas, I, H. NARAIN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 31 Khata No. 31, Khesra No. 26 Part Old, Khata No. 13, Khesra No 731 K, 371 Kh new and 732 Part

situated at Mohalla Musa'chak alias Chamrupur Town Muzaffarpur Dist. Muzaffarpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Muzaffarpur on 10-6-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Anuragwati Devi W/o Sri Jagernath Prasad Gupta Mohalla Musai chak alias Chamrupur P. S. Kazi Mohammadpur Dist. Muzaffarpur.

(Transferor)

(2) Shri Radha Krishna Singh S/o Late Hirdya Narain Singh Village Chapra Govind alias Govindpur Chapra at present Mohalla Gannipur under town Muzaffarpur Thana Mohammadpur Dist. Muzaffarpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3 Khatas 9 Dhurs with house situated at Mohalla Musaichak alias Chamrupur town Muzaffarpur Thana Kazi Mohammadpur Dist. Muzaffarpur more fully in deed No. 8962 dated 10-6-81 registered with D.S.R. Muzaffarpur.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date : 15-1-82
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982